



सनातनजैनग्रंथमाला

२२

श्रीमदाचार्य गुरुदासविरचित

प्रायश्चित्त-समुच्चय

चूलिका सहित

अनुवादक—

पं० पद्मलालजी सोनी, मुँरैना

प्रकाशिका—

श्रीभारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनीसस्था

६ विश्वकोप लेन, बागबाजार, कलकत्ता

माद्रपद धीर स० २४५३



Printed and Published

by—Shrilal Jain Kavyatirth

JAIN SIDDHANT PRAKASHAK PRESS

9 Visvakosha Lane Baghbazar, Calcutta



प्रकाशकीय वक्तव्य ।



जैन समाजमें प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होनेकी पृथा दिन पर दिन मद होती जाती है लोग अपनी दृढधर्मीके आवेशमें न्याय अन्याय सबको न्यायका रूप देकर करणीय समझनेमें ही चातुरी समझते हैं इसलिये ऐसे ग्रंथकी जिसमें मुनि और गृहस्थ सबको शुद्ध होनेकी पद्धतिका वर्णन है, प्रकाशित होनेकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी । शास्त्र भटारोंमें इस विषयका कोई हिंदी भाषामय ग्रंथ अवलोकन करनेमें नहीं आता था इसलिये 'भारतीय जैनसिद्धांतप्रकाशिनी सस्या'ने अपने उद्देशानुसार इसको प्रकाशित किया है ।

श्रीगोपाल जैनसिद्धांतविद्यालय मुरैनाके प्रधानाध्यापक प० पन्नालालजी सोनीने इसकी हिंदी टीकाकर सस्याको अनु-शुद्धित किया है इसके लिये आपको धन्यवाद है । पंडितजीने यह हिंदी वचनिका एक संस्कृत टीकाके आधारसे की है जो श्री ऐलक पन्नालाल सरस्वतीभवन बर्दसे प्राप्त हुई; इसलिये भवनके संचालकोंको धन्यवाद है, मूफ सशोभनमें यद्यपि सावधानी रखी गई है तो भी दृष्टिदोषसे अशुद्धि रह जाना बहुत

कुछ सम्भव है । अतः जिन महाशयोंको शब्द वा अथकी प्रशुद्धि ज्ञात हो सके वे अवश्य सूचित करनेकी कृपा करें ।

आजसे लगभग दो साल पहिले हम श्रीमहेवाधिदेव गोम्पटेश्वरके अभिप्रेक जनसे पवित्र होनेके लिये श्रवणनेन गोला (जैनवट्टी) गये थे उस समय शोलापुर वासी श्रेष्ठिवर्ग रावजी सखाराम दोशीकी अनुमतिसे आनन्द (शोलापुर) वासी श्रेष्ठिवर्य माणिकचन्द मोतीचन्दजीने इस ग्रंथके प्रकाश नार्थ पांचसौ रुपये इस शर्तपर देना स्वीकार किया था कि—ग्रंथ प्रकाशित होकर न्योछावर आनेवाद सस्था उ-हें रुपये वापिस भेजटे तदनुसार आपका सहायता प्राप्तकर यह ग्रंथ प्रकाशित किया जाता है । उक्त दोनों सेठ साहयोंको कोटिश धन्यवाद है जिससे मुनि ओर गृहस्थ दोनोंको अपनी अपनी शुद्धि होनेका आगमोक्त मार्ग मालूम हो जायगा ओर वे शुद्ध हो सकेंगे ।

पितो भाद्रपद शुक्र पांचमी

दृढस्पतिवार वीर स० २४५३

निवेदक—

श्रीनाथ जैन काव्यतीर्थ

मन्त्री—भा० जनसिद्धांतप्रकाशनी सस्था

विश्वकोपनेन, बाघबाजार,



श्रीजीतरागाय नम । -

सनातन जैनग्रंथमाला

२२

श्रीमद्-गुरुदासाचार्यविरचित

प्रायश्चित्त-समुच्चय

(हिंदीटीका सह)



संयमामलसद्रत्नगभीरोदरसागरान् ।

श्रीगुरुनादराइन्दे रत्नत्रयविशुद्धये ॥ १ ॥

अर्थ—जो सयमस्य निर्मान और सपीचीन रत्नोंके अगाप और उदार समुद्र हैं उन श्रीअर्हन्तादि पंच गुरुओंको रत्नत्रयकी विशुद्धिके लिए भक्ति-भावसे नमस्कार करता ह ।

भावार्थ—जो जिस गुणका इच्छुक होता है वह उसी गुण चानेकी सेवा शुश्रूषा करता है । जैसे धनुष चनानेकी विद्या सीखनेवाला पुरष उस धनुषविद्याको जानने और चनानेवाले-

की उपासना करता है। अन्यरुचा भगवान् गुरुदास आचार्य भां रत्नत्रयकी विशुद्धिक इच्छुक है। अत वे रत्नत्रयसे विशुद्ध पच परमेष्ठीको नमस्कार करते हैं। श्रीगुरु नाम पच परमेष्ठीका है। यह नाम इस व्युत्पत्तिसे लब्ध होता है। श्रीनाम सम्पूर्णा वस्तुओंकी स्थिति जैसी है वैसीकी वैसी जाननेमें सपर्य्य ऐसी परिपूरा और निर्गम केवनज्ञानादि लक्ष्मीका है उस लक्ष्मी कर जो सयुक्त हैं वे श्रीगुरु हैं। ऐसे श्रीगुरु तीनकालके विषय-मूत पच परमेष्ठी ही होते हैं। तथा वे श्रीगुरु रत्नत्रय कर विशुद्ध हैं। यदि वे स्वयं रत्नत्रयसे विशुद्ध न हों तो औरोंकेलिए रत्नत्रयकी विशुद्धिके कारण नहीं हो सकते। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका नाम रत्नत्रय है। सयम नाम सम्यक्चारित्रका है वह पांचमकारका है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात। यह पांचों प्रकारका चारित्र सम्यग्ज्ञानपूर्णक होता है और सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनपूर्णक होता है। अत स यम विद्वेषणकी सामर्थ्यसे वे रत्नत्रयके गभीर और उदार समुद्र हैं यह अर्थ लब्ध होता है ॥ १ ॥

आगे शास्त्र-समुद्रकी स्तुति करते हैं—

भावा यत्राभिधीयते हेयादेयविकल्पतः ।

अप्यतीचारसशुद्धिस्त श्रुताब्धिमभिष्टुवे ॥ २ ॥

अर्थ—हेय और आदेय भावोका तथा अतीचारोंकी शुद्धि का जिसमें वर्णन पाया जाना है उस श्रुत—समुद्रको नमस्कार करता हू ।

भावार्थ—भाव शब्दका अर्थ पदार्थ और परिणाम दोनों हैं । प्रत्येकके दो दो भेद हैं । हेय और आदेय । यहाँ पर व्रतोंके अतीचार हेय भाव हैं और मू नना, टट्टी करना आदि अवश्य करने योग्य आदेय भाव हैं । तथा कवाटोद्घाटन आदि अतीार हैं इन सबका वर्णन श्रुत समुद्रमें पाया जाता है । उसी श्रुत समुद्रकी यहाँ स्तुति की गई है ॥ २ ॥

आगे ग्रन्थका नाम निर्देश करते हैं —

पारपर्यक्रमायात् रत्नत्रयविशोधनं ।

संक्षेपात् संप्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तसमुच्चय ॥ ३ ॥

अर्थ—जो परपराके क्रमसे चला आरहा है, जिसमें रत्नत्रयकी विशुद्धि पाई जाती है उस प्रायश्चित्त—समुच्चय नामके ग्रन्थको स लेपसे कहता हू ।

प्रायश्चित्त तपः प्राज्यं येन पापं पुरातन ।

क्षिप्रं संक्षीयते तस्मात्तत्र यत्नो विधीयतां ॥ ४ ॥

अर्थ—यह प्रायश्चित्त बड़ा भारी तपश्चरण है जिमसे पहले किये हुए पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । इसलिए प्रायश्चित्तके करनेमें अवश्य यत्न करना चाहिए ॥ ४ ॥

आगे प्रायश्चित्तके विना त्रुटोंकी व्यर्थता बताते हैं—

प्रायश्चित्तेऽमति स्यान्न चारित्र तद्विना पुनः ।

न तीर्थं न विना तीर्थाभिवृत्तिस्तद् वृथा व्रतं ॥५॥

अर्थ—प्रायश्चित्तके अभावमें चारित्र नहीं है। चारित्रके अभावमें धर्म नहीं है और धर्मके अभावमें मोक्षकी प्राप्ति नहीं है इसलिये व्रत अर्थात् दीक्षा धारण करना व्यर्थ है।

भावार्थ—प्रायश्चित्त ग्रहण करनेसे ही त्रुटोंको सफलता है अन्यथा नहीं ॥ ५ ॥

आगे प्रायश्चित्तके नाम बताते हैं —

रहस्य छेदन दडो मलापनयन नय ।

प्रायश्चित्ताभिधानानि व्यवहारो विशोधन ॥ ६ ॥

अर्थ—रहस्य, छेदन, दड, मलापनयन, नय नीति पर्यादा-व्यवस्था रूप, व्यवहार और विशोधन ये सब प्रायश्चित्तके नाम हैं।

आगे प्रायश्चित्तविधि न जाननेमें हानि बताते हैं —

प्रायश्चित्तविधि सूरिरजानान कलकयेत् ।

आत्मानमथ शिष्य च दोषजातान्न शोधयेत् ॥७॥

अर्थ—प्रायश्चित्त विधिको न जाननेवाला आचार्य प्रथम अपनेको अनन्तर शिष्यको भी कलकित—मलिन कर देता है। अतः वह अपनेको और शिष्योंको दोषोंसे नहीं बचा सकता।

भावार्थ—प्रायश्चित देनेकी विधि भी अवश्य जानना चाहिए ॥ ७ ॥

आगे पचकल्याणके नाम गिनाते हैं —

स्वस्थानं मासिकं मूलगुणो मूलममी इति ।

पंचकल्याणपर्याया गुरुमासोऽथ पंचमः ॥ ८ ॥

अर्थ—स्वस्थान, मासिक, मूलगुण, मूल और पाचवा गुरुमास ये पांच पचकल्याणके विशेष नाम हैं ।

भावार्थ—पच आचाम्न, पच निर्विकृति, पचगुरुमदल, पच एकस्थान और पच उपवास इनके निरतर अर्थात् व्यवधानरहित करनेको पचकल्याण कहते हैं । कल्याणका लक्षण आगे कहेंगे । पाच कल्याण जहाँ पर हों वहाँ पचकल्याण है । जिसके ये ऊपर कहे गये पाच पर्याय नाम हैं ॥ ८ ॥

आगे लघुमासका स्वरूप बताते हैं —

नीरसेऽप्यथवाचाम्ले क्षमणे वा विशोधिते ।

ज्ञात्वा पुरुषसत्त्वादि लघुर्वा सान्तरौ गुरुः ॥ ९ ॥

अर्थ—पुरुष, उसका सत्व-त्रैर्ग, आदि शब्दसे बन, परिणाम आदि जानकर पूर्वोक्त पचकल्याणमेंसे नीरस अर्थात् निर्विकृति, अथवा आचाम्न या उपवासको कम कर देना लघुमास है । अथवा पूर्वोक्त पाचोंको निरतर करना गुरुमास है उसी गुरुमासको व्यवधानरहित करना लघुमास है ।

भारार्थ—रसरहित आहारको निर्विकृति कहते हैं और कांजिक—सोचौरसे रहित भोजनको आचाम्न कहते हैं । पांच आचाम्न, पांच निर्विकृति, पांच गुरुमडल, पांच एकस्थान और पांच उपवास इनमेंसे पांच निर्विकृति अथवा पांच आचाम्न या पांच उपवास कम कर देना अर्थात् इन तीनमेंसे किसी एक कर रहित अवशिष्ट चारही लघुमास सज्ञा है । तदुक्त —

उपवासपचए वा आयविलपचए व गुरुमासादो ।

निव्वियडिपचए वा अवणीदे होदि लहुमासं ॥

अर्थात्—गुरुमास अर्थात् पचकल्याणमसे पांच उपवास, अथवा पांच आचाम्न अथवा पांच निर्विकृति कम कर देने पर लघुमास होता है ।

छेदशास्त्रकी अपेक्षा आचाम्न, निर्विकृति, गुरुमडल और एकस्थान इनमेंसे किसी एकको कम कर देने पर लघुमास होता है । यथा—

आदीदो च उमञ्जे एक्कद्वरवाणियम्मि लहुमासं ।

अर्थात्—छेद शास्त्रके पाठानुसार क्षमण-उपवासका पाठ सबके अंतमें है उनमेंसे उपवासको छोड़कर अवशिष्ट चारमेंसे किसी एकको घटा देना लघुमास है । सका सारास्य यह निकला कि इन पांचोंमेंसे किसी एक कर रहित अवशिष्ट चार की लघुमास सज्ञा है । अथवा पचकल्याणकको व्ययधानसहित करना भी लघुमास है ॥ ६ ॥

आगे भिक्षपासका सव्वख बतते है —

पचस्वथापनीतेषु भिन्नमासः स एव वा ।
उपवासैस्त्रिभिः पष्ठमपि कल्याणकं भवेत् ॥ १० ॥

अर्थ—एक आचाम्ल, एक निर्विकृति, एक पुरुषडल, एक एकस्थान और एक उपवास ये पांच कर्म कर देने पर वही ऊपर कहा हुआ गुरुपास भिक्षपास हो जाता है। तथा तीन उपवासोंका एक पष्ठ होता है और कल्याणक भी होता है।

भावार्थ—निर्विकृति, पुरुषडल, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण इनको एक कल्याण कहते हैं ऐसे पांच कल्याणोंका एक पचकल्याण होता है। यथा—

णिव्वियडी पुरिमडलमायाम एयठाण स्वमणामिदि ।
कल्लाणमेगमेदेहि पचहिं पंचकल्लाणं ॥

इस गाथाका अर्थ ऊपर आ गया है। इन्हीं पचकल्याणोंमें से एक कल्याण कर्म कर देने पर भिक्षपास हो जाता है अर्थात् चार कल्याणकका एक भिक्षपास होता है अथवा चार आचाम्ल, चार निर्विकृति, चार पुरुषडल, चार एकस्थान और चार क्षमण इनको भिक्षपास कहते हैं। छठी भोजनकी वेनामें पारणा करना पष्ठ है। अर्थात् एक दिनमें दो भोजनकी वेना होती है।

१—आज्जण पुरिससत्त चित्त यययिटाधिरत्त च ।

एकस्मिन् य कल्लाण अथयोदे भिण्णमासा से ॥

एकका चारणके दिन त्याग करना दो दिनोंमें चारका त्याग करना और एकका पारणक दिन त्याग करना इस तरहके तीन उपवास करना या छह भोजनकी बेलाका त्याग करना पष्ठ है । तथा निरतर, एक आचाम्ल, एक निविकृति, एक पुरुषडन, एक एकस्थान, और एक उपवास करना कल्याणक है ॥ १० ॥

आगे कायोत्सर्ग और उपवासका प्रमाण बताते हैं —

कायोत्सर्गप्रमाणाय नमस्कारा नवोदिताः ।

उपवासस्तनूत्सर्गेर्भवेद् द्वादशकैस्तकैः ॥ ११ ॥

अर्थ—नौ पंच नमस्कारोंका एक कायोत्सर्ग होता है और बारह कायोत्सर्गोंका एक उपवास होता है ।

भावार्थ—शमो अरइताण, शमो सिद्धाण, शमो आइरि-याण, शमो उवज्झायाण, शमो लोये सब्बसाहूय यह एक पंच-नमस्कार है ऐसे नौ पंचनमस्कार एक कायोत्सर्गमें होते हैं और एक उपवासमें ऐसे ही बारह कायोत्सर्ग होते हैं । यथा—

णवपंचणमोक्कारा काउसग्गाम्मि होंति एग्गम्मि ।

एट्ठेहि वारसेहि उववासो जायदे एक्को ॥ —छेदविह ।

तथा—

एकम्मि विउत्सग्गे णव णवकारा हवति चारसहि ।

सयमद्धोत्तरमेदे हवति उववासा जस्स फल ॥

अर्थात्—एक व्युत्सर्गमें नौ पचनपस्कार होते हैं। चारह व्युत्सर्गोंमें एक सौ आठ पच नमस्कार होते हैं। इन एक सौ आठ पच नमस्कारोंके जपनेका फल एक उपवास है। तथा कायोत्सर्गके और भी अनेक भेद हैं। तदुक्त —

यद्देवसियं अष्टं सयं पक्खिय च तिण्णि सया ।

चाउम्मासे चउरो सयाणि संवत्सरे य पचमया ॥

भावार्थ—एक सौ आठ पचनपस्कारोंका देवसिक कायोत्सर्ग हाता है या देवसिक कायोत्सर्गमें एक सौ आठ पच नमस्कार होते हैं। तथा पान्धिक्रम तीन सौ, चातुर्मासिकमें चार सौ और सावत्सरिकमें पाच सौ पच नमस्कार होते हैं ॥ ११ ॥

आचाम्भेन सपादोनस्तत्पादः पुरुमंडलात् ।

एकस्थानात्तदर्थं स्यादेव निर्विकृतेरपि ॥ १२ ॥

अर्थ—आचाम्भ अर्थात् व्रजित भोजन करनेसे वह उपवास चतुर्थांश हीन हो जाता है अर्थात् चार हिस्सोंमेंसे एक हिस्सा प्रमाण कम होजाता है—तीन हिस्सापात्र ही अवशिष्ट रह जाता है। अनगारकी भोजन वेलाको पुरुमंडल कहते हैं। उस पुरुमंडलसे वह उपवास चतुर्थांश—चाथे हिस्से बराबर रह जाता है। तथा तीन मुहूर्त तकके भोजनक कालमें, एक ही स्थानमें पेटोंका संचार न कर भोजन करना एकस्थान है। उस एकस्थानके करनेसे वह उपवास आधा ही रह जाता है। और

निर्विकृति आहारके करनेसे भी उपवास आधा ही रह जाता है ।
छेदपिंड और छेदशास्त्रमें भी ऐसा ही कहा है । यथा—

आयविलोम्हि पादूण स्वमण पुरिमडले तथा पादो !

एयद्वाणे अद्ध निव्वियडोओ य एमेव ॥

इसका अर्थ ऊपर आ गया है ॥ १२ ॥

अष्टोत्तरशत पूर्णं यो जपेदपराजित ।

मनोवाकायगुप्त, सन् प्रोपधफलमश्नुते ॥ १३ ॥

अर्थ—जो पुरुष मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिको
धारण कर अपराजित पवनमस्कार पत्रको परिपूर्णा एक सौ
आठ बार जपता है वह एक उपवासके फलको पाता है ॥ १३ ॥

षोडशाक्षरविद्याया स्यात्तदेव शतद्वये ।

त्रिशत्या षड्वर्णेषु चतसृष्वपि चतुःशते ॥ १४ ॥

अर्थ—सोचह अक्षर वाले मन्त्रकी दो सौ जाप देने पर
भी एक उपवासका फल होता है । तथा छह अक्षर वाले मन्त्रकी
तीन सौ और चार अक्षर वाले मन्त्रकी चार सौ जाप देने पर भी

१ । आचाम् पादान त्रमण पुरिमडले तथा पा० ।

एकस्थाने अर्थ निर्विकृतौ च एयमेव ॥

षोडशाक्षरविद्याया फल उते शतद्वये ।

षड्वर्णत्रिशते क्षात्तेश्चतुर्वर्णचतुःशते ॥ १ ॥

एक एक उपवासका फल होता है । 'अरहत सिद्ध, आयरिय, उवज्जाया साहु' यह सोलह अक्षरोंका 'अरहतसि सा' यह छह अक्षरोंका और 'अरहत' यह चार अक्षरोंका मन्त्र है ॥ १४ ॥

अकारं परमं वीजं जपेद्यः शतपचकं ।

प्रोषधं प्राप्नुयात् सम्यक् शुद्धबुद्धिरतंद्रितः ॥१५॥

अर्थ—जो निर्मलबुद्धिगारी पुरुष आनसरहित होता हुआ परमोत्कृष्ट अकार वीजाक्षरको पाच सौ बार अच्छी तरह जपता है वह एक उपवासका फल पाता है । तदुक्त —

पणतीसं सोलसय छच्चउपय च वण्णवीयाइं ।

एउत्तरमट्टसय साहिए प (पं) च खमणट्टं ॥

अर्थ—एक सौ आठ बार जपा हुआ पैंतीस अक्षरोंका जाप, दोसौ बार जपा हुआ सोलह अक्षरोंका जाप, तीन सौ बार जपा हुआ छह अक्षरोंका जाप, चार सौ बार जपा हुआ चार वीजाक्षरोंका जाप और पांच सौ बार जपा हुआ पद—एक अकार या ओंकार वीजाक्षरका जाप एक उपवासके लिए होता है ॥ १५ ॥

इति सज्ञाधिकार प्रथम ॥ १ ॥

प्रतिसेवाधिकार ।

प्रथम ग्रन्थके अधिकारोंका कथन करते हैं—

प्रतिसेवा, ततः काल, क्षेत्राहारोपलब्धयः ।
पुमांश्छेदो विपश्चिद्धिर्विधिः षोडात्र कीर्त्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—विद्वान् पुरुष इस प्रायश्चित्त-समुच्चय नामक अनादिनिश्चय शास्त्रम छह अधिकारोंका वर्णन करते हैं । पहला प्रतिसेवा नामका अधिकार है जिसमें सच्चित्त, असच्चित्त और मिश्रदृष्टिके आश्रयसे दोषोंके सेवन करनेका कथन है । उसके बाद दूसरा कालाधिकार है जिसमें शोककाल, उत्पत्तिकाल और वर्षाकालके आश्रयसे प्रायश्चित्त देनेका कथन है । उसके बाद क्षेत्राधिकार है जिसमें स्निग्ध, रुद्ध, मिश्र आदि क्षेत्रोंके अनुसार प्रायश्चित्त देनेका वर्णन है । चौथा आहारोपलब्धि नामका अधिकार है जिसमें उत्कृष्ट, मध्यम और जवन्य आहार प्राप्तिके अनुसार प्रायश्चित्त देनेका विधान है । उसके बाद पांचवा पुरुषाधिकार है जिसमें वह पुरुष धर्ममें स्थिर है या अस्थिर है, आगमज्ञ है या अनागमज्ञ है श्रद्धालु है या अश्रद्धालु है इत्यादि पुरुषाश्रित प्रायश्चित्तका कथन है । उसके बाद छठा प्रायश्चित्ताधिकार है जिसमें दशमकारके प्रायश्चित्तोंका वर्णन है ॥ १६ ॥

उद्देशानुसार पहिले प्रतिसेवाका कथन करते हे,—

निमित्तादनिमित्ताच्च प्रतिसेवा द्विधा मता ।

कारणात् षोडशोद्दिष्टा अष्टभगास्तथेतरे ॥१७॥

अर्थ—निमित्तसे और अनिमित्तसे प्रतिसेवा दो तरहकी मानी गई है । उनमें भी कारणसे सोलह तरहको कही गई है । इसी तरह अकारणमें आठ भग होते हैं । भावार्थ—उपसर्ग आदि निमित्तोंको पाकर दोषोंका सेवन करना और निमित्तोंके बिना दोषोंका सेवन करना इस तरह प्रतिसेवाके दो भेद हैं । उनमें भी प्रत्येकके अर्थात् निमित्त प्रतिसेवाके सोलह और अनिमित्त प्रतिसेवाके आठ भेद होते हैं ।

सारांश—कारणकृत प्रतिसेवाके सोलह भग और अकारणकृत प्रतिसेवाके आठ भग होते हैं ॥ १७ ॥

सहेतुकः सकृत्कारी सानुवीची प्रयत्नवान् ।

तद्विपश्चा द्विकाः सति षोडशाऽन्योऽन्यताडिताः ॥

अर्थ—सहेतुक—उपसर्गादि निमित्तोंको पाकर दोषोंको सेवन करने वाला १ सकृत्कारी—जिसका एक बार दोष सेवन करनेका स्वभाव है । सानुवीची—अनुवीची नाम अनुकूलता का है जो अनुकूलताकर सहित है वह सानुवीची है अर्थात् विचारपूर्वक आगमानुसार बोलने वाला ३ और प्रयत्नवान्—

१ । चि इत्यपि षाठ

मयत्नपूर्वक दोष सेवन करनेवाला ४ इन चारोंको एक एक विरलनकर ऊपर स्थापन करना । इन्हीं सहेतुकदिकोंके विपक्षे अहेतुक असकृत्कारी, असानुवीची और अमयत्नवान् के स रयामें दो दो हैं इनको दो दोका पिंड बनाकर नीचे स्थापन करना पश्चात् इनका परस्परमें गुणाकार करना इस तरह करने पर सोलह स रया निकल आती है ।

सदृष्टि—१ २ ३ ४ = १६ इन भगोंको निकालनेकी तरकीब चताने वानो दो गाथाएँ मूनाचारम है वे यहा दी जाती हैं ।

दोषगणानं संखा पत्यारो अक्खसंकमो चैव ।

णह् तह उद्विह पचवि वत्थुणि णेयाणि ॥ १ ॥

दोषोंकी संख्या, प्रस्तार, अक्षसंक्रम, नष्ट और उद्विष्ट ये पांच वस्तुके वर्णानमें जानना । दोषोंके भेदोंको गिनना संख्या है । इनका स्थापन करना प्रस्तार है । भेदोंका परिवर्तन अक्षसंक्रम है । संख्या रखकर भेद निकालना नष्ट है और भेद रखकर संख्या निकालना उद्विष्ट है ।

सव्वे वि पुव्वभगा उवरिमभंगेसु एक्कमेस्केसु ।

भेलंति त्ति य कमसो गुणिए उपज्जये सखा ॥ २ ॥

सभी पहले पहले के भग ऊपर ऊपरके सभी एक एक भगव

१ । द्वापगण मा संख्या प्रस्तार अक्षसंक्रमश्चैव ।

नष्ट तथा उद्विष्ट पचापि वत्थुनि ज्ञेयानि ॥

पाये जाते अतः उन सबको क्रमसे चार जगह २-२-२-२ रखकर परस्पर गुणा करने पर दोषोंकी सोलह सरया निकल आती इसीको धतलाते हैं—पूर्व भग आगाढकारणकृत और अनागाढकारणकृत ये दोनों ऊपरके सकृत्कारी और असकृत्कारीमें पाये जाते हैं अतः दोनोंको परस्परमें गुणने पर चार भेद हो जाते हैं । ये चारों अपने ऊपरके सानुवाचीमें पाये जाते हैं अतः चारसे दो को गुणने पर आठ होते हैं । तथा ये आठ अपनेसे ऊपरके प्रयत्नप्रतिसेवी और अप्रयत्नप्रतिसेवीमें पाये जाते हैं इसलिये आठ को दोसे गुणा करनेसे दोषोंकी सोलह सरया निकल आती है ॥ १८ ॥

भंगायामप्रमाणेन लघुर्गुरुरिति क्रमात् ।

प्रस्तारेऽत्राक्षनिक्षेपो द्विगुणो द्विगुणस्ततः ॥१९॥

अर्थ—प्रस्ताररचनामें भगोंके आयाम प्रमाणके अनुसार लघु और गुरु ये क्रमसे स्थापित किये जाते हैं । तथा द्वितीयादि पक्तियोंमें वं दूने दूने स्थापित किये जाते हैं । भावार्थ—लघु नाम एकत्रा और गुरु नाम दोका है । भगोंका प्रमाण सोलह और पक्ति चार हैं । प्रथम पक्तिमें सोलह जगह एक लघु और एक गुरु एकान्तरित स्थापित करे १ २ १ २ १ २ १ २ १ २ १ २ १ २ । दूसरी पक्तिमें दो लघु और दो गुरु एव द्वयन्तरित १ १ २ २ १ १ २ २ १ १ २ २ १ १ २ २, तीसरी पक्तिमें चार लघु और चार गुरु एव चतुरन्तरित १ १ १ १, २ २

शरणा हे । अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, प्रयत्नसेवी २ १ १ १ यह दूसरी उच्चारणा, आगाढकारणकृत असकृत्कारी सानुवीची प्रयत्नसेवी १ २ १ १ यह तीसरी उच्चारणा । अनागाढकारणकृत असकृत्कारी, सानुवीची प्रयत्नसेवी २ २ १ १ यह चौथी उच्चारणा । आगाढकारणकृत सकृत्कारी असानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी १ १ २ १ यह पांचवी उच्चारणा । अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी २ १ २ १ यह छठी उच्चारणा । आगाढकारणकृत, असकृत्कारी असानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी १ २ २ १ यह सातवी उच्चारणा । अनागाढकारणकृत, असकृत्कारी, असानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी २ २ २ १ यह आठवी उच्चारणा । आगाढकारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी १ १ १ २ यह नौवी उच्चारणा । अनागाढकारणकृत सकृत्कारी सानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी २ १ १ २ यह दशवी उच्चारणा । आगाढकारणकृत, असकृत्कारी, सानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी १ २ १ २ यह ग्यारहवी उच्चारणा । अनागाढकारणकृत असकृत्कारी, सानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी २ २ १ २ यह बारहवी उच्चारणा । आगाढकारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी १ १ २ २ यह तेरहवी उच्चारणा ।

अमानुष

कृत

सकृत्कारी,

यह चौदहवी उच्चा-

सानुवीची अप्रयत्न-

अनागाढ कारणकृत

२०, १ १ १ १, २ २ ० २, आर चाथी ५ क्तिम आठ लघु और
आठ गुरु एव अष्टान्तरित स्थापित करे १ १ १ १, १ १ १ १,
० ० २ ०, २ ० ० २, । इसी क्रमको जानक लिए नीचे एक
करण गाथा दी जाती है—

पहम दोसपमाण कभेण णिकिखविय उपरिमाणं च ।
पिंड पडि एक्केक्क निक्खित्ते होइ पत्थारो ॥

अर्थ—पथम दोषके प्रमाणको विरलन कर क्रमसे रख कर
और उन विरलन क्रिये हुये एक एकक ऊपर, ऊपरका एक एक
पिंड रखकर जोड़ देनेपर प्रस्तार होता है। सो ही कहते हैं—
आगादकारण और अनागादकारणका प्रमाण दो इनको विरलन
कर क्रमसे लिखे १ १, इनके ऊपर दूसरा सकृत्कारी और
असकृत्कारी दोषके पिंड दो दो का रखे १ १, इन दो दो
को जोड़ने से चार हुए । फिर इन चारोंको क्रमसे चार
जगह विरलन कर रखे १ १ १ १ उनके ऊपर सानुवीची
और असानुवीचीका एक

चारणा है । अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची,
 प्रयत्नसेवी २ १ १ १ यह दूसरी उच्चारणा, आगाढकारणकृत
 असकृत्कारी सानुवीची प्रयत्नसेवी १ २ १ १ यह तीसरी उच्चा-
 रणा । अनागाढकारणकृत असकृत्कारी, सानुवीची प्रयत्नसेवी
 २ २ १ १ यह चौथी उच्चारणा । आगाढकारणकृत सकृत्कारी
 असानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी १ १ २ १ यह पांचवीं उच्चारणा ।
 अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी
 २ १ २ १ यह छठी उच्चारणा । आगाढकारणकृत, असकृत्कारी
 असानुवीची, प्रयत्नप्रतिसेवी १ २ २ १ यह सातवीं उच्चारणा ।
 अनागाढकारणकृत, असकृत्कारी, असानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी
 २ २ २ १ यह आठवीं उच्चारणा । आगाढकारणकृत, सकृत्कारी,
 सानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी १ १ १ २ यह नौवीं उच्चारणा ।
 अनागाढकारणकृत सकृत्कारी सानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी
 २ १ १ २ यह दशवीं उच्चारणा । आगाढकारणकृत, असकृ-
 त्कारी, सानुवीची अप्रयत्नप्रतिसेवी १ २ १ २ यह ग्यारहवीं
 उच्चारणा । अनागाढकारणकृत असकृत्कारी, सानुवीची,
 अप्रयत्नप्रतिसेवी २ २ १ २ यह बारहवीं उच्चारणा । आगाढ
 कारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी १ १
 २ २ यह तेरहवीं उच्चारणा । अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी,
 सानुवीची, अप्रयत्नप्रतिसेवी २ १ २ २ यह चौदहवीं उच्चा-
 रणा । आगाढकारणकृत असकृत्कारी असानुवीची अप्रयत्न-
 सेवी १ १ २ २ यह पन्द्रहवीं उच्चारणा । अनागाढकारणकृत

स यदि आगाढका ग्रहण हो तो उसके आगेवाले अनागाढकी अनकित समझना । इसीतरह सृष्टकारी—असृष्टकारी सानुवीची—असानुवीची और यत्नसेवी अपन्नसेवीमें भी समझना । किसीने पूछा कि आगाढकारणकृत सृष्टकारी, सानुवीची अपन्नसेवी यह कौनसी उच्चारण है तब प्रथम एक रूप रखिये उसको ऊपरके यत्नसेवी और अपन्नसेवीका प्रमाण दोसे गुणिये, दो हुए अनकितको घटाइये, यह अनकित कोई नहीं दोनों ही अकित हैं अत दो ही रहे । फिर इन दो को सानुवीची और असानुवीची का प्रमाण दो स गुणिये चार हुए, यह असानुवीची अनकित है अत चारमेंसे एक घटाइये तब तीन रहे । इन तीनोंको सृष्टकारी और असृष्टकारीका प्रमाण दोसे गुणिये, छह हुए अनकित असृष्टकारीको घटाइये पाच रहे, पुन पाचको आगाढ अनागाढकी सरथा दोसे गुणिये, दश हुए अनकितको घटा दार्जिये, नौ रहे । इस तरह आगाढकारणकृत सृष्टकारी सानुवीची अपन्नसेवी नामकी नौरी उच्चारणा सिद्ध होती है । यही विधि अन्य उच्चारणाओंके निकालनेमें करनी चाहिए ॥१९॥

विशुद्ध प्रथमोऽन्योऽपि सर्वथा शुद्धिवर्जित ।
भगाश्चतुर्दशान्ये तु सर्वे भाज्या भवन्त्यमी ॥२०॥

अर्थ—इन सोनह भ गोंमेंसे पहला भ ग विशुद्ध है—अधु प्रायश्चित्तके योग्य है । अन्तका सोनहवा भ ग बिनकुल अशुद्ध

है—गुरु प्रायश्चित्तके योग्य है । बाकीके चोदह म ग भाज्य है—
लघु-गुरु दोनों तरहके हैं अत छोटे बड़े प्रायश्चित्तके योग्य हैं ॥

आगाढकारणे कश्चिच्छेपाशुद्धोऽपि शुद्ध्यति ।
विशुद्धोऽपि पदैः शेषैरनागाढे न शुद्ध्यति ॥२१॥

अथ—देव, मनुष्य, तिर्यञ्च या अचेतनकृत उपसर्ग वश
या व्याधियश दोष सेवन कर लेने पर, शेष असकृत्कारी,
असानुवीची और अयत्नसेवी पदां कर अशुद्ध होते हुए
भी, कोई पुरुष शुद्ध हो जाता है अर्थात् वह उस दोषयोग्य
लघु प्रायश्चित्तका पात्र है । तथा कोई पुरुष विना कारण दोष
सेवन कर लेने पर शेष सकृत्कारी, सानुवीची और प्रयत्नसेवी
पदोंसे शुद्ध होते हुए भी शुद्ध नहीं होता—लघु प्रायश्चित्तका
पात्र नहीं होता ॥ २१ ॥

अथ आठ अनिमित्त भगोंको कहते हैं—

अकारणे सकृत्कारी सानुवीचिः प्रयत्नवान् ।
तद्विपक्षा द्विका एतेऽप्यष्टावन्योन्यसगुणाः ॥२२॥

अथ—अकारणभगोंमें सकृत्कारी, सानुवीचि और प्रयत्न-
वान् इन तीनोंकी लघु सज्ञा है और इनके विपक्षी असकृत्कारी,
असानुवीची और अप्रयत्नप्रतिमेवीकी द्विक अर्थात् गुरु सज्ञा
है । ये भी परस्पर गुणा करने पर आठ होते हैं । सदृष्टि
३ ३ ३ = ८ ॥

भारार्थ—जिस तरह सीलइ निमिचभग सरुया, मस्तार, अक्षरक्रम, नष्ट और उद्दिष्ट ऐस पांच तरहसे बरान किये गये हैं उसी तरह इन आठ भद्रोंको भी सपम्नना चाहिए। प्रथम सरया निकालते हैं। पहले पहलेके भग ऊपर ऊपरके सब भगोंमें पाये जाते हैं अतः उनको पस्पर गुणा करने पर ३ ३ ३=आठ सरया निकल आती है। इति सरया। अब मस्तार बतलाते हैं—प्रथम पक्तिमें आठ जगद एकान्तरित लघु और गुरु स्थापन करे १० १२ १२ १२। द्वितीय पक्तिमें द्वयंतरित लघुगुरु स्थापन करे ११२२ ११०२। तृतीय पक्तिमें चतुरंतरित लघु गुरु स्थापन करे ११११ २२०२। इनकी उच्चारणा बतलाते हैं—

सकृत्कारी, सानुवीची यत्नसेवी यह प्रथम उच्चारणा १११
 असकृत्कारी सानुवीची, यत्नसेवी यह द्वितीय उच्चारणा २११
 सकृत्कारी असानुवीची यत्नसेवी यह तृतीय उच्चारणा १२१
 असकृत्कारी असानुवीची यत्नसेवी यह चतुर्थ उच्चारणा २२१
 सकृत्कारी सानुवीची अयत्नसेवी यह पंचम उच्चारणा ११२
 असकृत्कारी सानुवीची अयत्नसेवी यह छठे उच्चारणा २१२
 सकृत्कारी असानुवीची अयत्नसेवी यह सप्तम उच्चारणा १२२
 असकृत्कारी असानुवीची अयत्नसेवी यह अष्टम उच्चारणा २०२
 सहस्रं—

१०	१०	१२	१२
११	०२	११	००
११	११	००	२२

अक्षररूप, नष्ट और उद्दिष्ट भी पहलेकी तरह निकाल लेना चाहिए । इस तरह इन आठ भ गोंकी ररया, प्रस्तार, अक्षरपरिचयन, नष्ट और उद्दिष्ट जानना । पूर्वोक्त निमित्त दोष सोलह और आठ ये अनिष्ट दोष कुल मिलाकर चौसीस दोष होते हैं ॥ २२ ॥

अष्टाप्येते न सशुद्धा आद्यः शुद्धतरस्ततः ।
अविशुद्धतरास्त्वन्ये भगाः सप्तापि सर्वदा ॥२३॥

अर्थ—ये ऊपर बताये हुए आठों भ ग सशुद्ध नहीं हैं अशुद्ध हैं—बहुत प्रायश्चित्तके योग्य हैं उनमेंका पहला भ ग द्वितीय भ गकी अपेक्षा शुद्ध है—बहु प्रायश्चित्तके योग्य है । इसके अलावा बाकीके सातों भ ग निरंतर अविशुद्धतर है—बहुत प्रायश्चित्तके योग्य है ॥ २३ ॥

प्रतिसेवाविकल्पानां त्रयोविंशतिमामृपन् ।
गुरुं लाघवमालोच्य च्छेद दद्याद्यथायथ ॥२४॥

अर्थ—प्रतिसेवाके कुल विकल्प चौसीस हुए । उनमें से (आगाढकारणकृत सकृत्कारी, सानुगीची, प्रयत्नप्रतिसेवी) पहले विकल्पको छोड़कर अग्रशिष्ट तेईस विकल्पोंमें छोटे और बड़ेका विचार कर यथायोग्य प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २४ ॥

द्रव्ये क्षेत्रेऽथ काले वा भावे विज्ञाय सेवनां ।
क्रमशः सम्यगालोच्य यथाप्राप्तं प्रयोजयेत् ॥२५॥

अर्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको जानकर और

सेवना—सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यके उपभोगका रूपसे अच्छी तरह विचार कर यथायोग्य प्रायश्चित्त देना चाहिए ।
 भावार्थ—जिसको प्रायश्चित्त दिया जाय उसके उत्कृष्ट, मध्यम जलमय सहननपुक्त शरीरको और मद्दज्ञानादिको, मगध, कुरुजांगल आदि निवास स्थानको, शीतकाल उष्णकाल वर्षाकाल आदि कालको, और तीव्र मद्द आदि भावोंको जाननेना चाहिए और उसकी सचित्त, अचित्त और मिश्र पदार्थकी सेवना पर भी अच्छी तरह विचार करनेना चाहिए बाद यथायोग्य प्रायश्चित्त देना चाहिए अन्यथा लाभके वदने हानि होनेकी सम्भारता है ॥ २५ ॥

नीरसः पुरुमडश्चाप्याचाम्ल चेकसस्थितिः ।

क्षमण च तपो देयमेकैकं ढ्यादिमिश्रक ॥२६॥

अर्थ—निर्विकृति, पुरुमडल, आचाम्ल, एकसस्थान और उपवास इन पाचोके प्रत्येक भग द्विसयोगो, त्रिसयोगो, चतुसयोगो और पचसयोगो भग निकाल कर प्रायश्चित्त देना चाहिए । भगोंके निकालनेकी विधि इस प्रकार है । निर्विकृति, पुरुमडल, आचाम्ल, एकस्थान, और उपवास ये पाच प्रत्येक भग है । द्विसयागो भग यताते है—निर्विकृति और पुरुमडल यह प्रथम भग १ । निर्विकृति और आचाम्ल यह द्वितीय २ । निर्विकृति और एकस्थान यह तृतीय भग ३ । निर्विकृति और यह चतुर्थ भग ४ । पुरुमडल आचाम्ल यह पचम भग

५ । पुरुमडल और एकस्थान यह छठा भग ६ । पुरुमडल और क्षमण यह सातवा भग ७ । आचाम्न और एकस्थान यह आठवा भग ८ । आचाम्न और क्षमण यह नौवां भग ९ । एक स्थान और क्षमण यह दशवा भग १० । ये दश द्विस-योगी भग हुए । अब त्रिसयोगी भग बताते हैं—निर्विकृति पुरुमडल और आचाम्न यह प्रथम भग १ । निर्विकृति, पुरु-मडल और एकस्थान यह द्वितीय भग २ । निर्विकृति, पुरुमडल और क्षमण यह तृतीय भग ३ । निर्विकृति, आचाम्न और एक स्थान यह चतुर्थ भग ४ । निर्विकृति, आचाम्न और क्षमण यह पचम भग ५ । निर्विकृति एकस्थान और क्षमण यह छठा भग ६ । पुरुमडल, आचाम्न और एकस्थान यह सप्तम भग ७ । पुरुमडल, आचाम्न और क्षमण यह आठवा भग ८ । पुरुमडल एकस्थान और क्षमण यह नौवां भग ९ । आचाम्न, एकस्थान और क्षमण यह दशवा भग १० । ये दश त्रिसयोगी भग हुए । अब चतुसयोगी भग बताते हैं—निर्विकृति, पुरुमडल, आचाम्न और एकस्थान यह प्रथम भग १ । निर्विकृति, पुरुमडल, आचाम्न और क्षमण यह द्वितीय भग २ । निर्विकृति पुरुमडल, एकस्थान और क्षमण यह तृतीय भग ३ । निर्विकृति, आचाम्न, एकस्थान और क्षमण यह चतुर्थ भग ४ । पुरुमडल, आचाम्न, एक-स्थान और क्षमण यह पचम भग ५ । ये पाच चतुसयोगी भग हुए । अब पचसयोगी भग बताते हैं—निर्विकृति पुरु-

य डल, आचाम्ल एकस्थान और क्षमण यह पाचोंका मिनकर एक भग । पाच प्रत्येक भग, दश द्विस योगी भग, दश त्रिसयोगी भग, पांच चतुसयोगी भग और एक पच सयोगी भग, कुल मिनकर $५ + १० + १० + ५ + १ = ३१$ इकतीस भग हुए । इनको शनाका भी कहते हैं । पहले जो सोलह दोष कह आये हैं उनमें इन इकतीस शनाकाओंका विभाग कर प्रायश्चित्त देना चाहिए । प्रथम दोषका पहली शनाकाका प्रायश्चित्त और शेष पंद्रह दोषोंका प्रत्येक और मिश्र ऐसी दो दो शनाकाओंका प्रायश्चित्त देना चाहिए । इन निम्निकृति आदि इकतीस शनाका रूप प्रायश्चित्तोंको यह प्रस्तार स दृष्टि है ।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

इस स दृष्टिमें ऊपर शनाकाओंको सरया है और नीचे उन शनाकाओंके अन्तर्गत प्रायश्चित्तोंकी सरया है । यद्यपि प्रथम दोषको जोड़कर शेष पंद्रह दोषोंकी शनाकाए समान दो दो हैं तथापि उनके प्रायश्चित्तोंको सरया समान नहीं है दूसरे तीसरे दोषकी शनाकाए दो दो हैं और प्रायश्चित्त भी दो दो हैं । चौथेसे आठवां तक शनाकाए दो दो और प्रायश्चित्त चार चार, नौवसे तेरहवें तक शनाकाए दो दो और प्रायश्चित्त छह छह, चौदहवें पंद्रहवेंमें शनाकाए दो दो प्रायश्चित्त आठ आठ तथा सोलहवेंमें शनाका दो और

प्रायश्चित्त नौ हैं । शलाकाओंका विभाग करनेवाला यहाँ एक स ग्रह श्लोक है उसे कहते हैं ।

आद्यमाद्ये तपोऽन्येषु प्रत्येकं तद्द्वयं ततः ।

आद्ये तत्रयमष्टाना तच्चतुष्टयमन्यतः ॥

अर्थ—सोलह दोषोंमेंसे प्रथम दोषका प्रायश्चित्त आठ तप अर्थात् प्रथम शलाका है । शेष ५ द्रव्य दोषोंका प्रायश्चित्त दो दो तप—दो दो शलाकाएँ हैं । तथा आठ दोषोंमेंसे प्रथम दोषका प्रायश्चित्त तीन तप—तीन शलाकाएँ और शेष सात दोषोंका प्रायश्चित्त चार चार तप—चार चार शलाकाएँ हैं ।

आगाढादि सोलह दोषोंका प्रायश्चित्त सामान्यसे कहा गया अत्र लघु दोष और गुरु दोषका विचार कर आचार्योंके उपदेशके अनुसार उत्तर सूत्रके अभिप्रायमें उक्त शलाकाओंमें किसकी कोनसा प्रायश्चित्त दिया जाता है यह निश्चय करते हैं । आगाढकारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, प्रयत्नससेवी, प्रथम दोषका प्रायश्चित्त आलोचनापत्र है । अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, प्रयत्नससेवी द्वितीय दोषका बड़ा प्रायश्चित्त—छह गुद्धिवाली दो शलाकाएँ हैं जिनमें एक शलाका तो निविकृति और क्षमण नामकी नौवीं द्विसंयोगकी और दूसरी निविकृति, पुरुमडल, आचाम्ल और एकस्थान नामकी छवीसवीं चतुस योगकी है । इस तरह दोनो शलाकाओंके छह प्रायश्चित्त द्वितीय दोषके हैं । आगाढकारणकृत, असकृ-

त्कारो, सानुवीची प्रयत्नप्रतिसेवी तृतीय दोषका पहली निबि-
 कृति शनाका और दूसरी पुरुषडल शलाकारूप छोटा प्रायश्चित्त
 है । अनागाढकारणकृत, असकृत्कारो, सानुवीची, प्रयत्नप्रति-
 सेवी चोबे दोषका पंद्रहवीं और तीसरी शनाकारूप गुरु प्राय
 श्चित्त है । पंद्रहवीं शनाका एकस्थान और क्षमण इस तरह
 द्विस योगकी और तीसरी शनाका पुरुषडल, आचाम्न, एक-
 स्थान और क्षमण इस तरह चतु स योगकी है । आगाढकारण
 कृत, सकृत्कारी, असानुवीची, प्रयत्नससेवी, पंचम दोषका
 प्रायश्चित्त छठी और तेरहवीं शनाका है । दोनों ही शनाकाए
 द्विस योगवानो हैं । छठम निबिकृति और पुरुषडल और तेर-
 हवींमें आचाम्न और एक स्थान है । अनागाढकारणकृत, सकृ-
 त्कारी, असानुवीची प्रयत्नस सेवी छठे दोषका प्रायश्चित्त चौद-
 हवीं और सत्ताईसवीं शनाका है । चौदहवीं शनाका आचाम्न
 और क्षमण ऐसे द्विस योगकी और सत्ताईसवीं शनाका निबि-
 कृति, पुरुषडल, आचाम्न और क्षमण ऐसे चतु स योगकी है ।
 आगाढकारणकृत, असकृत्कारी असानुवीची प्रयत्नस सेवी
 सातवें दोषका प्रायश्चित्त सोलहवीं और बाईसवीं त्रिम योगी
 दो शनाकाए है । सोलहवीं शनाका निबिकृति, पुरुषडल
 और आचाम्नकी और बाईसवीं शलाका, पुरुषडल आचाम्न
 और एकस्थानकी है । अनागाढकारणकृत, असकृत्कारी, असा-

१—जबमी छुपनीसादमा पदम दुइजाय पण न तीसा ।

दही तेत्तमी वि य चादसी सत्तरीसदिमा ॥

नुवीची प्रयत्नस सेरी आठवे दापका प्रायश्चित्त चारहवी और अठईसवी शलाका है । चारहवी शलाका पुरुम डल और क्षमण ऐसे द्विस योगी भगकी और अठईसवी शलाका निर्विकृति, पुरुमडल एकस्थान और क्षमण ऐसे चतु सयोगी भगकी है । आगाढकारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, अयत्नस सेवी नीचे दोपका प्रायश्चित्त तीसरी और चौथी शलाका है । ये दोनों शलाकाए आचाम्न और एकस्थान ऐसे एक एक सांयागी भगकी हैं । अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी, सानुवीची, अयत्नससेवी दशवे दोपका प्रायश्चित्त तेरोसवी और इक्कीसवी त्रिसयोगी शलाकाए है । तेरोसवी शलाका पुरु-मडल आचाम्न और क्षमणकी और इक्कीसवी शलाका निर्विकृति एक-स्थान और क्षमणकी है आगाढकारणकृत, असकृत्कारी, सानु-वीची, अयत्नस सेरो ग्यारहवे दोपका प्रायश्चित्त आठवी और ग्यारहवी द्विस योगी शलाकाए ह । आठवी शलाका निर्विकृति और एकस्थान और ग्यारहवी शलाका पुरुम डल और एक स्थानका है । अनागाढकारणकृत असकृत्कारी, सानुवीची, अयत्नसेवी चारहवे दापका प्रायश्चित्त अठारहवी और बीसवी

१—सोजस चाधीसादमा, वारस अडवीसिमा, तिय चउत्थी ।

वउवीसिमा . पणवीसस्ता, अट्टमि पयारसी चेव ॥

यहां थोड़ा भाचार्यसप्रदायका भेद है । यह यह कि दशवे दोपके ऊपर इक्कीसवी और तेईसवी शलाका बताई गई है और इस गायाम चौबीसवी और पचीसवी ।

त्रिसयोगी शलाकाए हैं । अठारहवीं शलाका निर्विकृति पुरु-
 म डल और क्षमणकी और बीसवीं शलाका निर्विकृति आचाम्न
 और क्षमणकी है । आगाढकारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची,
 अयत्नसेवी तेरहवे दोषका प्रायश्चित्त सानवीं और दशवीं
 द्विसयोगी दो शलाकाए हैं । सातवीं शलाका निर्विकृति और
 आचाम्नकी और दशवीं शलाका पुरुम डल और आचाम्नकी
 है । अनागाढकारणकृत, सकृत्कारी, असानुवीची, अयत्नसेवी
 चौदहवे दोषका प्रायश्चित्त, चौबीसवीं और पचीसवीं त्रिस योगी
 दो शलाकाए हैं । चौबीसवीं शलाका पुरुमडल एकस्थान
 और क्षमणकी और पचोसवीं आचाम्न एकस्थान और
 क्षमणकी है । आगाढकारणकृत, असकृत्कारी, असानुवीची
 अयत्नसेवी पंद्रहवे दोषका प्रायश्चित्त सतरहवीं और उन्नीसवीं
 त्रिसयोगी शलाकाए हैं । सतरहवीं शलाका निर्विकृति, पुरु
 मडल और एकस्थानकी और उन्नीसवीं शलाका निर्विकृति

१—अट्टारस घीसदिमा, सत्तम दसमीय, एकवीसदिमा ।

तेवीसदिमा, सत्तारसी य एकम घीसदिमा ॥

चौदहवे दोषमें ऊपर चौबीसवीं और पचोसवीं शलाका
 बताई है और इस गायामें इकीसवीं और तईसवीं । यह
 आचार्य सम्प्रदायका भेद मालूम पड़ता है । अन्तर दोनोंमें इतना
 ही है कि दशवे दोषका प्रायश्चित्त चौदहवे में और चौदहवे का
 दशवे में परस्पर बताया गया है । भग दोनों ही स्थलोंमें त्रिस
 योगी हैं ।

आचाम्ल और एकस्थानकी है । अनागाढकारणकृत, असकृ-
 क्तकारी, असानुयीची और अयत्नसेवी सोलहवें दोपका
 प्रायश्चित्त पांचवाँ, उनतीसरी और इकतीसरीं ये तीन शला-
 काए है । पाचवी शलाका एकसयोगी भ गकी है जिसमें
 क्षमण है । उनतीसवी निर्विकृति, आचाम्ल, एकस्थान और
 क्षमण एव चतुःसयोगी भ गकी है और इकतीसवीं शलाका
 निर्विकृति, पुरुमडल, आचाम्ल, एकस्थान और क्षमण एव
 पचसयोगी भ गकी है । इस तरह सोलह दोपोंमें छोटे बड़े
 दोपका विचार कर प्रायश्चित्त बताया । पहला, तीसरा, पाचवा,
 सातवा, नौवा, ग्यारहवा, तेरहवा और पन्द्रहवा ये आठ दोप तो
 लघु प्रायश्चित्तके योग्य है और शेष दूसरा, चाथा, छठा, आठवा,
 दशवा, बारहवा, चौदहवा और सोलहवा ये आठ गुरु प्रायश्चित्त
 के योग्य हैं । सदृष्टि—

१ २ २ ० २ २ ० २ २ २ २ ० २ २ ० ३

० ६ ० ६ ४ ६ ६ ६ ० ६ ४ ६ ४ ६ ६ १०

इस सदृष्टिमें ऊपर प्रत्येक दोपकी शलाकाए है और नीचे
 प्रायश्चित्तोंकी संख्या है । यह इस विषयको स्पष्ट करनेवाला
 संग्रह श्लोक है—

१—पचम उगतीसदिमा इगरीसदिमा य होंति सोलसमे ।

मिस्तसलागा गेयहइ इगिदुतिचउपचसत्रागे ॥

आद्ये बालोचनान्येषु द्वे द्वे स्याता शलाकिके ।

आद्य मुक्त्वा यथायोग्य प्राग्यद्वादिष्टमष्टसु ॥

अर्थ—प्रथमदोषमें आलोचना प्रायश्चित्त हे अन्य दोषोंमें दो दो शलाकाए हैं विशेष इतना हे कि सोलहवें दोषमें तीन शलाकाए हैं । तथा आठ दोषोंमें पहले दोषको छोडकर शेष दोषोंमें पूर्ववत् प्रायश्चित्त समझना । भावार्थ—पहले दोषों में तीन शलाकाए और शेष सात दोषोंमें चार चार शलाकाए रूप प्रायश्चित्त है ।

जो निष्कारण आठ भग हे वे सर्वथा ही अशुद्ध है तो भी उनमेंका पहना भग अन्य भगोंकी अपेक्षा विशुद्धतम हे । अन्त का अविशुद्धतम अर्थात् सबसे अधिक अशुद्ध है । सकृत्कारी सानुवीची, यत्नसेवी प्रथम भगका प्रायश्चित्त एक सयोगवाली निर्विकृति, पुष्पदल और आचाम्न ऐसे पहली दूसरी तीसरी तीन शलाकाए हे । असकृत्कारी, सानुवीची, यत्नसेवी दूसरे दोषका प्रायश्चित्त चार शलाकाए ह । दा शलाकाए एकस्थान और क्षण ऐम एकसयोगकी ओर दो शलाकाए निर्विकृति पुष्पदल और आचाम्न एकस्थान ऐसे द्विसयोगकी । ये शलाकाए चौथी, पाचमी, छठी और तेरहवी हैं । सकृत्कारी

१—अदृण्ड आदियज मिस्र सलागाउ तिरिण दायव्वा ।

सेसाण चत्तारिय पुध पुध ताण सुणसु ठाण ॥

असानुवीची यत्नप्रतिसेवा तृतीय दोषका प्रायश्चित्त द्विसयोगकी चार शलाकाए अर्थात् आठ शुद्धिया हें । निर्विकृति-आचाम्न निर्विकृति एकस्थान, आचाम्न क्षमण और एकस्थान क्षमण । ये शलाकाए क्रमसे सातवी, आठवी, चोदहवीं और पदहवीं हें । असकृत्कारी, असानुवीची प्रयत्नसेवा चौथे दोषका प्रायश्चित्त द्विम योगवाली चार शलाकाए अर्थात् आठ शुद्धिया हें निर्विकृति क्षमण, पुरुमडल आचाम्न पुरुम डल एकस्थान और पुरुम डल क्षमण । ये शलाकाए क्रमसे नोवीं, दशवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं हे । सकृत्कारी, सानुवीची, अयत्नसेवा पांचवे दोषका प्रायश्चित्त तीन स योगवाली चार शलाकाए अर्थात् वारह शुद्धिया हे । निर्विकृति पुरुम डल आचाम्न, निर्विकृति पुरुम डल क्षमण पुरुम डल आचाम्न क्षमण और आचाम्न एकस्थान क्षमण । ये शलाकाए क्रमसे सोलहवीं अठारहवीं, तेडसवीं और पचोसवीं हे । असकृत्कारी, सानुवीची, अयत्नसेवा छठे दोषका प्रायश्चित्त तीन स योगवाली चार शलाकाए अर्थात् बारह शुद्धिया हे । निर्विकृति पुरुम डल एकस्थान,

१ पदम दुश्ज तद्भा, चउ पचमिया य द्दुह तेरसमी ।

सत्तम अट्टम चौदसमी वि य परणारसी चेत्र ॥

२ णयदस एयद्वारसमी य बारसमी तद्द य चेत्र, साजसमी ।

अट्टारसमी वावीसिमा य पणवीसिमा, चेत्र ॥

पांचवें दोषकें ऊपर तेईसवीं शलाका बताई गई है और इस गाथामें बारसमी ।

निर्विकृति आचाम्न एकस्थान, निर्विकृति आचाम्न क्षपण, और पुरुष डल एकस्थान क्षपण । ये शनाकाए क्रमसे मत्तरद्वी, उन्नीसवीं वीसवीं और चोरीसवीं हैं । सङ्कटकारी असानुवीची अपत्यप्रतिसेवी सातवें दोषका प्रायश्चित्त त्रिसयोगवाली दो और चतुसयोगवाली दो अर्थात् चौदह शुद्धियाँ पञ्च चार शनाकाए हैं । निर्विकृति-एकस्थान-क्षपण और पुरुष डल आचाम्न एकस्थान, तथा निर्विकृति पुरुष डल आचाम्न एकस्थान और पुरुष डल आचाम्न एकस्थान क्षपण । ये शलाकाए क्रमसे इक्कीसवीं, बाईसवीं, छत्तीसवीं और तीसवीं हैं । असङ्कटकारी, असानुवीची अपत्यप्रतिसेवी आठवें दोषका प्रायश्चित्त चतुसयोगवाली शनाकाए तीन और पांचमयोगवाली शनाकाए एक एक चार शनाकाए अर्थात् सतरह शुद्धियाँ हैं, निर्विकृति पुरुष डल आचाम्न क्षपण, निर्विकृति पुरुष डल एकस्थान क्षपण, और निर्विकृति आचाम्न एकस्थान क्षपण तथा निर्विकृति पुरुष डल आचाम्न एकस्थान क्षपण । ये शलाकाए क्रमसे सत्ताइसवीं, अठाईसवीं, उनती

१ सत्तारसती पञ्चदशवीसमा षोडशमा य सत्रषोडशमा ।

इगिरीसदिमा त्रयोसदिमा य छत्तीस तीसदिमा ॥

सातवें दोषमें ऊपर चारसवीं शलाका बताई गई है और इस गायामें तीसवीं ।

सर्वाँ और एकतीसवाँ हे । इस तरह आठदोषोंकी कुल शनाकाए
 एकतीस आर शुद्धिया अस्सी होती हैं । सदृष्टि—

३ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४

३ ६ ८ ८ १० १० १४ १७

यहा भी ऊपर शनाकाओंकी सरया और नीचे शुद्धियों
 की सरया है ॥ २६ ॥

आलोचनादिक योग्ये कायोत्सर्गोऽथ सर्वकं ।

तपः आदि कचिद्देय यथा वक्ष्ये विधिं तथा ॥

अर्था—योग्य-व्यक्तिके दोषोंको जानकर आलोचना
 आदि शब्दसे प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक इनमसे एक या दो
 या तीन अथवा चारो प्रायश्चित्त देवे और कायोत्सर्ग भी देवे ।
 अथवा सभी आलोचनादि दश तरहके प्रायश्चित्त देवे । तथा
 किसी व्यक्ति विशेषको तप, आदि शब्दसे जेद मूल, परिहार
 और श्रद्धा ये पाच प्रायश्चित्त देवे ॥ २७ ॥

ये सत्र प्रायश्चित्त जिस विधिसे देने चाहिए, उसविधिको
 आगे कहने

यद्भीक्षण निषेव्येत परिहर्तुं न याति यत् ।

यदीपञ्च भवेत्तत्र कायोत्सर्गो विशेषधनं ॥ २८ ॥

अर्था—जो निरंतर सेवन करनेमें आते हैं, जो त्सागने
 में नहीं आते हैं और जो स्तोक हैं ऐसे दोषोंका प्रायश्चित्त कायो-
 त्सर्ग है । भावार्थ—चलना-फिरना आदि भी दोष है जो निर-

तर करने पड़ते हैं । भोजन पान करना भी दोष ही है । ये दोष दुस्त्याज्य हैं । सारांश—इन कर्तव्योंक करने पर कायोत्सर्ग नामका प्रायश्चित्त लाना चाहिए ॥ २८ ॥

अपमृष्टपरामर्शं कङ्कत्याकुचनादिषु ।

जलमैलादिकोत्सर्गे कायोत्सर्गः प्रकीर्तितः ॥

अर्थ—अपत्तिविरहित शरीरादि वस्तुओंसे स्पर्श हो जाना शर, खाना खुजाने का पैर आदिके फलाने सिफोडने आदि क्रियाक करने पर आर मन धूक आदि शब्दसे सकार आदि शारीरिक मल आदिके त्यागने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ २९ ॥

ततुच्छेदादिकं स्तोत्रे सक्लिष्टे हस्तकर्मणि ।

मनोमामिकमेवाया कायोत्सर्गः प्रकीर्तितः ॥

अर्थ—ततु (यागा) तोड़ना, आदिशब्दसे तृण चगेरटके तोड़नेका, अल्प सहेश उत्पन्न करनेका, पुस्तक आदिके सचय करनेका हस्तकर्मका आर इस उपकरणको इतने दिनोम बनाकर तयार कर गा इस प्रकार मनमें चितवन करनेका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है ॥ ३० ॥

मृदाथवा स्थिरैर्वाजैर्हरिद्विस्रसकायकैः ।

सघट्टने विपश्चिद्धिः कायोत्सर्गः प्रकीर्तितः ॥

अर्थ—पिटोसे स्थिरबीजोस आर

त्रस कायके साथ हाथ पैरोंका सघर्षण हो जाय तो विद्वानोंने उसका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग करना बताया है । ज़ा गेहूँ आदि को बीज कहते हैं । मर्दन करने (मसलने कुचलने) पर भी जो बीज नष्ट न हो उन्हें स्थिर बीज कहते हैं ॥ ३१ ॥

पांश्वालिसप्तपदस्तोत्रे विणोद् वा विपरीतकः ।

पुरुमडलमाप्नोति कत्याण कर्दमार्द्रपात् ॥ ३२ ॥

अर्थ—जिसके पैरोंपर धूल निपट रही है वह यदि पानीमें घुस जाय अथवा जिसके पैर गीले हैं वह यदि अपने पैर धूलमें रख दे तो उसका प्रायश्चित्त पुरुमडल है । तथा कीचड़ लिपटे पैरोंसे पानीमें चना जाय तो उसका प्रायश्चित्त एक-कल्याणक (प चक) है ॥ ३२ ॥

हरित्तृणे सकृच्छिन्ने छिन्ने वानन्तके त्रसे ।

पुरुमडलमाचाम्लमेकस्थानमनुक्रमात् ॥ ३३ ॥

अर्थ—हरे तृणोंक एक बार छेदन भेदनका प्रायश्चित्त पुरुमडल है । सूरण गहनो, स्तृणो, मूल, आद्रा आदि अनन्त-कायिक बीजोंक छिन्न भिन्न करनेका प्रायश्चित्त आचाम्न है (जिस वनस्पतिके मूलम दाखाग्रोम, पत्तोम असरपाते शरीर हों एक एक शरीरमें अनन्त २ जीव निवास करते हों एक जावके मरने पर अनन्तोंका भरण होता हो और एके उत्पन्न होने पर अनन्त उत्पन्न होते हो व जीव अनन्त कायिक है) तथा दो इन्द्रिय तीन इन्द्रिय आदि त्रम जीवोंके छेदन-भेदन करनेका

प्रायश्चित्त एकस्थान है । छेदनका अर्थ जानसे मार देनेका नहीं है किंतु उन चीजोंके एक देशके राइन करनेका है । जानसे मार देनेका प्रायश्चित्त जुदा है । यह प्रायश्चित्त उनके एक देश राइनमें है ॥ ३३ ॥

प्रत्येकेऽनन्तकाये वा त्रसे वाथ प्रमादतः ।

आचाम्ल चैकसस्थान क्षमण च यथाक्रम ॥३४॥

अर्थ—जो छिन्न भिन्न करने पर न लगे आर जिसके एक शरीरका स्वामी एक ही जीव हो ऐसे सुपारी नारियल आदि प्रत्येक कायिक हैं । इन प्रत्येककायिक वस्तुओंको प्रमाद-पूर्वक छिन्न भिन्न करनेका प्रायश्चित्त आचाम्ल—काजिकाहार है । प्रत्येककायिकसे विपरीत अनन्तकायिक होने ह जिनका स्वरूप ऊपरके श्लोकमें बता चुके हैं उन अनन्तकायिक वस्तुओंको प्रमाद पूर्वक छिन्न भिन्न करनेका प्रायश्चित्त एकसस्थान है । तथा प्रमादसे दो इन्द्रिय आदि तस जीवोंके छेदन भेदनका प्रायश्चित्त उपवास है ॥ ३४ ॥

व्यापन्ने सन्निधौ देया निष्प्रमादप्रमादिनो ।

पंच स्युर्नरिसाहाराश्चैक कल्याणक त्रसे ॥३५॥

आभीक्ष्ण्ये पचकल्याण पचाक्षे चापि दर्पत ।

प्रमादेनैककल्याण सकृदप्युपयोगत ॥ ३६ ॥

अर्थ—कमडलु भेषज आदि भाजनोको सन्निधि कहने है

जिसमें रक्ताजाय वह सन्निधि है । उसमें यदि प्रमाद या अप-
मादसे कोई जीव मर जाय तो अपमत्नको पाच निर्विकृति प्राय-
श्चित्त और प्रमादीको एक कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ।
यदि बार बार त्रस जीव मरे तो पचकल्याणक प्रायश्चित्त देना
चाहिए और दर्पसे अथवा सावधानी रखते हुए एक बार
पचेन्द्रिय जीव मरणको प्राप्त हो जाय तो एक कल्याणक
प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

सस्तरे यदि पचाक्षो व्यापद्येताप्रमादतः ।

पच निर्विकृतान्येककल्याण सप्रमादतः ॥ ३७ ॥

अर्थ—सावधानी रखते हुए भी सन्तर—सोनेके आधरे
पर यदि पचेन्द्रिय जीव मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त पाच
निर्विकृतिया है और यदि असावधानीसे मरे तो एक कल्याणक
प्रायश्चित्त है ॥ ३७ ॥

आवासद्वारमूले चेतपचाक्षो विगतासुकः ।

तन्निष्क्रान्तप्रविष्टानामेककल्याणक भवेत् ॥ ३८ ॥

अर्थ—रसतिक्ता (रहनेका स्थान) के दरवाजेके अध
प्रदेश (नीचेके हिस्से) में यदि पचेन्द्रिय जीव मर जाय तो
जितने बाहर निकले हो और भीतर गये हों उन सबके लिए एक
एक कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ३८ ॥

१—वसहियदुयारमूल रादा पचेदिषा मदे दिष्टो ।

जायदिया गीसरिदा पविसता एक कल्याण ॥

विरतेभ्यो गृहस्थेभ्यो न यत्नकथिते हते ।

वृश्चिकादौ गृहस्थेन क्षमण पचरु क्रमात् ॥३९॥

अर्थ—सयतों और असयतोंके निमित्त यत्नपूर्वक वा अयत्नपूर्वक कहने पर कोई असयत गृहस्थ विन्शु, विखी आदि जंतुओंको मार दे तो उसका प्रायश्चित्त ऋषस क्षमण और पचरु ह । भावार्थ—यत्नपूर्वक कहने पर मारे उसका प्रायश्चित्त क्षमण और अयत्नपूर्वक कहने पर मारे उसका एक कल्याणक है । पचरु यह कल्याणककी सज्ञा है । वह इसलिए है कि यह कल्याणक पाठ दिनभर समाप्त किया जाता है ॥ ३९ ॥

विरतेभ्यो गृहस्थेभ्यो न यत्नाभिहिते हते ।

सर्पादौ तु गृहस्थेन कल्याण मामिक पृथक् ॥४०॥

अर्थ—विरतों या गृहस्थोंके निमित्त यत्न अथवा अयत्न पूर्वक कहनेपर कोई गृहस्थ सर्प गोनस (गोप) आदि प्राणियोंको मार दे तो उसका प्रायश्चित्त ऋषमे एककल्याणक और पचकल्याणक है । भावार्थ—यत्नपूर्वक कहने पर मारनेका एक कल्याणक अयत्नपूर्वक कहने पर मारनेका पचकल्याणक है ॥

सयतेभ्य प्रयत्नेन विपीति कथिते हते ।

गृहस्थेनापि मशुद्धो वाससमित्या युतो यत् ॥४१॥

अर्थ—सयतोंके निमित्त प्रयत्नपूर्वक—शुद्धिभाषामें विषी (सर्प) इ यह कहने पर कोई गृहस्थ उसे मार दे तो वह निर्नाप है क्योंकि वह भाषासपित्तसे युक्त है ॥ ४१ ॥

आगाढकारणाद्वन्निर्निर्वात्यानीयमानकः ।

पंच स्युर्नरिसाहाराः कत्याण वा प्रमादिनि ॥४२॥

अर्थ—ऋषियोको यदि उपसर्ग हो या रोग आदि हो इस हेतुस लार्ई हुई अग्नि बुझा दे तो उसका प्रायश्चित्त पाच नीरस आहार (निर्विकृतिया) अथवा प्रमादवान् पुरुषके लिए एक कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ४२ ॥

गलानार्थं तापयन् द्रव्यं वन्निहज्वालां यदि स्पृशेत् ।
पच स्यू रूक्षभक्तानि कत्याण च मुहुर्मुहुः ॥४३॥

अर्थ—बीमार पुरुषके निर्मित्त उसका शरीर या ओर कोर उपकरण तथाते हुए यदि एक बार अग्निकी ज्वाला (लौ)-का स्पर्शन करे तो उसकी बुद्धि पच निर्विकृति आहार है और यदि बार बार स्पर्शन कर तो उसका प्रायश्चित्त एककल्याणक है ॥

विभावसोः ममारभ वैद्यादेजाद्यदि स्वय ।

अनापृच्छ्यातुर कुर्यात् पचकत्याणमश्नुते ॥४४॥

अर्थ—यदि बीमारको न पृच्छकर कवल वैद्यक कहनेसे स्वय अपने आप अग्नि ज्ञानका आरम्भ करे तो वह पच-कल्याणकको प्राप्त होता है । भावार्थ—इस तरहके आरम्भका प्रायश्चित्त पचकल्याण है ॥ ४४ ॥

विद्व्याद् ग्लानमापृच्छथ वेयावृत्य करोऽथवा ।

तस्य स्यादेककल्याण पञ्चकल्याणमातुरे ॥ ४५ ॥

अर्थ—अथवा वह वेयावृत्य करनेवाला रागाको पूज्यर
अग्नि जनाय तो उसक लिए एककल्याणक और उस रोगीके
लिए पञ्चकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ४५ ॥

कारणादामलादीनि सेवमानो न दुष्यति ।

वित्वपेश्यादि चाश्राति शुद्ध कल्याणभागथ ॥ ४६ ॥

अर्थ—व्याधिक निमित्त आपले, हरडा, उहेरटा, आदि
चोजोका सेवन करनेवाला दोषी नहीं है—निर्दोष है और
मिल्बग्गड, आम, करंड, बीजपूर (विजाग) आदि मामुक
चोजोका जो खाता है वह भी निर्दोष है परन्तु जो व्याधिरहित
होते हुए यदि सेवन करता है तो कल्याणप्रायश्चित्तका भागी
है ॥ ४६ ॥

रसधान्यपुलाक वा पलाहमूरणादिक ।

कल्याणमश्नुतेऽश्रन्वा मास कर्कोलकादिक ॥ ४७ ॥

अर्थ—जो पुष्प व्याधिसहित होता हुआ यथालाभ
(लाभानुसार) सेवन करते हुए भी तिक्त, कटुक, कषाय,
शाम्न, यदुर, लवण इन छह रसाका और शनी, घीही अथाव
भात आदिका परिमाणस अधिक सेवन करता है अथवा, लतुन
मूरण, कद, गिलोय आदि अननसाय चोजोका सेवन करता है

वह कल्याणकको प्राप्त होता है । तथा व्याधिरहित नीरोग होकर इनायची, लोंग, जातिफल, जातीपत्र, सुपारी आदिका सेवन करता है वह ५ चकल्याणकको प्राप्त होता है । भावार्थ—रमण अवस्थामें अत्यन्त लोभपताके साथ उहों तरहके रस और आहार तथा लसुन आदि अनतकाम चीजोंके सेवन करनेका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है । तथा नीरोग हालतमें इनायची, सुपारी आदि चीजोंके खानेके प्रायश्चित्त ५ चकल्याणक है ॥

कान्दर्प्ये यन्मृपावादे मिथ्याकारेण शुद्ध्यति ।

अननुज्ञातसशय्यखलादिकमलोज्जने ॥ ४९ ॥

अर्थ—कामकी उन्मत्तताके कारण थोडा असत्य बोलने पर 'मेरा दुष्कृत्य, मिथ्या हो' इस तरहके वचनमात्रसे शुद्ध निदोष हो जाता है । तथा आगममें निषिद्ध और निर्जन ऐस खलियान, रेत, तालाव, वृत्तोंकी जड आदि स्थान जहा मनोत्सर्ग करनेमें लोक नाराज होने हों वहा मनोत्सर्ग करने पर भी मिथ्याका वचनसे शुद्ध हो जाता है ॥ ४९ ॥

जघन्य तुत्यमूल्येन गृह्वानोऽपि विशुद्ध्यति ।

उत्कृष्ट मध्यम वाथ गृह्णतो मासिकं भवेत् ॥५०॥

अर्थ—जघन्य, अथवा मध्यम, अथवा उत्कृष्ट चीजोंको जो समान मूल्यमें खरीदता है वह बिना प्रायश्चित्तके शुद्धिको प्राप्त हाता है । और यदि चार टाकू आदिसे लेता है तो उसका प्रायश्चित्त ५ चकल्याणक है । भावार्थ—यह मुनियोंके प्राय-

श्रित्तका गय ह अत यहा उ हो चीजोंका समूह लगाना चाहिये जिनका मुनि धर्मस जुड़ समूह है । यहा टवत्कलम, नेतृलता आदि निरसनकी चीजें जघन्य है । पत्रजाति पद्मी, कमडलु आदि म प्रम चीजें ह । सिद्धान्त पुस्तक आदि उत्कृष्ट चीज ह । ऐसी जघन्य चीजें जघन्यमूल्यमें, मध्यम मध्यम मृत्यम आर उत्कृष्ट उत्कृष्ट मूल्यम अथवा उत्कृष्ट ओर मध्यम चीजें जघन्यमूल्यम आर जघन्य चीजें कम मूल्यम समीप करे वहा तक विशुद्ध है । हा ! यदि चार डाकू आदिसे ये चीज ले तो बड़ अवश्य दोषी ह अत इस दोषसे उन्मुक्त होनेका प्रायश्चित्त पंचकल्याणक है ॥ ५० ॥

तृणपचकसेवाया स्यान्निर्विकृतिपचक ।

दूष्याजिनासनानां च कत्याण पचक सकृत् । ५१ ।

अर्थ—शाली, रोही कोदर, कयु और रवक इनको तृणपचक कहते है इनके सेवन करनेका प्रायश्चित्त पांच निर्विकृति आहार है । तथा बस्र पचक, चर्मपचक और आसन पचकक एकवार उपभाग करनेका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है । दूष्य, मवार, चूरपट, चोप और बस्र ये पांच अथवा अरुडज, बीडज, बन्निज, बल्कन्नज, और शूद्रज ये पांच पचक होत ह । व्याधचर्म, मल्लुकचर्म, हरिणचर्म, मेपचर्म और अजाचर्म ये पांच अजिन या चर्म पचक हैं । तथा लोहासन, दडासन, पासदक, आयाणदक, और पोतक ये पांच आसनपचक है ॥ ५१ ॥

पंचकेऽप्रतिलेख्यस्य मासः स्यात् सेवने सकृत् ।
सदंशच्छेदसूच्यादिधारणे शुद्ध एव हि ॥ ५२ ॥

अर्थ—पाच प्रकारके अप्रतिलेख्यांक एक बार सेवन करने-
का प्रायश्चित्त पंचकल्याणक है । जो शोधनेमें न आवे उसे
अप्रतिलेख्य कहते हैं । उसकी सरया पाच है । तथा सदश
(सदसी) नखलु, मुई, आदि शब्दसे पत्रपत्री सलाई आदि
चीजे पास रखने पर शुद्ध ही है अर्थात् इनके ग्रहण करनेका
कोई प्रायश्चित्त नहीं ॥ ५२ ॥

संस्तरस्य निपद्यायास्तदिकाया उपासने ।

घटीसंपुटपट्टस्य फलकस्य न दूपिका ॥ ५३ ॥

अर्थ—साथरा, बैठनेकी चटाई, कमडलू, सपुट (कटोरे या
दोनेके आकारकी वस्तु) आसन और फलक (लकड़ीकी फड या
तखत) इन चीजोंको काममें लेनेमें कोई टोप नहीं है ॥ ५३ ॥

उपधौ विस्मृतेऽप्युच्चैर्मयमेऽथ जघन्यके ।

क्षमण कंजिकाहार पुरुमडलमेव च ॥ ५४ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य समयोपकरणके विस्मृत कर
देनेका प्रायश्चित्त क्रमसे उपवास, आचाम्न और पुरुमडल है ॥

दुःस्थापितोपधेर्नाशे सर्वत्रोत्कृष्टमध्यमे ।

जघन्ये मासिक पष्ठ चतुर्थं कजिकाशन ॥ ५५ ॥

अर्थ—अच्छी तरह नहीं रक्खा गया अतएव नष्ट हो गया

ऐसे सब तरहके सयमोपकरण (के नाश)-का प्रायश्चित्त पच कल्याणक है । तथा अच्छी तरह नही रखे हुए उत्कृष्ट सयमोपकरणके नाशका प्रायश्चित्त एक पट्ट (घेना) मन्थमका एक उपवास और जघन्यका आचाम्न प्रायश्चित्त है । सिद्धान्त पुस्तकादि उत्कृष्ट सयमोपकरण पिच्छी आदि मन्थम सयमोपकरण और कमडल्लु आदि जघन्य सयमोपकरण होते हैं ॥

पुरुपान्न तदध वा स्वल्पान्न वा समुत्सृजन् ।
अभोजनमथाचाम्ल पुरुमडलमश्नुते ॥ ५६ ॥

अर्थ—जितनेसे एक पुरुपका पेट भर सकता है उतना आहार छोड़ देनेवाला एक उपवास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । उससे आग या तिहई छोड़ देनेवाला आचाम्न प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । तथा स्वल्प थोडासा आहार छोड़ देनेवाला पुरुमडल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

आगतुकगृहे भुक्तः सार्द्रसोदकवन्धिके ।
सागारिरप्यवेलाया शुद्ध एव स चेत्सकृत् ॥ ५७ ॥

अर्थ—जो स्थान गीना है, जिसके निकट पानी है और अग्नि जल रही है ऐसे, आनेजानेवाले रास्तागिरोंके लिए बन-बाये हुए धर्मशानादि स्थानोंमें, गृहस्थोंके साथ, सोनेके असमयमें यदि एक बार कोई साधु सो जाय तो वह शुद्ध ही है—उसका मोक्ष प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ५७ ॥

वर्षास्वतुच्छकार्येण हिमे ग्रीष्मे लघीयसि ।
योजनानि दश द्वे च कार्ये गच्छन्त दोषभाक् ॥

अर्थ—वर्षा ऋतुमें देव आर आर्षसघ सवन्धी कोई बड़ा कार्य तथा शीतकाल और ग्रीष्मकालमें ज़ेदा कार्य आ उपस्थित हुआ तो उस कार्यके निमित्त वारह योजन तक कोई साधु चला जाय तो वह दोषी नहीं है, वारह योजनसे ऊपर गमन करनेवाला प्रार्थश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥

ऋतुवधमतिक्रामेन्मासेनाकारणाद्यदि ।
लघुमासो गुरुः स स्यात् सर्ववर्षाविभेदिनि ॥ ५९ ॥

अर्थ—किसी कार्यके अर्थ कहीं अन्यत्र जाना पड़े, वहाँ कार्य एक महीनेका ही है उससे अधिक समय बिना ही कारण व्यतीत कर दे तो उसका प्रार्थश्चित्त लघुमास है । यदि सारा वर्षाकाल बिता दे तो उसका प्रार्थश्चित्त गुरुमास है ॥ ५९ ॥

दर्पतः पंचकल्याण सारीनाड्यादिकेलिषु ।
हेतुवादे तु कल्याण शुद्धो वा विजये सति ॥ ६० ॥

अर्थ—अहकारवश सारी नाडी आदि क्रीडा करनेका प्रार्थश्चित्त पंचकल्याण है । सारी नाम जुआ खेलनेके उपकरणका चौपडका है । चार हाथकी पोली नालीको नाडी कहत है यह एक प्रकारका मंत्रका उपकरण है । अथवा राजाने कहा कि श्रमण चौपड आदि जुएके खेल नहीं जानते उसके इस कहने

पर अहंकारपूर्वक उन खेलोंके वादमें लग गये तो उसका श्चित्त एक कल्याणक है । तथा हेतुवाद अर्थात् वाद विवादमें लग जाये और पराजय हो जाय तो मायश्चित्त कल्याणक है । अगर विजय हो जाय तो मायश्चित्त नहीं है ॥ ६० ॥

धूलिप्रहेलिकागाथाचक्रकूलान्ताक्षरोक्तिपु ।
तृणपासविपाशेऽपिपुरु मडलमीरित ॥ ६१ ॥

अर्थ—पांशुकीडा (धूलिके खेल) परम्पर प्रहेलिया बोनना गाथाचतुष्टय घोनना, अन्त अन्तरका बानकर उसका मतलब पृजा, पद चक्र, वचन प्रति वचन कहना, तृणवध छुड़ाना इत्यादि अनेक बातें हैं उनमें लग जानेका मायश्चित्त पुरुषद्वारा कदा गया है ॥ ६१ ॥

धातुवादेऽथ योगादिदर्शने द्रव्यनाशने ।
स्वपक्षैर्वीक्षिते देय कल्याण मासिकं परैः ॥ ६२ ॥

अर्थ—धातुवाद, योगादिदर्शन और द्रव्यनाशन इन विषयोंको यदि अपन पक्षके लोग देख ले तो उसका मायश्चित्त कल्याणक देना चाहिए और यदि परपक्षवाले विध्य दृष्टि लोग देख ले तो पक्षकल्याण मायश्चित्त देना चाहिए सोना चादी आदि धातुओंमें क्रियाओं द्वारा वर्णोंकी उत्कर्षण आदि दिखाना धातुवाद है । कपूर, कस्तूरी, केशर, कुव

आदि सुगणियुक्त कृत्रिम द्रव्य बना देना योगादिदर्शन क्रिया है । दही दूध आदि नाना प्रकारकी चीजोंको नष्ट कर देना द्रव्यनाश है । इस तर्ककी क्रियाएँ विशेष प्रयोगों तथा मन्त्र आदिके जरिये की जाती हैं ॥ ६२ ॥

समासाद्यगसर्घर्षसूत्रकदुककेलिपु ।

पणने नखपिच्छांहिजघावीणादिवादने ॥ ६३ ॥

स्वपक्षैर्वीक्षिते देयाद्भूतक्रीडाप्रदर्शने ।

पुरुमंडलमुद्दिष्ट कल्याण च परेक्षिते ॥६४॥ युग्मं

अर्थ—एक पद्य, आदि शब्दसे काव्य, पत्रका आशामाग चौथाई भाग आदि समासादि हे इनकी रचना न जानते हुए भी स्पर्श करना कि मैं ने यह एक श्रव्य (मुनने योग्य) काव्य बनाया है ऐसा आप भी बनाइये, मैं ने यह श्लोकका पूर्वार्ध बनाया है आप उसका उत्तरार्ध बनाइये, मैं ने यह श्लोकका पाद (चौथा हिस्सा) बनाया है आप भी उससे मिलता जुनता दूसरा पाद बनाइये इत्यादि समासादि क्रीडा है । परस्परमें एक दूसरेके शरीरका मपीठन करना अङ्गसर्ष क्रीडा है, सूत्रक्रीडा रस्मा खेचना, गेंद आदिके खेल कदुकक्रीडा है । इत्यादि क्रीडाओंमें होठ करना (सरियद लगाना) तथा नख, पिच्छी, पर आर जघा द्वारा वीणा आदि बाजे बजाना तथा किसी चीजको भूतों द्वारा ग्रहण करा कर प्रकाशन कराना इस

तरहकी भूतक्रीडा दिखाना । इन सब क्रीडाओंको करते हुए यदि स्वपत्त अपने धर्मावलम्बी देखने तो पुरुमटल प्रायश्चित्त देना चाहिए और यदि विधर्मी लाग देख ले तो कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६३-२४ ॥

मनसा काममापन्ने निंदातीत्राभिलाषिणि ।

मासो मैथुनमापन्ने चतुर्मासा गुरुकृताः ॥ ६५ ॥

अर्थ—‘काप सेवन करू’ इस प्रकार मयम मनमें कामरूप परिणत होनेके पश्चात् हाय ! मुक्त पापबुद्धि मदभाग्यने बुरा चितवन किया इस प्रकार आत्मामें निन्दा कर अनन्तर उससे तीत्र अभिनापो होने पर अर्थात् मनसे चितवन करनेके अनन्तर कामोद्रेक होनेसे तीत्र अभिनापा युक्त होने पर पचबल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा मैथुन सेवा कर लेने पर गुरुकृत अर्थात् एकान्तरोपवासपूर्वक चार मास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६५ ॥

मासः सौंदर्यवीर्यार्थं रसायननिपेवणे ।

विशुद्धो द्विविधे हासे कल्याण तु सकुत्कुचे ॥ ६६ ॥

अर्थ—शरीरमें सुन्दरता लाने और बल प्रदानके निये औषधि सेवन करनेका पचकल्याण प्रायश्चित्त है । दो तरहकी हैंसी हैंसनेका काइ प्रायश्चित्त नहीं है । एक—हायोंसे मुख ढँक कर हसना, दूसरी—ओठोंको थोडा रोल कर हसना, यह

सयतोंको दो तरहकी दृष्टी है, तथा जिस दृष्टीके दृष्टनेमें सारा शरीर हलने लग जाय तो उसका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है ॥ ६६ ॥

मृद्धरित्सगताम्बु परिहर्तुं विलघने ।

मार्गे सत्यपि कल्याण विशुद्धः पथिवर्जितः ॥६७॥

अथ—मिट्टीका ढेर, दरी घास, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चीइन्द्रिय पचेन्द्रिय अस जीव, खड्डा, और जन इन चीजोंको रास्ता होते हुए भी उनसे बचनेके लिए उन्हें लाघ कर जाय तो कल्याणक प्रायश्चित्त है । तथा मार्ग न होनेके कारण उन्हे लाघना पडे तो कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ६७ ॥

मोहायनांगुलिस्फोटे पुरुमर्दोऽपवीक्षणे ।

कल्याण पचकल्याणं कटाक्षेऽसज्जिवीक्षते ॥६८॥

अथ—मुत्तसे 'टच' करने और अंगुली चटकानेका प्रायश्चित्त पुरुमडल है । टेढी नजरसे देखनेका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है । तथा कटाक्षमरी दृष्टिमे देखनेका जिसको कि मिथ्यादृष्टि देख लें तो पचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ६८ ॥

ज्ञानगर्वादिभिर्मत्तो रत्निनो योऽपमन्यते ।

तद्दर्पदोषघाताय पचकल्याणमश्नुते ॥ ६९ ॥

अर्थ—जो ज्ञानमद, जातिमद, कुलमद, आदि मर्दोंसे उन्मत्त होकर 'रत्नत्रयधारी साधुओंका अपमान करता है वह

अपने चस दर्पणव्य दापके धात बिनाइ करनेके लिए पच कल्याणकी मात्र होता है ॥ ६६ ॥

समुत्पन्नक्षणोदुध्वस्ते मिथ्याकार. कषायके ।
स्यात्कल्याणमहोरात्रे मासिक च ततः पर ॥७०॥

अर्थ—कषाय उत्पन्न होकर अनन्तर क्षणमें नष्ट हो जाय तो 'मिथ्या ये दुक्कट' येरा दुष्कृत मिथ्या हो इस प्रकारका प्रायश्चित्त है । यदि अनन्तर क्षणमें मिथ्याकार न करे और एक दिन-रात जीत जाय तो चसका प्रायश्चित्त एक कल्याणक है । इसमें ऊपर पचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ७० ॥

विकथासु पुरुमर्द. स्यादाभीक्षण्ये च पचक ।
तात्पर्ये दृक्श्रुतो गर्हा कल्याण निर्गते वहिः ॥७१॥

अर्थ—एक बार स्त्रीकथा आदि विकथाओंके करनेका प्रायश्चित्त पुरुमर्दन है । बार बार कर का पचक है । ललित, लास्य, ताटव आदि नृत्य विधियोंको उपयोग लगा कर देखने का और षटम, ऋषभ, गांधार, पचम, धैवत और निषाद इन छह स्वरोंको यन लगा कर सुननेका प्रायश्चित्त गर्हा—आत्म निंदा है । तथा चसतिकासे बाहर निकलकर इनके देखने सुननेका प्रायश्चित्त कल्याणक है ॥ ७१ ॥

१ उभयोपि कषाये मिथ्याकारं न तदक्षयो कुत्रा ।

पणवमहोत्सगरे तेण पर मासिप खेरो ॥ १ ॥

रूक्षभक्तं विजीवेऽपि सजीवे पुरुमंडल ।

आभीक्ष्ण्ये च निघृत्ते च घ्राते पचकमुच्यते ॥७२॥

अर्थ—निर्जीव वस्तुको सू घनेका प्रायश्चित्त निर्विकृति, सचित्तको सू घनेका पुरुमंडल, और वार वार सू घनेका और त्याग की हुई वस्तुको सू घनेका प्रायश्चित्त कल्याणक है ॥७२॥

सेवमाने रसान् गृह्यथा पचक वा न दोषता ।

शीतवातातपानेव सेवमानो विशुद्ध्यति ॥७३॥

अर्थ—दूध, दहि, गुड आदि छह तरहके रसोंको लोलुपता पूर्वक सेवन करनेका प्रायश्चित्त कल्याणक है । यदि ये रस यथालाभ प्राप्त हों तो उनके सेवनमें कोई दोष नहीं है—अर्थात् उसका कुछ भी प्रायश्चित्त नहीं है । तथा अनासक्तिपूर्वक हवा, गर्मी और शीतको सेवन करने वाना भी शुद्ध है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है ॥ ७३ ॥

प्रावारसंस्तरासेवे सवाहे परिमर्दने ।

सर्वांगमर्दने चैवाहेतोः पचकमंचति ॥ ७४ ॥

अर्थ—व्याधि आदि कारणोंके विना, सयमी जनके अयोग्य और गृहस्थोंके योग्य वस्त्र ओढ़ने, शय्या पर सोने, अपथपी लगवाने, हाथ पैर दबवाने और तैल मालिस कराने पर कल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥

उच्छीर्षस्य विधानेऽपि प्रतिलेखस्य हृच्छदे ।

मस्तकावरणाद्देय कल्याण वा न दुष्यति ॥७५॥

अर्थ—तक्रिया लगाने, पिच्छोसे हृदय ढकने और तिर ढकनेका प्रायश्चित्त कल्याणक देना चाहिए । यदि व्याधिवश ऐसा कर ले तो उसका कुछ भी प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ७५ ॥

छत्रोपानहससेवी शरीरावारकारकः ।

मार्गधर्माद्धि कल्याण लभते शुद्ध एव वा ॥७६॥

अर्थ—रास्ते चलते समय नगे पेर चन्ननेमें असमर्थ होनेके कार७ पैरोंमें जूते पहन लेने और धूपके कागण पत्तोंका उत्ता बनाकर शिर पर तान लेने अथवा पत्तोंसे शरीरको ढक लेने वाला कल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । यदि व्याधिवश उक्त कर्तव्य करे तो शुद्ध हो है, उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ७६ ॥

अयान. प्रथमे यामे काले शुद्धेऽपि पचकात् ।

शुद्धेयदथ विसशुद्धौ लभते पुरुमडल ॥ ७७ ॥

अर्थ—कालशुद्धि होने पर भी यदि शास्त्र पढ़े बिना रात्रिके प्रथम पहरमें सो जाय तो कल्याणक प्रायश्चित्तसे शुद्ध होता है और यदि कालशुद्धि रहित समयमें सो जाय तो पुरुमडल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥

शयालुर्दिवसे ज्ञेते चेत्कल्याण समश्नुते ।

अतोऽन्यस्य भवेद्देयो भिन्नमासो विशुद्धये ॥७८॥

अर्थ—जिसका सोनेका स्वभाव पडा हुआ है वह यदि दिन-में सो जाय तो कल्याणका प्राप्त होता है अर्थात् उसे कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए । और जिसका स्वभाव सोनेका नहीं है वह यदि दिनमें सो जाय तो उसको उसकी शुद्धिके लिए भिन्नमास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ७८ ॥

हस्तकर्मणि मासाहं गुरौ लघुनि पचक ।

शुद्धश्च पंचक मासञ्चतुर्मास्यां लघौ गुरौ ॥७९॥

अर्थ—एक महीने भरमें बनाकर तयार करनेयोग्य पुस्तक कमडलु आदि चीजोंको निरंतर बनाता रहे अथवा अप्रासुक द्रव्यसे बनाव तो कल्याणक प्रायश्चित्त है और यदि लघु अर्थात् स्वाभ्यास-व्याख्यानका न छोड़ कर अयकाशके समयमें प्रासुक वस्तु तयार करे तो कोई प्रायश्चित्त नहीं है । तथा यदि चार महानेमें हस्तकर्म अर्थात् पुस्तक कमडलु आदि यथा-वसर प्रासुक द्रव्यसे तैयार करे तो कल्याणक प्रायश्चित्त है और यदि गुरु अर्थात् स्वाभ्यास छोड़कर निरंतर अप्रासुक द्रव्यसे तैयार करे तो पचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ७९ ॥

पार्श्वस्थानुचरे बाह्यश्रुतिशिक्षणकारणात् ।

करणीकाव्यशिक्षायै मिथ्याकारेऽथ पचक ॥८०॥

अर्थ—न्याय, व्याकरण, छंद, असकार, कोप आदि बाह्य

शास्त्रोंका तथा ज्योतिष गणित आदि करणशास्त्र और योग
 प्रादि सत्र-री काव्योंकी शिक्षाक निमित्त यदि सम्यग्
 ज्ञान, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तपसे वहि
 भूत (रहित) पार्श्वस्थकी कोई मुनि सेवा या उपकार करे तो
 उस मुनिक निष् मिथ्याकार प्रायश्चित्त है । और यदि इन
 कारणोंक बिना पार्श्वस्थका उपकार करे तो पंचकल्याणक
 प्रायश्चित्त है ॥ ८० ॥

व्याधौ सुदुस्सहे यत्नाद्भेपजे प्रासुके कृते ।

मिथ्याकारोऽथ कल्याणमयत्नान्मासपचके ॥८१॥

अर्थ—असह्य व्याधिके होने पर यत्रपूर्वक प्रासुक औपधि
 करनेमे मिथ्याकार प्रायश्चित्त और सह (सहन करने योग्य)
 व्याधिके होने पर यत्रपूर्वक प्रासुक औपधि करनेमे कल्याणक
 प्रायश्चित्त है । तथा अयत्नपूर्वक अन्धी तरह सहन करनेयोग्य
 व्याधिके होने पर औपधोपचार करनेका प्रायश्चित्त पंचकल्या-
 णक और दु सह व्याधिके हाने पर आपधोपचार करनेका
 कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८१ ॥

समित्यासादने शोके मिथ्याकारश्चिर धृते ।

अश्रुपाते च कल्याण रसगृद्धे द्विलापिनि ॥८२॥

अर्थ—दर्यापथ आदि पांच समितियोंका आसादान अर्थात्
 र्वस्पर्ण हो जान और चातुर्वर्ग्यका वियोग हो जाने या

पुस्तक आदिके फट जाने पर थोड़ा शोक करनेका प्रायश्चित्त मिथ्याकार वचन है । तथा इस शोकको बहुत काल तक करते रहने, आसु डाल डालकर रोने और दधि दुग्ध आदि रसोंमें अत्याशक्ति होने पर दूसरेको कहनेका कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८२ ॥

सचित्तात्राकिते भग्ने स्यादकेस्थितिदडन ।

बह्वजीवे भवेन्निन्दा सजीवे भक्तवर्जन ॥ ८३ ॥

अर्थ—क्या यह सचित्त है या सचित्त नहीं है इस तरह आशका हो जाने पर उस वस्तुके मर्दन कर देनेका एकस्थान दड है । बहुतसी प्रासुक चीजोंको मर्दन करनेका प्रायश्चित्त आत्म-निन्दा करना है तथा सजीव चीजोंको मर्दन करनेका अप-वास प्रायश्चित्त है ॥ ८३ ॥

शय्यायामुपधौ पिडे शंकायामुद्गमैर्हते ।

उत्पादैश्चतुर्मास्यां मासो मासेऽपि पचक ॥ ८४ ॥

अर्थ—शय्या, उपकरण और आहारमें शका हो गई हो कि क्या यह आहार सदीप है या निर्दोष । तथा उद्वेशिकादि सोलह उद्गमदोष और धात्रीदूत आदि सोलह उत्पाद दोष सयुक्त आहार ग्रहण कर लिया हो और चार माह घीत गये हों तो उसका पचकल्याणक प्रायश्चित्त है और एक महीना न्यतीत हुआ हो तो एक कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ८४ ॥

अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।

पुन्यदो यत्रो जन्माद्विबलादिप्रवेगने ।

अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।

अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।
 अथ विद्वत्-सुन्दर ।

मायमाणान् विलोक्याश्च श्वोरादीनेति पंचक ।
 भिन्नमासमथो निन्दां पंचकं प्रियमाणकान् ॥

अथ—यदि कोई व्याधिसे ग्रसित सातु दूसरों को मार
 हुए चारोंको देखकर आहार ग्रहण कर ले तो वह कल्याणक
 मायश्चित्तको प्राप्त होता है और यदि व्याधिग्रसित नहीं है
 नीरोग है तो भिन्न मास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । तथा मरे
 हुए चारोंको देखकर बीपारीवश आहार ग्रहण करे तो आत्म-
 निदाको प्राप्त होता है अर्थात् अपने आप अपनी निदा करना
 कि हाथ में न बुरा किया इत्यादि यही इस दोषको शुद्धिका
 प्रायश्चित्त है और यदि बीपार न होकर मरे हुए चारोंको देख

कर आहार ग्रहण करे तो एककल्याणक प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ ८२ ॥

शब्दाद्भयानकाद्रूपादुत्त्रस्येदंगमाक्षिपेत् ।

मिथ्याकारः स्वनिंदा वा पचकं वा पलायने ॥९३॥

अर्थ—भयानक शब्द सुनकर या आकृति देखकर कपने लग जाय और शरीर गिर पड़े तो उसका क्रमसे मिथ्याकार और आत्मनिंदा प्रायश्चित्त है । तथा डरके मारे भग जाय तो कल्याणक है । भावार्थ—भयानक शब्द सुनकर और आकृति देख कर शरीर कपकपाने लग जाय तो 'मिथ्या मे दुष्कृत' पेश दुष्कृत मिथ्या हो यह मिथ्याकार उचन उस दोषकी शुद्धिका प्रायश्चित्त है । और यदि उक्त कारणोंवश शरीर गिर पड़े तो उसकी शुद्धिका उपाय अपनी निंदा कर लेना है । तथा उक्त कारणोंको पाकर भग जाय तो उसका एक कल्याणक प्रायश्चित्त है । यहा पर दोनों वा शब्द विकल्पार्थक हैं जो कचिद् अवस्थाविशेषम व्यभिचारको सूचन करते हैं अर्थात् व्याधि आदिके वश उक्त दोष लग जाय तो प्रायश्चित्त नहीं भी है ॥८३॥

कराद्याकुंचने स्पर्धादायामे पुरुमडल ।

उत्क्षेपे पंचक मासः पापाणस्य लघोर्गुरोः ॥९४॥

अर्थ—सवर्षस्यवश हाथ पंर आदिको सिकोड लेने और पसार देनेका प्रायश्चित्त पुरुमडल है । तथा छोटे पत्थर फेंकने-

का एव बल्याणक घात बद्धे पथर फेरनेका
मायश्चित्त है ॥ ८४ ॥

प्रधानयति धावेद्धा वर्षाद्दन्हेरभिन्नमन् ।

स्वनिंदा वाथ कल्याण मामो ॥ ८५ ॥

अर्थ—जा वर्षाम अथवा शक्तिमें छर कर भारोंको मगन
है अथवा स्वयं भगता है यह यदि व्याधियुक्त है तो मायश्चित्त
मायश्चित्तको और व्याधिरहित है तो बल्याणक मायश्चित्तको
माह होता है । तथा शीघ्रता दिग्बानयनेके लिए पचरत्न्याण
मायश्चित्त है ॥ ८५ ॥

पिपीलिकादिभीमासाधारणे स्यात्प्रतिक्रमः ।

चिर क्रीडयतो देय कर्याण मलजोधन ॥ ८६ ॥

अर्थ—पीपी, जू, खटपल, डांस, सर्प, मनुष्य आदिकी
मत्र तत्र आदि शक्ति द्राग चाल राक डेनेका मायश्चित्त मक्ति-
जपण है । तथा बहुत काल तक क्रीडा करते हुएको बल्याणक
मायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८६ ॥

विद्याभीमासने योगप्रयोगे प्रासुकैः कृते ।

शुद्धयेदप्रथमयुक्तैर्लघुमास समश्नुते ॥ ९७ ॥

अर्थ—रोहिणी, महाति, वज्रशुद्ध आदि विद्याए सिद्ध
हुए या नहीं उस विषयकी परीक्षा करनेके लिए गंध, अक्षत
पुष्प, धूप आदि प्रासुक पूजा द्रव्यों द्वारा आपविमयोग करनेके

। प्रायश्चित्त नहीं है और यदि अप्रासुक द्रव्यों द्वारा औषधि-
ग करे तो उसका लघुपास प्रायश्चित्त है ॥ ९७ ॥

जानः सयते शुद्धो दिदक्षुर्वीर्यमोषधेः ।

हस्ये मासमाप्नोति चार्यायां पचकं न वा ॥९८॥

अर्थ—औषधिका सामर्थ्य देखनेके लिए यदि साधुमें
पका प्रयोग करे तो शुद्ध है—कोई प्रायश्चित्त नहीं । गृहस्थमें
दि प्रयोग करे तो पचकल्याणक प्रायश्चित्तका भागी होता
। तथा आर्यिकामें प्रयोग करे तो कल्याणकको प्राप्त होता है ।
थवा धर्म पुण्या अर्थात् पुण्यवनी आर्यिकामें प्रयोग करे तो
र्याश्चत्को नहीं भी प्राप्त होता है ॥ ९८ ॥

जज्ञामुर्भेपजं वीर्यं सर्पादीनां प्रदर्शयेत् ।

मिथ्याकारो विपन्ने स्युश्चतुर्मासा गुरुकृताः ॥

अर्थ—औषधिकी शक्ति जाननेका इच्छुक यदि सर्प,
नस, चूहे आदिमें उस आपधिका प्रयोग करे तो मिथ्याकार
यश्चित्त है और यदि वे सर्पादि इस औषधिप्रयोगसे पर
प तो उसका प्रायश्चित्त निरन्तर चार मास है अथवा
रन्तर चार पचकल्याणक है । व्यवधानरहित एक दिनके
न्तरमे चार माह तक उपवास करना चतुर्पास है ॥ ९९ ॥

। भोगे पादसंशुद्धा उद्धर्तादावभोजन ।

चकं च यथासख्य शृगारे मासिकं विदुः ॥१००॥

अर्थ—स्त्रीजन अथवा ग्निधादृष्टियोंके देखते हुए यदि पर

प्रदान करे तो उपराम और उदर्यन. तैमने मामिम कर्त
 करे तो रन्त्याणक मायिधिल्येना पारिए । पारिए चं इरु
 कतो हुई पातका ममुषय करता है. इमने था मयजना कि क्त
 बीमार है तो कौरे मायिधिल्ये नही है तथा मुद्दार करे तो उपर
 मायिधिल्ये आगार्यणक पयरन्त्याणक पतां है ॥ १०० ॥

सर्वभूरिषु भांडेषु मय्यमेप्यमध्यमेषु च ।

पष्ठ चतुर्थमेवैकस्थिति. मौवीरभोजनं ॥१०१॥

अर्थ—वैपाटन्य करनेक निष् जिनने भर पाय माये जे
 घन सबके मत्वात्तन वरनका मायिधिल्ये एक पष्ठ है । उरुके
 थोट पारोक मत्वात्तनका उपराम मायिधिल्ये है । उसने जे
 थोट अर्थात् मध्य दर्जक पारोक मत्वात्तनका एकस्थान मय-
 धिल्ये है और सबस थोटे पारोक मत्वात्तनका मायिधिल्ये
 आचाम्न है ॥ १०१ ॥

शुद्धेष्वपि च सशुद्धौ कात्स्न्येनाथ पृथक्पृथक्
 शोभायै मामिक चैवमापन्नेष्वप्यशुद्धेषु ॥१०२॥

अर्थ—शुद्ध होने हुए भी वर्तनोंको एक या जुदे जे
 शोभाके निषे मत्वात्तन करनेका प रन्त्याण मायिधिल्ये दे
 वाहिए और मत्वात्तन करने योग्य अशुद्ध वर्तनोंको मत्वात्
 करनेका भी प रन्त्याणक मायिधिल्ये देना चाहिए । मायार्ये
 निधिल्ये जानकर मायिधिल्ये देना चाहिए क्योंकि इतके आ

रिक्त यह भी प्रायश्चित्त समव है कि प्रक्षालन करनेयोग्य पात्रोंके प्रक्षालन करनेका उपास और इसमें भी यदि अधिक सावधानी अपेक्षा हो तो पचकल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १०२ ॥

अन्नपानविलिप्त वा यावत्तावद्विशोधयन् ।

विशुद्धः कृत्स्नसशुद्धौ मासिक समुदाहृतं । १०३ ।

अर्थ—अथवा जितने वर्तनों पर दाल भात आदि अन्न पान चिपटा हुआ है उतने वर्तनोंको प्रक्षालन करनेवाला विशुद्ध है प्रायश्चित्तका भागो नहीं है । और जिनपर अन्न पान चिपटा हुआ है और नहीं भी चिपटा हुआ है उन सबके प्रक्षालन करनेका पचकल्याणक प्रायश्चित्त कहा गया है । अथवा यह प्रायश्चित्त वैद्यावृत्यके निमित्त पात्रोंको धोने और अपने वस्त्र, भित्ताके पात्र आदि उपकरणोंके धोनेमें आर्पिकाके लिए समझना चाहिए ॥ १०३ ॥

वृषादिवारणे शुद्धः स्याद्वर्षासु तु पञ्चक ।

सागारवसतौ स्तेनप्रवेगे जोषमास्थितः ॥ १०४ ॥

वीक्ष्यमाणहृतौ मासः कल्याणमहतावृतोः ।

वसतावनले स्तेनप्रविष्टे शब्दकृच्छुचिः ॥ १०५ ॥

अर्थ—ब्रह्म, घोडे, गये आदिको रोक देने-भीतर न शाने देनेका प्रायश्चित्त कुछ नहीं है । वर्षाकालमें रोक देनेका कल्या-

प्रक्षालन कर तो उपवास और उवटन, सेलसे मानिन चारि करे तो कन्याणक मायश्चित्त देना चाहिए । यद्यपि 'च' शब्द न कही हुई थातका समुच्चय करता है, इसमे यह समझना कि अरु बीमार हो तो कोई मायश्चित्त नहीं दे तथा शृङ्गार करे तो उसका मायश्चित्त आचार्यगण पचकल्याणक बताते हैं ॥ १०० ॥

सर्वभूरिषु भाडेषु मध्यमेष्वमध्यमेषु च ।

पष्ठ चतुर्यमेवैकस्थितिः सौवीरभोजन ॥१०१॥

अर्थ—पंचाटत्य करनेक निष् जितने भर पात्र साये त्रय वन सबके प्रक्षालन करनेका मायश्चित्त एक पष्ठ है । उनमें से थोटे पात्रोंके प्रक्षालनका उपवास मायश्चित्त है । उसमें भी थोटे अर्थात् मध्य दर्जेके पात्रोंक प्रक्षालनका एकस्थान मायश्चित्त है और सबसे थोटे पात्रोंके प्रक्षालनका मायश्चित्त आचार्य है ॥ १०१ ॥

शुद्धेष्वपि च सशुद्धो कात्स्न्येनाथ पृथक् पृथक् ।

शोभाये मासिक चैवमापन्नेष्वप्यशुद्धेषु ॥१०२॥

अर्थ—शुद्ध होत हुए भी वर्तनोंको एक या जुदे जुदे शोभाके लिय प्रक्षालन करनेका पचकल्याण मायश्चित्त देना चाहिए और प्रक्षालन करने योग्य अशुद्ध वर्तनोंको प्रक्षालन करनेका भी पचकल्याणक मायश्चित्त देना चाहिए । भावार्थ—निषिद्ध जानकर मायश्चित्त देना चाहिए पर्योकि इसके अति

अधिकारी नहीं है । तथा गृह-पति, आदि शब्दसे दानपतिका प्रासुकद्रव्यसे वेयावृत्य करनेवाला भी निर्दोष है—अतः प्रायश्चित्तका भागी नहीं है । शय्यागार शब्दका अर्थ गृहपति है । गृहपति शब्दसे वह गृहपति ममभूता चाहिए जिसके कि मकानमें ठहरे हुए है ॥ १०७ ॥

अन्यतीर्थिगृहस्थेषु श्रावकज्ञातिकादिषु ।

वैयावृत्ये कृते शुद्धो यदि संयमसन्मुखः ॥१०८॥

अर्थ—कापालिक आदि गृहस्थोंका, सम्यग्दृष्टि श्रावकोंका, अपने स्वजनोंका, आदि शब्दसे ओरोंका भी वैयावृत्य करने पर यदि वह वेयावृत्य करनेवाला सधम पाननेमें तत्पर है तो शुद्ध है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है ॥ १०८ ॥

अभ्युत्थास्यत्यय हीति ज्ञात्वा पार्श्वस्थकादिकैः ।
समाचरन् शुचिः स्तोकं सर्वसभोगभागपि ॥

अर्थ—यह आसनसे उठकर खड़ा होगा ऐसा समझ कर पार्श्वस्थ, कुशील, अवसन्न, मृगचारी और ससक्त इन पाचोंके साथ उचित व्यवहार या समान आचरण करनेवाला साधु पवित्र है, निर्दोष है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है तथा स्वल्पकाल पर्यंत विनय वदना स्वाध्याय आदि करता, हुआ भी पवित्र है । अनंतर यदि वे पार्श्वस्थादि अभ्युत्थान अर्थात् उठ कर खड़े न हों तो सर्वसभोग विनयवदना स्वाध्याय आदि न करे ॥

एक प्रायश्चित्त है। किसी गृहस्थक चेसालयमे सोते हुए भीतर चौर घुस आवे, आप चुपचाप बैठा रहे, उसके देखते देखते चौर चोरीकर मान ले जाय तो पचकल्याणक प्रायश्चित्त है। पास चुराकर न ले जाय तो कल्याणक प्रायश्चित्त है। तथा दो पास से ऊपर बर्ही उहरा ग्हे—अर्थात् वर्षाकाल बीत जाने पर भी गृहस्थके मकान पर निवास कर रहा हो उस समय मकानमें अग्नि लग जाय या चौर घुस आवे तो 'मकानमें आग लग गई, चौर घुस आवे' इस प्रकार शब्द करे तो शुचि निर्दोष है—उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं ॥ १०४ १०५ ॥

पश्चात्कमभयात् सम्यग्भग्नमुत्पतित स्वय ।

सस्कुर्वन् प्रासुकैः शुद्धो वर्षाभ्यः पचक व्रजेत् ॥

अर्थ—यह अवश्य करना चाहिए इसको पश्चात्कर्म कहते हैं। इस पश्चात्कर्मके भयसे गिर पडनेसे उत्पन्न हुए घावका स्वयं प्रासुकद्रव्योंसे सस्कार (इलाज) करनेवाला शुद्ध है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है। तथा वर्षाकालके अनन्तर सस्कार करनेवाला कल्याणक प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १०६ ॥

सम्यग्दृष्टिरिति स्नेह वात्सल्याद्विदधच्छुचिः ।

शय्यागारादिकस्यापि वैयावृत्ये विजन्तुकैः ॥

अर्थ—“यह सम्यग्दृष्टि है” इस काग्य वात्सल्यधर्मके अनुसंगवश उस पर स्नेह करनेवाला साधु पवित्र है, प्रायश्चित्तक

अधिकारी नहीं है । तथा गृह-पति, आदि शब्दसे दानपतिका
 प्रामुक्यसे वैयावृत्य करनेवाला भी निर्दोष है—अतः प्राय-
 श्चित्तका भागी नहीं है । शय्यागार शब्दका अर्थ गृहपति है ।
 गृहपति शब्दसे यह गृहपति समझना चाहिए जिसके कि-
 मकानमें ठहरे हुए है ॥ १०७ ॥

अन्यतीर्थिगृहस्थेषु श्रावकज्ञातिकादिषु ।

वैयावृत्ये कृते शुद्धो यदि संयमसन्मुखः ॥१०८॥

अर्थ—नापालिक आदि गृहस्थोंका, सम्यग्दृष्टि श्रावकोंका,
 अपने स्वजनोंका, आदि शब्दसे औरोंका भी वैयावृत्य करने पर
 यदि वह वैयावृत्य करनेवाला संयम पालनेमें तत्पर है तो शुद्ध
 है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है ॥ १०८ ॥

अभ्युत्थास्यत्यय हीति ज्ञात्वा पार्श्वस्थकादिकैः ।

समाचरन् शुचिः स्तोकं सर्वसभोगभागपि ॥

अर्थ—यह आसनसे उठकर खड़ा होगा ऐसा समझ कर
 पार्श्वस्थ, कुशील, अवसन्न, मृगचारी और ससक्त इन पाचोंके
 साथ उचित व्यवहार या समान आचरण करनेवाला साधु
 पवित्र है, निर्दोष है—प्रायश्चित्तका भागी नहीं है तथा स्वल्प
 काल पर्यंत विनय वदना स्वाध्याय आदि करता हुआ भी पवित्र
 है । अनन्तर यदि वे पार्श्वस्थादि अभ्युत्थान अर्थात् उठ कर
 खड़े न हों तो सर्वसभोग विनयवदना स्वाध्याय आदि न करे ॥

शुद्धोऽभिवदमानोऽपि पार्श्वस्थगणिन गणी ।
शेषानपि च शेषाश्च सधे श्रुत्पथ मासिक ॥ ११० ॥

अर्थ—सदाचारी आचार्य पार्श्वस्थ आचार्यको नमस्कार करता हुआ भी शुद्ध निर्दोष है और आचार्यको छोड़कर अन्य मुनि भी पार्श्वस्थ मुनियोंको वदना करते हुए पवित्र हैं । अथवा मारी जनसमुदायके जुड़ने पर शास्त्र ग्रहण करें या शास्त्र-श्रवण को छोड़कर यदि सब मुनि पार्श्वस्थ मुनिको नमस्कार करे तो सब सन्मुनिको मासिक मायश्चिन्ता देना चाहिए ॥ ११० ॥

स्नेहमुत्पादयन् कुर्यात् सुवाग्भिर्धर्मभाषण ।
राजरक्षिकतत्प्राये संशुद्धो गणरक्षणात् ॥ १११ ॥

अर्थ—सघकी रत्ताके निमित्त, स्नेह उत्पन्न कराते हुए, राजा, कोट्टपान, तत्याय शब्दसे तत्सदृश सेनापति, पुरोहित पत्नी आदिको नर्म-सुमधुर भाषणों द्वारा यदि धर्मोपदेश दे तो निर्दोष है ॥ १११ ॥

अभ्युत्थानेऽभिगत्यादौ सागारेष्वन्यलिगिषु ।
दीक्षादिकारणाच्छुद्धो गौरवान्मासमृच्छति ॥

अर्थ—भासनसे उठ कर खड़ा होना, साधने आना, बैठने को भासन देना, सम्मान करना, अपना मुख मफुल्लित बनाना, मुखकी मुस्कराइट द्वारा अपना आन्तरंगिक भाव व्यक्त करना, मधुर स्वन बोसना इत्यादि उपचार चिनय

दृष्ट्यों और अन्य निगियोंके करने पर यह समय सम्यक्त्व
 यदि धारण करेगा इस अभिप्रायसे उनके साथ उचित प्रत्यु-
 चार करे तो निर्दोष है—उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं । यदि
 अपनी मान बड़ाई-निमित्त प्रत्युपचार करे तो पंचकल्याणक
 प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ११२ ॥

अभ्युत्थानेऽथ वैद्यस्य ग्लानकारणसंश्रयात् ।

राजासन्नासनारोहे सूरिसूर्यो न दुष्यति ॥११३॥

अर्थ—रोगीके निमित्तको पाकर वैद्यके अर्थ आसनसे
 उठने और राजाके समीप सिंहासन पर बैठने पर आचार्य
 दोष युक्त नहीं होता । भावार्थ—सबका कोई मुनि बीमार
 हो जाय उसके इनाजके लिए वैद्य आवे तब उसे देख कर
 आचार्य अपने आसनसे उठ कर खड़ा हो जाय तथा राज-
 समामें राजाके पास सिंहासन पर बैठ जाय तो इसका कोई
 प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ११३ ॥

भूपालेश्वरमुख्याद्याः पूजयन्त्यभिगम्य चेत् ।

शुद्धभावो विशुद्धः स्यात् गौरवे मासिकं भवेत् ॥

अर्थ—राजा व अन्य प्रधान पुरुष, सेठ, सेनापति, पुरोहित
 मन्त्री आदि सामंत आकर यदि पूजा करे उस समय वह साधु
 बदरहित शुद्धभाव युक्त रहे तो विशुद्ध है इसका कोई प्रायश्चित्त
 नहीं । किन्तु यदि वह इस सन्मानको पाकर “मेरे इस तरहकी

विभूति है" इस प्रकार अर्धवर्ष गर्वके पर्वत पर आरूढ़ हा व
तो उस पंचकल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ११४ ॥

रससातमदे वृष्यरसस्पर्शार्थसेवने ।

च्युतेऽनात्मवशस्यापि पंचकल्याणमुच्यते ॥११५॥

अर्थ—मुझे ऐसे ऐसे बनिया घी, शक्कर, दूध आदि रस
प्राप्त होते हैं, मुझे इस प्रकारका उत्तम सुख है इस प्रकार रसों
और सुखके विषयमें गव करनेवा तथा इन्द्रियरूप हाथीके
बदोन्मत्ता करनेवाले पाण्डिक रसों और स्पर्शन इन्द्रियके विषय
कठोर, नप, भारी, लघु आदि पदार्थोंके सेवन करनेका त
कामकी परवशताके कारण बीर्यपात हो जानेका पंचकल्याण
प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ११५ ॥

उपसर्गे सगधादेर्वस्त्रतावूल्लेपने ।

प्रत्याख्यानस्य भुक्तौ च गुरुमासोऽथ पचक ॥

अर्थ—सगध नाम स्वजनोंका है । आदि शब्दसे राजा, श
प्रभृतिका ग्रहण है । इनके उपसर्गवश वस्त्र पहनने पर
ताम्बूल भक्षण करना पड़े, चदन, कशर, कपूर आदि
शरीरमें लेपन करना पड़े तथा साग की हुई मिट्टाका भो
करना पड़े तो पंचकल्याणक और कल्याणक प्रायश्चित्त
प्रायश्चित्त—राजा, शत्रु, स्वजन आदिके उपसर्गवश ताम्बूल भ
करने विलेपन करने आदिका कल्याणक प्रायश्चित्त है और

परिचारण करने आदिका पचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥११६॥

मैथुने रात्रिभुक्तौ च स्वस्थान परिकीर्तित ।

स्त्रियोः सधौ प्रसुप्तस्य मनोरोधान्न दूषणं ॥११७॥

अथ—उपसर्गवश मैथुन सेवन करने आर रात्रिम भोजन करनेका प्रायश्चित्त पचकल्याणक कहा गया है । यह प्रायश्चित्त उसक परिणामोंकी जातिका विचार कर दना चाहिए । तथा दो स्त्रियोक बीचमें सोये हुए साधुक लिए मनको रोकनेके कारण कोई दूषण नहीं है । भाशा—ऐसा माका आजाय कि दोनो तरफसे दो स्त्रिया सोई हुई हे और बीचम आप सोया हुआ हो, पर मनमें कोई तरहका विकार भाव उत्पन्न नहीं हुआ हो तो उस साधुक लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥११७॥

आवश्यकमकुर्वाणः स्वाध्यायान् लघुमासिक ।

एकैक वाप्रलेखाया कल्याण दंडमश्नुते ॥११८॥

अथ—जो साधु सामायिक, चतुविंशतिस्तव, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यक क्रियाओंको आर दो स्वाध्याय दिनक आर दो रातके एव चार तरहके स्वाध्यायोंको न करे तो वह लघुमास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है तथा इन छह आवश्यक क्रियाओंमेंसे एक एकको न करे आर सस्तर उपकरण आदिका प्रतिनेखन न करे तो कल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥११८॥

चदनायास्तनूत्मर्गेऽप्येकादौ विस्मृते त्रिषु ।

पुरुमडलमाचाम्ल क्षमण च यथाक्रम ॥ ११९ ॥

अर्थ—वदना और कायोत्सर्गके एक बार, दो बार और तीन बार भूल जानेका क्रमसे पुरुमडल, आचाम्ल और उपवास प्रायश्चित्त है । भावार्थ—एक बार भूलनेका पुरुमडल, दो बार भूलनेका आचाम्ल और तीन बार भूलनेका उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ११९ ॥

एकादिके गुरोरादौ कायोत्सर्गस्य पारणे ।

पुरुमडलमाचाम्ल क्षमण च यथाक्रमं ॥ १२० ॥

अर्थ—यदि एक बार या दो बार या तीन बार आचार्यके पहले कायोत्सर्ग समाप्त करे तो उसका क्रमसे पुरुमडल, आचाम्ल और क्षमण प्रायश्चित्त है ॥ १२० ॥

कारणाद्वा गुरोः पश्चात् कायोत्सर्गं समापयेत् ।

सकृद्द्विस्रिः पुरुमर्दोऽप्याचाम्ल चैकसस्थितिः ॥

अर्थ—यदि किसी कारणवश एक बार, दो बार या तीन बार आचार्यके पश्चात् कायोत्सर्ग समाप्त करे तो उसका क्रमसे पुरुमडल आचाम्ल और एकस्थान प्रायश्चित्त है ॥ १२१ ॥

आसेधिका निषद्या वा न कुर्यात्त्र्यादिके निशि ।

अनाहारोऽम्लभुक्तिश्च पुरुमडलमेव च ॥ १२२ ॥

रात्रिके समय तीन बार, दो बार या एक बार आसे-

धिका और निपेधिका न करे तो उसका क्रमसे उपवास, आचाम्न और पुरुमडल प्रायश्चित्त है । भावार्थ—कदरा पवतकी गुफा, गण्डर, मठ, चंखालय आदिसे निकलते समय वहाँ रहनेवाले नाग यत्न आदिको 'असहि असहि असहि' इन वचनों द्वारा पृछ कर निकलना आसेधिका क्रिया है । तथा प्रवेश करते समय 'निसहि निसहि निसहि' इन वचनोंद्वारा पृञ्जा निपेधिका क्रिया है । इन क्रियाओंको रात्रिके समय उक्त स्थानोंमें प्रवेश करते समय और निकलते समय तीन बार न करे तो उपवास, दो बार न करे तो आचाम्न और एक बार न करे तो पुरुमडल प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १२२ ॥

आसेधिकां निपद्यं च मिथ्याकारं निमंत्रण ।

इच्छाकारं न यः कुर्यात्तद्विदः पुरुमडल ॥१२३॥

अथ—जो साधु आसेधिका, निपेधिका, मिथ्याकार, निमंत्रण और इच्छाकार न करे तो उसका (न करनेका) पुरुमडल प्रायश्चित्त है । आसेधिका और निपेधिकाका स्वरूप ऊपर कह चुके हैं । अपराध बन जाने पर 'येरा अपराध मिथ्या हो' इसे मिथ्याकार कहते हैं । साधर्मि वर्गसे पुस्तक कपडलु आदि उपकरणोंको विनयपूर्वक भागना निमंत्रण है । तथा आचार्य और उनके शपदेशादिकोंमें अनुकूलता रखना इच्छाकार है ॥ १२३ ॥

उत्कृष्ट मध्यम नीचमदत्तं स्वीकरोति यः ।

उपधि लघुमासोऽस्य पंचक पुरुमडल ॥ १२४ ॥

अर्थ—जो यति बिना दिये हुए पुस्तक आदि उत्कृष्ट उपकरण, पिन्डि आदि मध्यम उपकरण और कमडलु आदि जवन्य उपकरण ग्रहण करता है उसके लिए क्रमसे लघुमास, कल्याणक और पुरुमडल प्रायश्चित्त है । भाषा—उत्कृष्टका लघुमास; मध्यमका कल्याणक और जवन्यका पुरुमडल प्रायश्चित्त है ॥

सज्ञाविहारभिक्षासु पुरुमडलमीडित ।

कोशादिग्रामगतावप्यनापृच्छ्य गुरु गते ॥ १२५ ॥

अर्थ—भाचार्यको पूछे बिना सज्ञा—मलत्याग करने दूसरी घसतीको जाने; भिक्षाक लिए जाने, तथा एक कोश, दो कोश, तीन कोश आदि दूरवर्ती अन्य ग्रामको जानेका प्रायश्चित्त पुरुमडल रूढ़ा गया है ॥ १२५ ॥

माधारणाशनासेवे स्थापनावेश्मवेशने ।

ज्ञात्वा सङ्घिकुलादीनि पूर्ववेशिनि पंचक ॥ १२६ ॥

अर्थ—अपारमित आहार ग्रहण करनेका, चार या पांच आदमी जिसमें निवास करते हैं ऐसे मकानमें प्रवेश करनेका और आवकोंक घर आदि समझ कर पहले प्रवेश करनेका पंचक—कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ १२६ ॥

अन्यदत्तोपधेः म्यानमन्यो गत्वा तमाददत् ।

मासिक लभते मूल रूपव्यत्ययकारिणः ॥ १२७ ॥

अर्थ—अन्यके लिए दिये हुये उपकरणके स्थान पर जाकर यदि उस उपकरणको दूसरा दीक्षित मुनि ग्रहण करे तो वह पचकल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है तथा बिगको विपरीत करनेवाले—वेप रदननेवाले यतिको मध्य दिनसे ले कर मूल अर्थात् पुनर्दीक्षा नामका प्रायश्चित्त देना चाहिये ॥ १२७ ॥

अतिवालमलवृद्ध दीक्षयन् मासमश्नुते ।

वसति च व्यवच्छिदन् छेदे मूले गणी तपः ॥

अर्थ—अतिवालको और अतिवृद्धको दोक्षा देनेवाला तथा वसति—दी हुई शय्यामें विन्न पाडनेवाला आचार्य पचकल्याणक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । तथा छेद और मूल इन दो प्रायश्चित्तोंके प्राप्त होनेपर वह आचार्य उपवासादि तप प्रायश्चित्तको ही प्राप्त होता है ॥ १२८ ॥

एवमादि तपो देय शेष चापि यथोचितं ।

प्रतिसेवासु सर्वासु सम्यगालोच्य सूरिणा ॥१२९॥

—इस प्रकार तप प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा सर्व-प्रकारकी प्रतिसेवाओं—दोषाचरणोंके होने पर उनका अच्छी तरह विचार कर आचार्य यथोचित शेष प्रायश्चित्त भी देवे ॥

इति प्रतिसेवाधिकारः द्वितीय ॥ २ ॥

१—एव भाषोपयुक्तेषु मासिक समुदाहृत ।

छेदे मूले च सप्राप्ते तप एव गणेशिन ॥

यद् श्लोक मूल प्रतिम है ।

३-कालाधिकार ।

अत्र कालका वर्णन करते हैं,—

शीतः साधारणो धर्मस्त्रेधा कालः प्रकीर्तितः ।

उत्कृष्ट मध्यम नीच तत्र भाज्य तपो भवेत् ॥ १३० ॥

अर्थ—काल तीन प्रकारका कहा गया है । शीतकाल, वर्षा काल और ग्रीष्मकाल । इन तीनों कालोंमें उत्कृष्ट, मध्यम और जन्य उपवासादि तप देना चाहिये ॥ १३० ॥

कौनसे कालमें कौनसा उत्कृष्ट तप देना चाहिये यह बताते हैं—

वर्षासु द्वादश देय दशम च हिमागम ।

अष्टम ग्रीष्मकाले स्यादेतदुत्कर्षतस्तपः ॥ १३१ ॥

अर्थ—वर्षाकालमें द्वादश-पांच उपवास, शीतकालमें दशम-चार उपवास और ग्रीष्मकालमें अष्टम-तीन उपवास व्यवधान-रहित देने चाहिये । यह उत्कृष्ट तप है ॥ १३१ ॥

आगे मध्यम तप कितना देना चाहिए यह बताते हैं—

वर्षासु दशम देय अष्टम हिमागमे ।

षष्ठ स्याद् ग्रीष्मकालेऽपि तप एतद्धि मध्यमं ॥

अर्थ—वर्षाकालमें दशम-चार उपवास, शीतकालमें अष्टम-

तीन उपवास' और ग्रीष्मकालमें षष्ठ-दो उपवास निरतर देने चाहिए । यह तीनों कालोंमें देनेयोग्य मध्यम तप है ॥ १३२ ॥

अब जघन्य तप कितना देना चाहिये यह बताया जाता है—

वर्षाकालेऽष्टमं देयं षष्ठमेव हिमागमे ।

चतुर्थं ग्रीष्मकाले स्यात्तप एव जघन्यक ॥ १३३ ॥

अर्थ—वर्षाकालमें अष्टम-तीन उपवास, शीतकालमें षष्ठ-दो उपवास और ग्रीष्मकालमें चतुर्थ-एक उपवास व्यवधानरहित देने चाहिए । यह तीनों कालोंमें देने योग्य जघन्य तप है ॥

आगे दूसरी तरह कालका और तपका विभाग करते हैं—

अथवा द्विविधः कालो गुरुर्लघुरिति क्रमात् ।

शरद्वसन्ततापाः स्युर्गुरवो लघवः परे ॥ १३४ ॥

अर्थ—अथवा गुरुकाल और लघुकाल इस क्रमसे काल दो प्रकारका है । शरद, वसन्त और ग्रीष्म ये तीन गुरुकाल हैं । अवशिष्ट वर्षा शिशिर और हेमन्त ये तीन लघुकाल है । भावार्थ—एक वर्षमें छह ऋतुएँ होती हैं और बारह महीनेका एक वर्ष होता है तथा दो दो महीनेकी एक एक ऋतु होती है उनके नाम शरद्, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और हेमन्त है । आसोज और कार्तिक ये दो महीने शरद् ऋतुके, चैत्र और वैशाख ये दो वसन्त ऋतुके, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये दो ग्रीष्म ऋतुके, श्रावण और भाद्रपद ये दो वर्षाऋतुके, मगसिर और पूष ये दो हेमन्त

आगे दश प्रकारके क्षेत्रक नाम बताते हैं—

अनूप जांगल क्षेत्र भक्तकल्माषशक्तुयुक् ।

रसधान्यपुलाक च यवागूकदमूलद ॥ १३७ ॥

अर्थ—अनूप, जांगल, भक्तयुक्, कल्माषयुक्, शक्तुयुक्, रस-पुलाक, धायपुलाक, यवागू, कद और मूल ऐसे क्षेत्रके दश भेद हैं। जहां पर पानी अधिक हो वह अनूप देश है जैसे—मगध, यन्प, वानवास, कोंकण, सिंधु आदि। जहां दो इंद्रिय आदि अस जीवोंकी उत्पत्ति तो अधिक हो पर पानी कम हो वह जांगल देश है। जहां तुष धान्य मचुरतासे पैदा होता हो, हमेशह ओदन (भात) खाया जाता हो वह भक्त-क्षेत्र है। जहां पर कुन्प, मूग, चहद आदि कोशधान्य (फलीम उत्पन्न होनेवाले धान्य) अधिक उत्पन्न होते हैं वह कल्माष क्षेत्र है। जहां जो खूब पैदा होता हो, सत्व खूब खाया जाता हो वह शक्तु क्षेत्र है। जहां दूध, दही घी आदि बल बढ़ानेवाले रस अधिक होते हैं वह रस-पुलाक क्षेत्र है। जहां कटुभाड () जी, गेहू, शाली, श्रीहो आदि तृणधान्य उत्पन्न होते हैं वह धान्यपुलाक क्षेत्र है। जहां यवागू (लपसी) विनेपिका () आदि खूब खाये जाते हैं वह यवागू क्षेत्र है। जहां सूरण, रक्ताछ, पिदानु आदि कद बहुत होते हैं वह कद-क्षेत्र है और जहां नाना प्रकारके मूल—इल्दी, अदरक आदि उत्पन्न होते हैं वह मूल क्षेत्र है ॥ १३७ ॥

किस क्षेत्रम कितना प्रायश्चित्त देना चाहिये यह बताते है—
 गीतल यद्भवेद्यत्र रसससृष्टभोजनं ।
 तत्रोत्कृष्टं तपो देयमुष्णे रूक्षे तु हीनकं ॥१३८॥

अर्थ—जो क्षेत्र ठंडा हो जहाँ पर कि दूध, दही आदि रसों-
 के साथ प्रचुरतासे भोजन खाया जाता हो ऐसे मगध आदि
 देशोम उत्कृष्ट तप प्रायश्चित्त देना चाहिये । तथा मारवाड,
 विपय, आनक, पारिपात्र, मानव आदि उष्ण क्षेत्रोंमें जहाँ पर
 कि रूक्ष आहार अधिक मिलता हो वहाँ बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त
 देना चाहिये ॥ १३८ ॥

इति श्रीनदिगुरुविरचिते प्रायश्चित्तसमुच्चये
 क्षेत्राधिकारश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

५-आहारलाभाधिकार ।

यत्रोत्कृष्टो भवेत्लाभः तत्रोत्कृष्टं तपो भवेत् ।
 मयमेऽपीपदून च रूक्षे क्षमणवर्जित ॥ १३९ ॥

अर्थ—जिस क्षेत्रमें उत्कृष्ट आहारलाभ हो जहाँके सब्जी
 अथवा मिव्याहृष्टि लाग श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त हों, 'स्निग्ध,
 मधुर नाना तरहके अन्धे अन्धे आहार देते हों वहाँ उत्कृष्ट
 प्रायश्चित्त देना चाहिये और जहाँ मध्यम दर्जेका लाभ होता हो

वहा पूर्वोक्त प्रायश्चित्तसे हीन प्रायश्चित्त देना चाहिये तथा जिस देशमें कांजिक, कगु, कोद्रव आदि रूखा भोजन मिलता हो वहाँ हपवासके बिना आचाम्ल, निर्पिकृति, पुरुमडल, एकभक्त आदि प्रायश्चित्त देने चाहिये ॥ १३६ ॥

इति श्रीनदिगुरुविरचिते प्रायश्चित्तसमुच्चये

आहारलाभाधिकारः पञ्चमः ॥ ५ ॥

—०—

६-पुरुपाधिकार ।

इति सेवां च काल च क्षेत्रमौपधिलभन ।

अनुसृज्य तपो देय पुमांस च गणेशिना ॥ १४० ॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारस प्रतिसेवा, काल, क्षेत्र, आहारलाभ तथा पुरुपका विचार कर आचार्य प्रायश्चित्त देवें । भावार्थ—प्रति सेवा नाम दोषाचरणका है वह दोषाचरण आगाढकारणकृत सकृत्कारी सानुवीची मयत्नप्रतिसेवी आदि अनेक प्रकार है । उसपर विचार कर प्रायश्चित्त देना चाहिए । इसी तरह शीत काल उष्णकाल और वर्षाकालका भी विचार करना चाहिए । अनासुक क्षेत्र जो समुद्रक नजदीक हो अथवा और कोई दूसरा क्षेत्र जिसमें रस-स्यावर जीव अधिक हों, जहा पर निवास करन से बहुत दोष उत्पन्न होते हों उसका भी विचार करना चाहिए । आहारके लाभ अनाभको भी विचारना चाहिए । एवं

पुरुष और उसकी शक्ति धैर्य आदि पर भी विचार करना चाहिए इन सबका अच्छी तरह विचार कर प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४० ॥

आगे पुरुषको बताते हैं—

अश्राद्धोऽथ मृदुर्गर्वी गीतार्थश्चेतरोऽल्पवित् ।
दुर्बलो नीचसघातः सर्वपूर्णस्तथार्यिका ॥१४१॥

अर्थ—श्राद्धा नाम अभिनाप-रुचिका है, वह जिसके हो वह श्राद्ध अर्थात् श्राद्धवान् है । जो श्राद्ध नहीं श्राद्धरहित है वह अश्राद्ध है । मृदु नाम नम्रका है । गर्वी मानीको कहते ह । जिसने जीवादि पदार्थ जाने हे वह गीतार्थ है । इतर नाम अगीतार्थका है, जिसको जीवादि पदार्थोंका ज्ञान नहीं है जो अल्प शास्त्र जानता है वह अल्पवित् है । दुर्बल नाम प्रभरहित निर्बलका है । जिसके जघन्य सहनन है वह नीचसघातमाना कहा जाता है । जो सब गुणोंमें समान है वह सर्वपूर्ण है । तथा आर्यिका अर्थात् सयतिका ये दश पुरुष हे इनका विचार कर प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४१ ॥

गर्वितो द्विविधो ज्ञेयो दीक्षया तपसा वली ।
छेदेन छेद्यमानोऽपि पर्यायी गर्वितो भवेत् ॥१४२॥

अर्थ—अभिमानि दो तरहका जानना । एक दीक्षाभिमानि और दूसरा तपोभिमानि । जो छेद प्रायश्चित्त द्वारा दीक्षा छेद

देने योग्य होते हुए भी छेद प्रायश्चित्तको नहीं चाहता है और कहता है कि मैं तो बहुत काननका टोत्तित हूँ मुझे छेद प्रायश्चित्त क्यों दिया जाता है या मेरी दीक्षा क्यों छेदी जाती है। इस तरह चिरदीक्षित होनेका अभिमान करता है वह दीक्षा भिमानी है ॥ १४० ॥ तथा—

तपोवली तपोदाने समर्थोऽहमिति स्मयी ।

तस्मात्तद्दोषमोपार्थं विपरीत तपो भवेत् ॥१४३॥

अर्थ—मैं उपवासादि प्रायश्चित्तके योग्य हूँ अन्य प्रायश्चित्त के नहीं, इस तरह जो गर्व करता है वह तपोवली अर्थात् तपोभिपानी है। इसलिए छेद प्रायश्चित्त न चाहने और तप चाहने रूप दोषोंकी धृद्धिके अर्थ विपरीत प्रायश्चित्त देना चाहिए।
भावार्थ—छेद प्रायश्चित्त चाहनेवालेको उपवासादि और उपवासादि चाहने वालेको छेद प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४३ ॥

मृदुश्छेदे च मूले च दीयमाने ग्रहण्यति ।

वद्यो हि सर्वथा माधुस्तत्तस्मै दीयते तपः ॥१४४॥

अर्थ—जो छेद और मूल प्रायश्चित्तदेने पर भी सतोष धारण करता है वह मृदु पुण्य है। वह कहता है कि साधु सर्वथा बदनाम करने योग्य है अगर मैंने साधुओंको पहले नमस्कार किया तो नमस्कार किया यदि बादमें नमस्कार किया तो नमस्कार किया।

—छेदादि प्रायश्चित्तके पहले, सबके पश्चात्दीक्षित साधु

पूर्वदीक्षितको पहले नमस्कार करते हैं और वह पूर्वदीक्षित उन पश्चाददीक्षितोंको बादमें नमस्कार करता है । छेद आदि प्रायश्चित्तके देने पर वह पूर्वदीक्षित उन पश्चाददीक्षितोंको पहले नमस्कार करता है और पश्चाददीक्षित पूर्वदीक्षितको पीछे नमस्कार करते हैं । ऐसी दशमें वह मृदु परिणामी विचार करता है कि पश्चाददीक्षित साधुओंने आकर मुझे पहले नमस्कार किया और मैंने बादमें किया ता किया और यदि उनको मैंने पहले नमस्कार किया तो किया इसमें मेरी क्या हानि है ? इस तरह जो अपने मृदु परिणामों द्वारा छेद प्रायश्चित्तसे अनिच्छा प्रकट नहीं करता है उसको उपवासादि प्रायश्चित्त देना चाहिए । छेद और मूल प्रायश्चित्त नहीं देना चाहिए ॥ १४४ ॥

प्राज्य तपो न कुर्वाणः कि शुद्धयेच्छेदमूलतः ।
गुर्वाज्ञामात्रतोऽश्रद्धाने देय तपस्ततः ॥१४५॥

अर्थ—जो बड़े बड़े उपवासादि तपश्चरण नहीं करता है वह गुरुको आज्ञासे प्राप्त केवल छेद और मूलसे क्या निर्दोष होगा ? इस तरह श्रद्धान न करनेवालेको उपवासादि प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४५ ॥

गीतार्थे स्यात्तपः सर्वं स्थापनारहितोऽपरः ।
छेदो मूल परीहारे मासश्चात्पश्रुतेऽपि च ॥१४६॥

अर्थ—गीतार्थ दो तरहका है । एक सापेक्ष और दूसरा निर-

पेत्त । उनमेंसे सापेत्त गुफके निकट जाकर अपनी निन्दा और गद्ग करता हुआ आलोचना प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग और तप इन छह प्रायश्चित्तों द्वारा अपनी शुद्धि करता है । छेद, मूल, अनुपस्थापन और पारचिक ये चार प्रायश्चित्त उसके नहीं होते । निरपेत्त दश प्रकारके आलोचनादि प्रायश्चित्तोंको गुरु साक्षी पूर्णक अथवा आत्म-साक्षी पूर्वक करके विधुद्ध होता है । अगोतार्थ, स्थापना प्रायश्चित्तहित है अर्थात् उसे स्थापना—छेद मूल, परिहार ये प्रायश्चित्त नहीं देने चाहिए अथवा स्थापना नाम परिहारका है वह उसे नहीं देना चाहिए, अवशिष्ट नव प्रकारका प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा अल्पश्रुतको मास (पच कल्याणक) प्रायश्चित्त देना चाहिए और परिहार प्रायश्चित्तके योग्य हो जान पर उसीको छेद और मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १४६ ॥

देहवलयबलो धृत्या धृतिवलयगदुर्वलः ।

द्वाभ्यामपि बली कश्चित् कश्चिद् द्वितयदुर्वलः ॥

अर्थ—कोई साधु देहमें तो बली होते हैं परन्तु धैर्यहीन होते हैं, कोई शरीरमें दुर्बल होते हैं परन्तु धैर्यवान् होते हैं, कोई देह और धैर्य दोनोंमें परिष्कृत होते हैं और कोई देह और धैर्य दोनोंमें बलरहित होते हैं ॥ १४७ ॥ इसलिये—

१ यह श्लोक टीका पुस्तकमें जलकके प्रमादसे छूट गया है

सर्वं तपो वलोपेते धृत्या हीने धृतिप्रदं ।
देहदुर्वलमाश्रित्य लघु देय द्विवर्जिते ॥ १४८ ॥

अर्थ—शरीर बलसे परिपूर्ण व्यक्तिको आलोचना आदि
दर्शों प्रायश्चित्त देने चाहिए । धृतिरहितको धैर्य प्रदान करने
वाना तप देना चाहिए अर्थात् जिस किसी प्रायश्चित्तके देनेसे
उसको धैर्य हो वही प्रायश्चित्त उसे देना चाहिए । शरीरबल
रहित पुष्पका जिस प्रायश्चित्तके देनेसे उसका शरीर बल
तदवस्थ रहे वही प्रायश्चित्त उसे देना चाहिए । तथा धृति-
रहित आर शरीर बल रहित व्यक्तिको पहलेसे भां प्रघु प्राय-
श्चित्त देना चाहिए ॥ १४८ ॥

अन्त्यसहननोपेतो बलवानागमान्तगः ।
तस्य देय तपः सर्वं परिहारेऽपि मूलगः ॥ १४९ ॥

अर्थ—जो अर्धनाराच सहनन, कालिकसहनन और अस-
मास सृपाटिकासहनन इन तीन अत्य सहननोंमें से किसी एक
सहननसे युक्त है उनवान है और परमागमरूप महा समुद्रका
पारगामी है उसको उपवासदि परमास पर्यंतके सभी प्राय-
श्चित्त देने चाहिए । तथा यह अन्त्य सहननवाला परिहार
प्रायश्चित्तक प्राप्त होने पर भी मूल प्रायश्चित्तको प्राप्त होना है ॥

आदिसहननः सर्वगुणो योऽजितनिद्रकः ।
देय सर्वं तपस्तस्य पारचेऽप्यनुपस्थितिः ॥ १५० ॥

अर्थ—जो ब्रह्मट्टपन्नारात्र सहनन, ब्रह्मनारात्र सहनन और नाराचसहनन इन आदिके तीन सहननोंमें से किसी एक सहननमाना है, सर्वगुणसंपन्न है वबल निद्राविजयो नहीं है उस साधुको सर प्रायश्चित्त देने चाहिए । तथा पारचिक प्रायश्चित्तके प्राप्त होने पर उमको अनुपस्थान प्रायश्चित्त देना चाहिए पारचिक नहीं । यह अनुपस्थान प्रायश्चित्त अपने गणमें ही करता है प्रायश्चित्त करने पर उस फिर रिरतन तपमें स्थापन करना चाहिए ॥ १५० ॥

नवपूर्वधरो श्राद्धो वैराग्यधृतिमानजित् ।

परिणामसमग्रोऽपि योऽनुपस्थानभागसो ॥ १५१ ॥

अर्थ—जो यतिपति नवपूर्वका ज्ञाता है, श्रद्धावान् है, ससार शरीर आर भोगोंमें रागभाव रहित है, सतोषा है, अकृतकृत्य है अथात् समशास्त्रका ज्ञाता है किन्तु वशाख्याता नहीं है और विशुद्ध परिणामवाना है वह अनुपस्थान प्रायश्चित्तका भागी है ॥

आप्रश्रालोचने तस्य सदैव गुरुसनिधौ ।

वदनादिप्रकुर्वाण, प्रतिवदनमर्जितः ॥ १५० ॥

अर्थ—उस अनुपस्थान प्रायश्चित्तवानेके, आचार्यके निकट आपृच्छा—अपने कार्यके लिए पृठना और आलोचना ये दो होते हैं । वह अथ ऋषियोंको वदना आदि करता है पर वे अन्य ऋषि उसे प्रतिवदना नहीं करते ॥ १५० ॥

गुणैरेतैः समग्रोऽसौ जघन्योत्कृष्टमध्यमां ।
पौराणिकी गुणश्रेणि निःशेषामभिपूरयेत् ॥

अर्थ—इन पूर्वोक्त गुणोंमें परिपूर्ण यह अनुपस्थान प्रायश्चित्त वाला जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट चिन्तन गुणोंकी सब सततिको पूर्ण करे ॥ १५१ ॥

श्रद्धाद्या ये गुणाः पूर्वमनुपस्थानवर्णिताः ।
पारचिकेऽपि ते किन्तु कृतकृत्योऽधिमहतिः ॥

अर्थ—श्रद्धा, धृति, वैराग्य, परिणामविशुद्धि आदि गुण जो पहले अनुपस्थापना प्रायश्चित्तमें कहे गये हैं वे सब पारचिक प्रायश्चित्तमें भी होते हैं किन्तु इतना विशेष है कि यह पारचिक प्रायश्चित्तवाला कृतकृत्य अर्थात् सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञाता और व्याख्याता होता है, निद्राविजयी होता है और अन्न बलसयुक्त होता है ॥ १५२ ॥

सर्वगुणसमग्रस्य देय पारत्रिक भवेत् ।
व्युत्सृष्टस्यापि येनास्याशुद्धभावो न जायते ॥

अर्थ—सब गुणोंसे परिपूर्ण पुरुषको पारचिक प्रायश्चित्त देना चाहिये । जिससे कि सधसे बाहर कर देने पर भी जिसका अशुद्ध भाव न हो ॥ १५३ ॥

पचदोषोपसृष्टस्य पारचिकमनूदित ।

व्युत्सृष्टो विहरेदेप सधर्मरहितक्षितौ ॥१५२॥

अर्थ—तीर्थकरासादनादि पात्र दापा कर समुक्त पुरुषके लिए पारचिक प्रायश्चित्त कहा गया है । तथा सधर्म राहर किया गया यह पारचिक प्रायश्चित्तशाना पुण्य जिन देशम साधर्मि नही ह उस देशम विहार करे ॥ १५४ ॥

आदिसहननो धीरो दशपूर्वकृतश्रम ।

जितनिद्रो गुणाधारस्तस्य पारचिक विदुः ॥१५५॥

अर्थ—जिसके बज्रवृषभनाराच नामका पहला सहनन है जो ब्रह्मचारी है दशपूर्वका ज्ञाता और व्याख्याता है, निद्राविजयी है और सम्पूर्ण गुणोंका आधार है उसका पारचिक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ १५५ ॥

आर्याया. स्यात्तप. सर्वं स्थापनापरिवर्जित ।

सप्तमामपि प्राज्य न पिच्छच्छेदमूलग ॥१५६॥

अर्थ—आयिकाको स्थापनारहित सभी प्रायश्चित्त दिये जाते हैं । तथा सप्तमास प्रायश्चित्त भी आयिकाको देवे । यद्यपि वर्जमान स्वाधीक तीर्थमें छह माससे ऊपर उपवासादि प्रायश्चित्त नहीं हैं तो भी सप्तमाससे अधिक प्रायश्चित्त आयिकाको देवे । तथा पिंड छेद और मूत्र ये तीन प्रायश्चित्त उसको नहीं देना चाहिए । भावार्थ—पिंड नाम परिहार प्रायश्चित्तका है क्योंकि

परिहार प्रायश्चित्त करनेवाला मैं परिहार प्रायश्चित्त करनेवाला हूँ यह जतानेके लिए आगे पिच्छिका दिखाता है इसलिए परिहार प्रायश्चित्तको पिच्छ प्रायश्चित्त कहते हैं । छेद नाम दीक्षा छेदनेका है और मूल नाम पुन दीक्षा धारण करनेका है ॥१५६॥

प्रियधर्मा बहुज्ञानः कारणावृत्यसेवकः ।

ऋजुभावो विपक्षैस्तौर्द्विकैर्द्वात्रिंशदाहता ॥१५७॥

अर्थ—प्रियधर्म- धर्ममें प्रेम रखने वाला, बहुज्ञान-शास्त्रोंका ज्ञाता, ऋजुश्रुत, कारणी-व्याधि उपसर्ग आदि कारणोंवश दोषोंका सेवन करनेवाला-सदेतुक, आवृत्यसेवक- एक बार दोष सेवन करनेवाला अर्थात् सकृत्कारी, ऋजुभाव- सरल स्वभावी इन पाचोंको पाच स्थानोंमें एक एक अङ्कके आकारमें स्थापना करे । तथा इनके विपक्षी अमियधर्म, अवहुश्रुत, अहेतुक, असकृत्कारी और अनृजुभाव इन पाचोंको ढा दो अङ्कके आकारमें उनके नीचे स्थापन करे । ३ ३ ३ ३ ३ इस तरह स्थापन कर परस्पर गुणनेसे ३२ भङ्ग हो जाते हैं । यद्य पर भी पहलेकी तरह स्तर्या, प्रस्तार, अक्षसक्रमण, नष्ट और उद्दिष्ट ये पांच प्रकार समझने चाहिये ।

प्रथम सग्याविधि बताते हैं ।

सर्व्वेपि पुर्व्वभंगा उवरिमभंगेषु एकमेकैषु ।

मेलंति त्तिय कमसो गुणिये उप्पज्जये संखा ॥

अर्थात् पहले पहलेके भग ऊपर ऊपरके एक एक भगमें पाये

जाते हैं इसलिए क्रमम गुणा करन पर सख्या निकलती है ।
 मो हो जाता है—धर्मप्रिय और अधर्मप्रिय ये ऊपरके बहुश्रुत
 और अशुश्रुतमें पाये जाते हैं अत दोनाको परस्परम गुणनेमें
 चार भग होजाते है । ये चारों ऊपरक सहेतुक और अहेतुकम
 पाये जाते है इसलिए चारका दोसे गुणन पर आठ भग हो
 जाते ह । ये आठ ऊपरक सकृत्कारी और असकृत्कारीमें पाये
 जाने हैं इसलिए आठको दोस गुणन पर सोनह भग हो जाते
 हैं । तथा ये सोनह ऊपरक ऋजुभाव और अनृजुभावम पाये
 जाते हैं इसलिए सोनहको दोस गुणने पर दोपाकी बत्तीस
 सख्या निकल आती है । अत्र प्रस्तारविधि यतात ह—

पढमं दोषपमाणं कमेण णिक्खिविय उवरिमाणं च
 पिंडं पडि एक्केक्क णिक्खित्ते होइ पत्थारो ॥

अर्थात् पहले दोषके प्रमाणको क्रमसे एक एक विरलन कर
 और अविरलन किये हुए एक एकके ऊपर ऊपरका एक एक
 पिंड रख कर जोड़ देने पर प्रस्तार होता है । सो ही कहते है ।
 धर्मप्रिय और अधर्मप्रियका प्रमाण दोको विरलन कर क्रमसे
 लिखे १ १ । इनके ऊपर दूसरा बहुश्रुत और अशुश्रुतका पिंड
 दो दोको रखे ३ ३ । इनको जोड़नेसे चार होत हैं । फिर
 इन चारोंको विरलन कर चार जगह रखे १ १ १ १ । इनक
 ऊपर सहेतुक और अहेतुकका पिंड दा दो रखे ३ ३ ३ ३ ।
 इनको जोड़नेसे आठ होत हैं । फिर इन आठको विरलन कर

आठ जगह रखे १ १ १ १ १ १ । उनके ऊपर सकृत्कारी
 और असकृत्कारीका पिंड दो दो रखे ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ।
 इनको जोड़नेसे सोलह होते हैं । पुन इन सोलहको एक एक
 त्रिलन कर रखे १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ ।
 इनके ऊपर ऋजुभाव और अनृजुभावका पिंड दो दो रखे
 ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ ३ । इनको जोड़नेसे चौंस
 होते हैं । इस तरह प्रस्तार रूप स्थापन किये बत्तीस भद्रोके
 उच्चारण करनेकी विधि कहते हैं । मियधर्म, बहुश्रुत, सहेतुक
 सकृत्कारी, ऋजुभाव यह पहली उच्चारणा १ १ १ १ १ । अमिय-
 धर्म, बहुश्रुत, सहेतुक, सकृत्कारी, ऋजुभाव २ १ १ १ १ यह
 दूसरी उच्चारणा इसी तरह आगेकी सब उच्चारणा निकाल लेना
 चाहिए जिनका पूर्ण कोष्ठक आगे दिया गया है । प्रस्तार सट्टिटि
 इस प्रकार है—

१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२१२
 ११२२११२२११२२११२२११२२११२२११२२११२२११२२११२२
 ११११२२२२११११२२२२११११२२२२११११२२२२११११२२२२
 ११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११
 ११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११

यहाँ भेदोंका प्रमाण ३२ है और पक्ति पाच हैं । "भगायाप-
 प्रमाणेन" इस पूर्वाक्त श्लोकके अनुसार पहली पक्तिमें एकान्त-
 रित, दूसरी पक्तिमें द्वय तरित, तीसरी पक्तिमें चतुरतरित, चौथी
 पक्तिमें अष्टान्तरित और पांचमी पक्तिमें षोडशान्तरित षु

सहेतुक, असहकारि और अनुभाव नामका अक्षर आया ।
इस तरह अन्य उच्चारणाभेद अक्षर भी निकाल लेने चाहिए ।

आगे उद्दिष्ट विधि कहते हैं—

सठाचिह्न रूप उच्चरिओ सगुणित्तु मयमाणे ।
अवणित्तु अणकिदय कुञ्जा पढमतिय च्च ॥

अर्थात् एक रूप रखकर अपने ऊपरके प्रमाणमे गुणा करे
और अनकितका घटाए इस तरह प्रथमपर्यंत करे । भावार्थ—
यहां जो भेद ब्रह्मण हो उसका आगेकी सरया अनकित नही
जाती है जैसे प्रियधर्म और अप्रियधर्ममें यदि प्रियधर्मका
ब्रह्मण हो तो उसका आगेयान्ते अप्रियधर्मको अनकित समझना
चाहिए । इसी तरह बहुश्रुत और अबहुश्रुत, सहेतुक और
अहेतुक, सहकारि और असहकारि तथा अनुभाव और अ-
नुभावमें भी समझना चाहिए । जैसे किमीने पृछा प्रियधर्म,
बहुश्रुत, अहेतुक, असहकारि, अनुभाव यह कौनसी उच्चारणा
है तब प्रथम एकरूप रखया उसको ऊपरके अनुभाव और
अनुभावका प्रमाण दोसे गुणा किया दो हुए अनकित अनु-
भावको घटाया एक रहा इसको सहकारि और असहकारि-
का प्रमाण दोमे गुणा किया दो हुए, यहां अनकित कोई नहीं
दो ही रहे, इनको सहेतुक और अहेतुकका प्रमाण दोमे गुणा
किया चार हुए अनकित कोई नहीं, चार ही रहे इनको बहुश्रुत
और अबहुश्रुतका प्रमाण दो से गुणा किया आठ हुए अनकित

अबहुश्रुतको घटाया सात रहे इनका मियवर्म और अपियवर्म-
का प्रमाण दोसे गुणा किया चौदह हुए अनकित अपियवर्मको
घटाया तेरह रहे । इस तरह पियवर्म, बहुश्रुत, अहेतुक, अस-
कृतकारी, ऋजुभाव नामकी तेरहवी उच्चारणा सिद्ध होती है ।
यही विधि अन्य उच्चारणाओंके निरालनेमें भी करनी चाहिए ।
अक्षरग्वकर सख्या निकालनेको उद्दिष्ट कहते हैं । पहले निर्वि-
कृति, पुष्पडल, आचाम्न, एकस्थान और क्षमण इन पाँचोंको
प्रत्येक शनाका ५, द्विसयोगी १०, तिसयोगी १०, चतुसयोगी ५,
आर पंचसयोगी १ एव ३१ शनाकाओंका वरणन कर आये हैं ।
दरतीस शुद्धिया तो ये और एक आलोचना शुद्धि एव बत्तीस
शुद्धिया उक्त बत्तीस ढापों या पुष्पोंका क्रमसे प्रायश्चित्त हैं ।
प्रथम पुष्पकी आलोचना, द्वितीयकी निर्विकृति, तृतीयकी पुष्-
पडल, चतुर्थकी आचाम्न, पंचमकी एकस्थान, छठकी उपवास,
सातवेंकी निर्विकृति और पुष्पडल नामको दो सयोगवाली
छठी शनाका शुद्धि । इस तरह प्रति पुरुषको गुण और लघु
दोषका विचार कर एक एक शनाका प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥

द्वात्रिंशत्प्रियधर्माद्या अष्टाचार्यादिका. पुनः ।

गर्विताद्या दशोद्दिष्टास्तेभ्यो देय यथोचित ॥

अर्थ—प्रियधर्मादि बत्तीस पुरुष ऊपर बता चुके हैं ।
आचार्य आदि आठ पुरुषोंको आगे बतावे गे तथा गर्वित मृदु
आदि दस पुरुषोंको भी ऊपर बता आये हैं । इन बत्तीस, आठ

सहेतुक, असकृत्कारी और अनृजुभाव नामका अन्न आया । इस तरह अन्य उच्चारणोंके अन्न भी निवान लेने चाहिए ।

आगे उद्दिष्ट विधि कहते हैं—

सठाविक्रुण रूत्र उपरिओ सगुणित्तु मयमाण ।

अवणिज्ज अणकिदय कुडजा पढमतिय चेत्र ॥

अथान् एक रूप रखकर अपने ऊपरके प्रमाणसे गुणा करे और अनकितका घटाए इस तरह मयमपर्यंत करे । भार्गव— यदा जो भेद ग्रहण हो उसके आगेकी सग्या अनकित कही जाती है जैसे प्रियधर्म और अप्रियधर्मसे यदि प्रियधर्मका अन्न हो तो उसका आगेगाने अप्रियधर्मको अनकित समझना चाहिए । इसी तरह बहुश्रुत और अचहुश्रुत, सहेतुक और अहेतुक, सकृत्कारी और असकृत्कारी तथा नृजुभाव और अनृजुभावमें भी समझना चाहिए । जैसे किसीने पूजा प्रियधर्म, बहुश्रुत, सहेतुक, असकृत्कारी, नृजुभाव यह कानसी उच्चारणा है तब मयम एकरूप रखा उसको ऊपरके नृजुभाव और अनृजुभावका प्रमाण दोसे गुणा किया दो हुए अनकित अनृजुभावको घटाया एक रहा इसको सकृत्कारी और असकृत्कारीका प्रमाण दोसे गुणा किया दो हुए, यहाँ अनकित कोई नहीं दो ही रहे, इनको सहेतुक और अहेतुकका प्रमाण दोसे गुणा किया चार हुए अनकित कोई नहीं, चार ही रहे इनको बहुश्रुत और अचहुश्रुतका प्रमाण दो से गुणा किया आठ हुए अनकित

अबहुश्रुतको यथाया सात रदे उनको प्रियधर्म और अप्रियधर्म-
का प्रमाण दोसे गुणा किया चोटद हुए अनकित अप्रियधर्मको
घटाया तेरह रहे । इस तरह प्रियधर्म, बहुश्रुत, अहेतुक, अस-
कृत्कारी, ऋजुभाव नामकी तेरहवी उच्चारणा सिद्ध होती है ।
यही विधि अन्य उच्चारणाओंके निफलनेमें भी करनी चाहिए ।
अक्षररूपकर सब्या निकालनेको उद्दिष्ट रहने हैं । पहले निर्वि-
कृति, पुरुषमडल, आचाम्न, एकस्थान और क्षमण इन पा गोंको
प्रत्येक शनाका ५, द्विसयोगी १०, त्रिसयोगी १०, चतुसयोगी ५,
और पचसयोगी १ एव ३१ शनाकाओंका वगणन कर आये है ।
उकतीस शुद्धिया तो ये और एक आलोचना शुद्धि एव बत्तीस
शुद्धिया उक्त बत्तीस दोषों या पुरुषोंका क्रममें प्रायश्चित्त है ।
प्रथम पुरुषकी आलोचना, द्वितीयकी निर्विकृति, तृतीयकी पुरु-
मडल, चतुर्थकी आचाम्न, पचमकी एकस्थान, छठकी उपवास,
सातवेंकी निर्विकृति और पुरुषमडल नामका दो सयोगवाली
छठी शनाका शुद्धि । इस तरह प्रति पुरुषको गुण और लघु
दोषका विचार कर एक एक शनाका प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥

द्वात्रिंशत्प्रियधर्माद्या अष्टाचार्यादिका. पुनः ।

गर्विताद्या दशोद्दिष्टास्तेभ्यो देयं यथोचित ॥

अर्थ—प्रियधर्मादि बत्तीस पुरुष ऊपर बता चुके हैं ।
आचार्य आदि आठ पुरुषोंको आगे बतावेगे तथा गर्वित मृदु
आदि दस पुरुषोंको भी ऊपर बता आये हैं । एव बत्तीस, आठ

और दश कुल मिलाकर पचास पुरुष होते हैं । इन पचास पुरुषोंको यथायोग्य प्रायश्चित्त वितरण करना चाहिए ॥ १५६ ॥

तेऽथवा पचधोद्दिष्टा स्थानेष्वेतेष्वनुक्रमात् ।

आत्मोभयतरावन्यतरात्कञ्च नोभय' ॥१६०॥

परतरोऽपि निर्दिष्टस्त एव पच पूरुपाः ।

यथान्याय तथैतेऽपि सप्त भाज्या गणेशिना ॥

अर्थ—ऊपर बताये हुए पचास पुरुष अथवा अन्य स्थानोंमें क्रमसे आत्मसमर्थ, उभयतरसमर्थ, अन्यतर समर्थ, अनुभय आर परतर ये पचप्रकारके पुरुष कहे गये हैं । ये सब आचार्य द्वारा यथायोग्य प्रायश्चित्तसे शुद्ध किये जाने योग्य हैं ॥१६०-१६१॥

प्रायश्चित्त गुरुद्दिष्टमग्लान सन् करोति यः ।

वैयावृत्य न रोचेत् म आत्मतर इरित' ॥१६२॥

अर्थ—जो आचार्य द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तको अत-करणम ग्वेदग्विन्न न होता हुआ करता है आर वैयावृत्य नहीं चाहता है वह आत्मतर कहा गया है ॥ १६२ ॥

प्रायश्चित्त गुरुद्दिष्ट सुबह्वपि करोति यः ।

वैयावृत्य च शुद्धात्मा द्वितरोऽसौ प्रकीर्तितः ॥

अर्थ—जो पुरुष गुरु द्वारा दिये गये भारी भारी प्रायश्चित्तको करता है और वैयावृत्य भी चाहता है वह शुद्धभाव-उभयतर कहा गया है ॥ १६३ ॥

सर्वांगजातरोमांचो वैयावृत्य तपो महत् ।

लाभद्वय सुमन्वानः श्रेष्ठित्वे पुत्रलाभवत् ॥१६४॥

अर्थ—तथा जिसके सारे शरीरमें रोमांच उत्पन्न हो गये हैं, और जो वैयावृत्य और गुरु तप दोनोंकी प्राप्तिको धनधानके पुत्र लाभकी तरह अच्छा धानता है वह उभयतर है ।

भावार्थ—धनधानके धन लाभ तो है ही, पुत्र उत्पत्ति हो जानेसे उसे विशेष रूप होता है उसी तरह जो वैयावृत्य और तप दोनोंकी प्राप्तिमें मात्र दर्पित होता है वह उभयतर है ॥१६४॥

वैयावृत्य समाधत्स्व तपो वेति गणीरितः ।

तत एकतर धत्ते स्वेच्छयान्यतरः स्मृतः ॥१६५॥

अर्थ—वैयावृत्य करो अथवा तप करो इस प्रकार आचार्यने कहा । अनन्तर जो पुरुष एकको तो धारण करता है और दूसरेको अपनी इच्छानुसार धारण करता है वह अन्यतर माना गया है ॥ १६५ ॥

वैयावृत्य न यो वोढु प्रायश्चित्तमपि क्षमः ।

दुर्वलो धृतिदेहाभ्यामलब्धिनोभयः स तु ॥१६६॥

अर्थ—जो पुरुष वैयावृत्य और उपवासादि प्रायश्चित्त धारण करनेमें समर्थ नहीं है और उर्यवन तथा देहवनसे दुर्बल है और लाभर्जित है वह अनुभय है । भावार्थ—जो वैयावृत्य और

उपवासादि दोनों तरहके प्रायश्चित्तको करनेमें असमर्थ है यह अनुमय है इसलिये उसे आमन्त्र, निर्विकृति, एकस्थान, पुरु-
मदन् आदि देना चाहिए ॥ १६६ ॥

दीयमान तपः श्रुत्वा भयाद्द्विजते मुहुः ।
प्रोद्बृत्तपाडुरक्षः सन् म्लाग्निमेति प्रकपते ॥
वैमनस्य समाधत्ते रोगमाप्नोति दुर्बलः ।
प्राणत्याग विधत्ते वा श्रामण्याद्वा पलायते ॥१६८
प्रायश्चित्त न शक्नोति कुर्याच्च व्यावृतिवहु ।
दुर्बलस्तनुर्धैर्याभ्या लब्धिमान् परशक्तिकः ॥

अर्थ—जो दिये हुए प्रायश्चित्तको सुनकर भयसे बारबार
उद्वेगको प्राप्त हो जाता है, जिसके नेत्र सफेद पड़ जाते हैं
अतएव मलीनमुख हो जाता है जिसका शरीर थर थर कापन
लगता है, जो वैमनस्य धारण कर नेता है, व्याधियुक्त हो
जाता है, शरीरमें कृश होकर प्राणत्याग करता है, चारित्रसे
भ्रष्ट हो जाता है, शरीर और धैर्यस दुर्बल है आहार आशय
आदिके नाभसे सपन्न है और उपवासादि प्रायश्चित्त धारण
करनेमें सक्षम नहीं है किन्तु मुझे वैवाह्य प्रायश्चित्त देकर
अनुमति करी उपवासादि करनेको असमर्थ है इस तरह कहता
हूँ ॥
करता है वह पगतर पुरुष है ॥१६८

द्विप्रकाराः पुमांसोऽथ सापेक्षा निरपेक्षकाः ।

निर्व्यपेक्षाः समर्थाः स्युराचार्याद्यास्तथेतरे ॥

अर्थ—पुरुष दो तरहके होते हैं एक सापेक्ष, जो आचार्योंके अनुग्रहकी आकांक्षा रखते हैं कि आचार्य हम पर अनुग्रह करें । दूसरे निरपेक्ष, जो आचार्योंके अनुग्रहकी आकांक्षा नहीं रखते । उनमें निरपेक्ष जो आचार्य आदि हैं वे पुरुष हैं जो समर्थ—महाशक्तिशाली होते हैं । तथा उनके अलावा दूसरे सापेक्ष होते हैं ॥ १७० ॥

गीतार्थाः कृतकृत्याश्च निर्व्यपेक्षा भवन्त्यमी ।

आलोचनादिका, तेषामष्टधा शुद्धिरिष्यते ॥१७१॥

अर्थ—ये निरपेक्ष पुरुष गीतार्थ और कृतकृत्य होते हैं । जो ना और दश पूर्व धारो हैं उन्हें गीतार्थ कहते हैं और जिन्होंने नौपूर्व और दशपूर्वका ग्रन्थ और रूप जानकर अनेक बार उनका व्याख्यान किया है वे कृतकृत्य कहे जाते हैं । अतः उनके लिए आलोचनापूर्वक आठ प्रकारकी शुद्धि कहा गई है ॥

तेऽग्रमत्ताः सदा सतो दोषं जात कथंचन ।

तत्क्षणादपकुर्वति नियमेनात्मसाक्षिकं ॥ १७२ ॥

अर्थ—वे निरव्यपेक्ष पुरुष सदाकाल प्रमादरहित होने हैं । यदि किसी कारणवश कोई दोष उत्पन्न हो जाता है—उनसे

कोई अपराध हो जाता है तो व उसी सपथ आत्ममान्ती पुर्णक उस दोषका नियमसे प्रतीकार कर लेते हैं ॥ १७२ ॥

धैर्यसहननोपेता' स्वातंत्र्याद्योगधारिणः ।

तद्वह्वपि समुत्पन्न वहति निरनुग्रह ॥ १७३ ॥

अर्थ—परम धैर्य और उच्चमसहननकर सहित व परम योगी स्वर स्वाधीन रहनेके कारण भारीस भारी भी उत्पन्न हुए दोष को आरोंके अनुग्रहकी अपना किये बिना ही स्वयं दूर कर लेते हैं ॥ १७३ ॥

आलोचनोपयुक्ता यन्दु यन्त्यालोचनात्ततः ।

कृत्वाशेष च मूलान्त शुव्यन्ति स्वयमेव ते ॥ १७४ ॥

अर्थ—जो आलोचना—दोष दूर करनेमें उपयुक्त रहते हैं वे निरपेक्ष पुरुष आलोचना मात्रसे शुद्ध हो जाते हैं । तो भी व दूसरे भी प्रतिक्रमणको आदि नकर मूलपर्यन्तके प्रायश्चित्त अपन आप ग्रहण कर शुद्ध हो लेते हैं ॥ १७४ ॥

यहां तक निरपेक्ष पुरुषोंका वर्णन किया आगे सापेक्षोंका करते हैं,—

आचार्यो वृषभो भिक्षुरिति सापेक्षास्त्रिधा ।

गीतार्थो वृषभ सूरि कृत्यकृत्येतरौ पुनः ॥ १७५ ॥

अर्थ—सापेक्ष पुरुष तीन प्रकारके होते हैं । आचार्य, वृषभ-

प्रधान, और भिक्षु—सामान्य साधु । उनमेंसे आचार्य और प्रधान पुरुष गीतार्थ अर्थात् सकल शास्त्रोंक वक्ता होते हैं तथा कृत-कृत्य-सम्पूर्ण शास्त्रोंके व्याख्याता भी होते हैं और अकृतकृत्य भी होते हैं अर्थात् सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता तो दात हैं परन्तु व्याख्याता नहीं होते । भावार्थ—गीतार्थ कृतकृत्य और अकृतकृत्य ऐसे तीन तीन प्रकारके आचार्य और वृषभ पुम्प होने हैं ॥

गीतार्थश्चेतरो भिक्षुः कृतकृत्येतरस्तयोः ।

आद्यः स्यादपरो द्वेषाधिगतश्चेतरोऽपि च ॥

अर्थ—भिक्षु दो तरहका होता है—गीतार्थ और अगीतार्थ । उनमेंसे पहला गीतार्थ का तरहका है कृतकृत्य और अकृतकृत्य अगीतार्थ भी दो तरहका है—अधिगत और अनधिगत । जो शास्त्रज्ञानसे तो अन्य है परन्तु स्वयं विचारक है उसे अधिगतार्थ कहते हैं और जो वचन गुरुक उपदेश पर ही निर्भर रहता है उसे अगीतार्थ कहते हैं ॥ १७६ ॥

द्विधानधिगताभिर्यः स्यात्स्थिरास्थिरभेदतः ।

अत्राष्टास्वनधिगते वाञ्छैवाऽस्थिरनामनि ॥

अर्थ—स्थिर और अस्थिरके भेदसे अनधिगत परमार्थ दो तरहका है । जो अर्मम निश्चल है वह स्थिर कहा जाता है और जो चारित्र्यमें चलाबमान है वह अस्थिर कहा जाता है । सापेक्षके इन आठ भेदोंमें अस्थिर नामके अनधिगत परमार्थमें वाञ्छा ही

निश्चययुक्त तपको प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा प्राय नाम सावु-
लोकका है उनका चित्त जिस कर्मके करनेमें है वह प्रायश्चित्त है
अथवा प्राय नाम अपराधका है और चित्त नाम विशुद्धिका है
अपराधकी विशुद्धिको प्रायश्चित्त कहते हैं ।

यह प्रायश्चित्त प्रमादजनित दोषोंको दूर करनेके लिए,
भावोंकी अर्थात् सङ्घिष्ट परिणामोंकी निर्मलताके लिए, अन्तरंग
परिणामोंको विचलित करनेवाले दोषोंको दूर करनेके लिए,
अनप्रस्था अर्थात् अपराधोंकी परंपराका विनाश करनेके लिए,
प्रतिज्ञात व्रतोंका उद्ध घन न हो इसलिए और समयकी दृष्टता-
के लिए किया जाता है ॥ १८० ॥

प्रायश्चित्त कौन द ? यह बताते हैं,—

प्रायश्चित्तविधावत्र यथानिष्पन्नमादित ।

दातव्य बुद्धियुक्तेन तदेतद्दशघोच्यते ॥ १८१ ॥

अथ—प्रायश्चित्त देना साधारण मनुष्योंका कार्य नहीं है । उस-
को देनेमें बुद्धिमान पुरुष ही नियुक्त हैं अत वे पूर्वोक्त विधिके
अनुसार आगे कहा जानेवाला दश प्रकारका प्रायश्चित्त दें ॥

आगे दशप्रकारके प्रायश्चित्तके नाम बताते हैं;—

आलोचना प्रतिक्रान्तिर्द्वय त्यागो विसर्जनं ।

तपः छेदोऽपि मूल च परिहारोऽभिरोचन ॥

अथ—आलोचना, प्रतिक्रमण, तद्भय, त्याग, व्युत्सग,

तप, छेद, मूल, परिहार और श्रदान ये दश प्रायश्चित्तके भेद हैं ।

१—गुरुके सप्त दशदोष रहित अपने दोष निवेदन करना आलोचना है । वे दश दोष ये हैं—

आकंपिअ अणुमाणिअ जं दिट्ठं वादरं च सुहम च ।
छन्नं सद्वाउलियं बहुजणमव्वत्त तस्सेवी ॥

आकंपित, अनुमापित, यद्दृष्ट, वादर, सुहम, छन्न, शब्दा-
कुलित, बहुजन, अव्यक्त और तस्सेवी ये दश आलोचना
दोष हैं ।

(१) महाप्रायश्चित्तके भयसे, अल्पप्रायश्चित्तके निषिद्ध,
उपकरण आदि देकर आचार्यको अपने अनुकूल करना आक-
ंपित नामका पहला आलोचना दोष है ।

(२) इस समय प्रार्थना की जायगी तो गुरुपद्वाराज मुक्त
पर अनुग्रह कर छोटा प्रायश्चित्त देंगे ऐसा अनुमानसे भांपकर,
“वे धन्य हैं जो वीर पुरुषों द्वारा आचरण किये गये उत्कृष्ट
तपको करते हैं” इस प्रकार महातपस्त्रियोंको स्वति करते हुए
तपमें अपनी कमजोरी प्रकाशित करना अनुमापित नामका
दूसरा आलोचना दोष है ।

(३) जो दोष दूसरोंने न देखा हो उसे छिपाकर जो
दूसरोंने देखा है उसे कहना तीसरा यद्दृष्ट नामका आलोचना
दोष है ।

उससे प्रायश्चित्त लेना अव्यक्त नामका नौवा आलोचना दोष है ।

(१०) इसके अपराधके बराबर ही घेरा अपराध है उसका प्रायश्चित्त तो यही जानता है अतः उसको जो प्रायश्चित्त दिया गया है वही घेरे लिए भी युक्त है इस तरह उस अपनी पराधरी बानेमे ही प्रायश्चित्त ले लेना दशवा तत्सेवी नामका आलोचना दोष है ।

२—कर्मश्रम समादके उदयसं जो अपराध मुक्तसे हुआ है वह घेरा अपराध शान्त हो इस तरहके शब्दोच्चारणों द्वारा अपने अपराधका व्यक्त प्रतीकार करना प्रतिक्रमण नामका दूसरा प्रायश्चित्त है ।

३—कोई दोष आलोचनामात्रसे ही शुद्ध हो जाते हैं और कोई प्रतिक्रमणसे शुद्ध होते हैं परन्तु कोई दोष ऐसे हैं जो आलोचना और प्रतिक्रमण उन दोनोंके मिलने पर शुद्ध होते हैं इसीको तद्बुभय कहते हैं ।

४—ससक्त (मिले हुए) अन्न, पान, उपकरण आदिको छोट देना विवेक प्रायश्चित्त है । अथवा शुद्ध आहारमें भी अशुद्धपनेका सदेह और विपर्यय हो जाय, अथवा अशुद्धमें शुद्धका निश्चय हो जाय, अथवा त्याग का हुई वस्तु पात्र या मुखमें आजाय, अथवा जिम वस्तुके ग्रहण करनेमें कषाय आदि भाव उत्पन्न हों उन सबको त्याग देना विवेक प्रायश्चित्त है ।

५—अन्तर्मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास आदि कासका नियम कर कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है ।

६—अनशन, अग्रमोदर्य, वृत्तिपरिसङ्ख्यान, आदि तप करना अथवा उपवास आचाम्ल, एकभुक्ति आदि तप करना तप प्रायश्चित्त है ।

७—चिर दीक्षित सापराध साधुकी दिवस, पक्ष मास आदि के विभागसे दीक्षाछेद देना छेद प्रायश्चित्त है ।

८—अपरिमित अपराध वन जाने पर उस दिनसे लेकर सम्पूर्ण दीक्षाको नष्ट कर फिर दीक्षा देना मूल प्रायश्चित्त है ।

९—पक्ष, मास आदिको अग्रधि तक सघसे बाहर कर देना परिहार प्रायश्चित्त है ।

१०—सोगत आदि मिथ्यापतोंको प्राप्त होकर स्थित हुए साधुको पुन नवीन तौरसे दीक्षा देना श्रद्धान-उपस्थापना प्रायश्चित्त है ॥ १८२ ॥

करणीयेषु योगेषु छद्मस्थत्वेन सन्मुनेः ।

उपयुक्तस्य दोषेषु शुद्धिरालोचना भवेत् ॥१८३॥

अर्थ—अवश्य करने योग्य तपोविशेषमें अथवा मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियोंके निषेधमें सावधान होते हुए भी छद्मस्थताके कारण दोष लगने पर आलोचना प्रायश्चित्त होता है ॥

सज्ञोद्भ्रान्तविहारादावीर्यासमितिसयत् ।

यो गुप्तिष्वप्रमत्तश्च निदोषोऽपि च सयमे ॥१८४॥

आलोचनापरीणामो यावदायाति नो गुरु ।

तावदेव स नो शुद्धः समालोच्य विशुद्ध्यति ॥

अथ—सज्ञा—कायमनके त्यागनेमें, उद्भ्रान्त—दूसरे ग्राम-
को सिर्फ जानेम, आदि शब्दमें आर भी गमन—आगमन
(इतर-उधर जाने आने) आदि क्रियाओंके करनेमें ईर्यासमिति-
से युक्त होते हुए, तीनों गुणियोंके पाननर्म कोई तरदका प्रमाद
न करते हुए, प्राणिसयम और इ द्वियमयमके पासन करनेमें भी
दोष न लगाते हुए तथा दोषोंके निवेदन करनेमें भाव होते हुए
भी जब तक यह साधु सज्ञा, उद्भ्रान्त, विहार आदि क्रियाओं-
को करके गुरुके पास न आत तब तक शुद्ध नहीं है—अशुद्ध है
सदोष है। बाद गुरुके पास आकर आलोचना करके शुद्ध-
निर्दोष होता है ॥ १८४-१८५ ॥

ये विहर्तुं विनिष्क्रान्ता गणाचरणसंयताः ।

आगतानां पुनस्तेषां शुद्धिरालोचना भवेत् ॥

अर्थ—जो कोई मुनि किसी प्रयोजन वश अपने गणसे
निकलकर युक्ताचारपूर्वक विहार करनेके लिए चले जाय वे
जब लौटकर वापिस आवे तब उनके लिए उसका आलोचना
प्रायश्चित्त है ॥ १८६ ॥

अन्यमधगतानां च विशुद्धाचारधारिणां ।

उपसपत्नमेतानां शुद्धिरालोचना भवेत् ॥१८७॥

अर्थ—जो कोई मुनि अपने आचरणमें कोई तरदका दोष
न लगाते हुए दूसरे सयको जाकर अपने सयमें वापिस आवे तो
उनके लिए उसका आलोचना प्रायश्चित्त है ॥ १८७ ॥

आगे प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त वर देना चाहिए यह बताते हैं—

मनमावद्यमापन्नो वाचाऽऽमाद्य गुरुनथ ।

उपयुक्तो वधे चापि द्राग्भवेत्तन्निवर्तन ॥१८८॥

अर्थ—जो मनके द्वारा दुश्चित्तजन्य दोषको प्राप्त हुआ हो जिसने वचनोंसे आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणधर आदिकी अपज्ञा की हो और जो कायद्वारा नात थप्पड आदि मारनेमें प्रवृत्त हुआ हो उसके लिए इस अपराधका प्रायश्चित्त शीघ्र प्रतिक्रमण कर लेना है ॥ १८८ ॥

तत्क्षणोद्वेगयुक्तस्य पश्चात्तापमुपेयुषः ।

स्वयमेवात्मसाक्षि स्यात्प्रायश्चित्त विशोधन ॥

अर्थ—जिस क्षणमें दोषरूप परिणत हो उसके अनन्तर ही उद्वेग अर्थात् चतुर्गति ससाररूप अधरूपमें पतनक भयसे युक्त होने हुए तथा पश्चात्ताप करते हुए उस साधुक लिए स्वय ही आत्मसाक्षीपूर्वक प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है अर्थात् वह स्वय इस प्रकार प्रतिक्रमण करे कि हा ! मुझे धिक्कार है, मैंने बड़ा बुरा किया, येरा, दुष्कृत मिथ्या हो ॥ १८९ ॥

वैयावृत्यक्रियाभ्रशे छेदधोवातजृभणे ।

दुःस्वप्ने विस्मृते वापि प्रायश्चित्त प्रतिक्रम ॥

अर्थ—वैयावृत्य करना भूलजान पर, डीक, अधोवायु, (पाद) और जमाई लेने पर, दुःस्वप्न होने पर तथा साधुओंको

प्रतिदिन ओषध आदि देना भूल जाने पर भी प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है ॥ १६० ॥

आभोगे वाप्यनाभोगे भिक्षाचर्यादिके क्वचित् ।
कथंचिदुत्थिते दडे प्रायश्चित्त प्रतिक्रमः ॥१९१॥

अर्थ—भिक्षार्थ जाना आदि कोई एक क्रियाविशेषके समय लोगोंने देखा हो या न देखा हो कदाचित् किसी कारखानेके दडोत्थान (निगके खड) हो जाने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । तदुक्त —

गोचरगतस्य लिङ्गुत्थाने अण्णम्स सकिलेमे य ।
णिन्दणगरहणजुत्तो णियमो वि य होटि पडिकमण ॥

अर्थात् भिक्षाके निष्पन्न द्रव्य साधुका निगोत्थान होजाने पर और अपने द्वारा अन्यको मन्त्रेश होने पर अपनी निंदा और गर्हणके युक्त नियम नामका प्रतिक्रमण होता है ॥ १६१ ॥

सूक्ष्मे दोषे न विज्ञाते छद्मस्थत्वेन चागसां ।
अनाभोगकृतानां च विशुद्धिस्तद्द्वय भवेत् ॥

अर्थ—अत्यन्त सूक्ष्म दोष जो कि छद्मस्थताके कारण जाननेमें न आया कि यह दोष है, ऐसे दोषकी तथा अनाभोग

१ गोचरगतस्य लिङ्गोत्थानेऽ यस्य सखक्षेणे च ।

निन्दनगर्हणयुक्तो नियमोऽपि च भवति प्रतिक्रम ॥

कृत अर्थात् दोष तो लगे पर जाने नहीं गये ऐसे दोषोंकी
विशुद्धि आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों हैं ॥ १८२ ॥

दिवसे निशि पक्षेऽब्दे चतुर्मासोत्तमार्थके ।

शैल्यानाभोगकार्येषु पद यो युक्तयोगिनः ॥

आलोचनोपयुक्तोपि विप्रमादो न वेत्यथ ।

अनिगूहितभावश्च विशुद्धिस्तस्य तद्द्वय ॥१९४॥

अर्थ—जो साधु अपना आचरण उचित रीतिसे पालन कर
रहा है, आलोचना करनेमें तत्पर है, सम्पूर्ण त्रिषास्त्रोंमें सार
धान है किंतु अपने दोषोंका नहीं जानता है तथा अपने भावों-
को भी नहीं छिपाता है उसके—द्वैतिक, रात्रिक, पात्रिक,
चातुर्मासिक, सात्त्विक और उत्तमाथक प्रतिक्रमणोंकी
सहसा करनेका और दोष तो लगा पर उसका ज्ञान न हुआ
ऐसे अदृष्ट दोष विशेषक करनेका आलोचना और प्रतिक्रमण
प्रायश्चित्त है ॥ १८३—१८४ ॥

अध्यामथोपधि पिंडमादायैषणदूपण ।

प्रागजिज्ञाय विज्ञाते प्रायश्चित्त विवेचन ॥१९५॥

अर्थ—वसतिका, उपकरण और आहार, पहने ग्रहण करते
समय शक्ति आदि एषणाके दश दोषोंसे दूषित न जान कर
ग्रहण किये गये हो पश्चात् उनका ज्ञान होने पर उनको छोड़
ने प्रायश्चित्त है ॥ १८५ ॥

भक्तपानं विशुद्ध च समादायैपणाहतं ।
तन्मात्रं वाथ सर्वं वा विशुद्धः सपरित्यजन् ॥

अर्थ—एपणादोषोंसे दूषित मासुक भी आहार पानको ग्रहण कर, जितना दूषित है उतनेको या सभके सब सदोष और निर्दोष आहार—पानको छोड़ देने वाला विशुद्ध है—प्रायश्चित्तरहित है । भावार्थ—आहार तो मासुक—शुद्ध बना हुआ हो पर यह एपणा दोषोंसे दूषित हो गया हो ऐसे आहार पानक ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त उसको छोड़ देना ही है आंग कोर्ट जुदा प्रायश्चित्त नहीं ॥ १६६ ॥

भक्तपान विशुद्ध च कोटिजुष्टमशुद्धियुक् ।
तन्मात्रं वाथ सर्वं वा विशुद्धः सपरित्यजन् ॥

अर्थ—मासुक भी अन्न पान, क्या यह अन्न पान भेरे ग्रहण करने योग्य है या नहीं ? ऐसी आशका से युक्त हो गया हो तो वह अशुद्ध है अत उतनेही—जितनेम कि आशका उत्पन्न हुई है अथवा सभके सब सदोष और निर्दोष आहारको भी त्याग देनेवाला विशुद्ध है प्रायश्चित्तरहित है । भावार्थ—मासुक भी आहारमें यह योग्य है या अयोग्य ऐसी आशका होने पर उम आहारको छोड़ देना ही उसका प्रायश्चित्त है अन्य नहीं ॥ १६७ ॥

भक्तपान विशुद्ध च भावदुष्टमशुद्धिमत् ।
सर्वमेवाथ तज्जुष्ट विशुद्ध. मपरित्यजन् ॥

अर्थ—शुद्ध भी अन्न-पान यदि परिणामोंसे दूषित हो जाय अर्थात् उसमें बुरे परिणाम हो जाय तो यह शुद्ध भी भोजन अशुद्ध हो जाता है। अतः उस सारे ही सटोप और अटोप भोजनको या जितना परिणामोंसे दूषित हुआ है उतनेको छोड़ देने जाना शुद्ध है—उस भोजनको छोड़ देना ही उसके लिए विवेक नामका प्रायश्चित्त है और कोई जुदा प्रायश्चित्त नहीं ॥ १६८ ॥

भक्तपाने विशुद्धेऽपि क्षेत्रकालसमाश्रयात् ।
द्रव्यतः स्वीकृते रात्रौ विशुद्धस्तत्परित्यजन् ॥

अर्थ—देश और कालके आश्रयसे कि इस देशमें दुर्मित्त है या यह समय दुर्मित्तका है न जाने फिर आहार पिलेगा या नहीं इस प्रकार दुर्मित्त आदि किसी भी कारणका मनम सकल्प कर अथवा शरीरमें कोई राग नगरह होनेका कारण निर्दोष रीतिसे तैयार किये गये शुद्ध भी अन्न-पानको रात्रिमें लेना स्वीकार करने पर विवक (उस भोजनको त्याग देना ही) प्रायश्चित्त होता है ॥ १६९ ॥

प्रत्याख्यात निषिद्ध यद्भक्तपानादिक भवेत् ।
तत्पाणिपात्रास्यसस्थ विशुद्ध. परिवर्जयेत् ॥

अर्थ—जो अन्न, पान, म्वाद्य, लेह आदि भोजन त्याग

किया हुआ है अथवा पिंडशुद्धिर्म देश कालकी अपेक्षा; जिसका लेना निषिद्ध है वह भाजन यदि हाथमें रखवा गया हो, या पात्रमें परोसा गया हो या मुख्यम लिया गया हो ता उसका विनोक प्रायश्चित्त है ॥ २०० ॥

उत्पथेन प्रयातस्य सर्वत्राभावतः पथः ।

स्त्रिगधेन च निगीथाद्वाविवद्यस्वप्नदर्शने ॥२०१॥

अर्थ—चारों दिशाओंमें मार्ग न मिलने पर उन्मार्ग होकर चलनेका, गीले अप्रामुक्त मार्ग होकर चलनेका या दरों पास वगैरह पर होकर गमन करनेका और आशुंरात शीत जलानेके बाद बुरे सपने देखनेका प्रायश्चित्त एक कायोत्सर्ग है ॥ २०१ ॥

स्रस्तरस्य वह्निर्दण्डेऽ चक्षुषो विपथे मृते ।

रात्रौ प्रमृष्टशय्याया यत्नसुप्तोपवेशने ॥ २०२ ॥

अर्थ—उत्तेजनेमें शयन स्थानका प्रतिनिध्वन कर रात्रिम यत्नपूर्वक सोये और बैठे हों, पश्चात् मूर्खोदय होन पर सथांगक उधर उधर जहाँ नजर नही पडुचती ऐम पास ही क चलने फिरनेके स्थानमें कोई जीव मग हुआ देखनेमें आर तो उसका प्रायश्चित्त कायात्सर्ग है ॥ २०२ ॥

व्यापन्ने च त्रसे दृष्टे नद्याश्रागाढकारणात् ।

नावा निर्दोषयोत्तारे कायोत्सर्गो विगोधनं ॥

अर्थ—मग हुये प्रम जीवोंके देखनेका और दूमरोंके लिए

तयार की गई नाव आदिके द्वारा विना मूल्य नदी, समुद्र, तालाब आदि पार करनेका कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ २०३ ॥

क्रम्यादौ निर्गते देहाद्देहासक्तमृते त्रसे ।

महिकायां महावाते त्रसोत्थाने गतावपि ॥

लोचानभ्यासने रात्रावदृष्टे मलवर्जने ।

जीणोपधिपरित्यागे कायोत्सर्गो विशोधन ॥

अर्थ—शरीरस कृमि (जट) आदिक निकलने पर, अपने शरीरका स्पर्श पाकर अपने ही आप दो इंद्रिय आदि त्रय जीवोंका प्राण दे टन पर, जिनम चांगी, डाम मच्छर आदि त्रस जीवोंका अधिक संचार हो ऐसी पृथिवी आर प्रचडवायुम हो कर गमन करने पर, केशलोचकी रात्रा ७ मह सकने पर, रात्रिमें और दिनमें अशोधित स्थानमें मल मूत्र करन पर, और पुराने तृण, चटाई आदि उपकरणोंके जेडन पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है ॥ २०४-२०५ ॥

श्रुतस्कधपरीवर्तस्वाध्यायस्य विमर्जने ।

कालाद्युल्लघन स्याच्चेत्कायोत्सर्गो विशोधन ॥

अर्थ—पूण श्रुतस्कधवा या उससे किसी भागका पाठ और मंत्रपदका जाप अथवा द्वादशांगका व्याख्यान और स्वाध्यायके पूण होने पर आंग वाचना, बदना व्याध्याय आदिके समयका उल्लघन होने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है । भावार्थ—पूण

द्वादशांग शास्त्रका या उसके किमी एक भागका पाठ करते समय, तथा मंत्रपदका जाप करते समय अथवा द्वादशांग शास्त्रका व्याख्यान और स्वाध्याय करते समय केवल अर्थम केवल व्यजनम और अर्थ-व्यजन दानोंम अत्यंत जल्दी २ गीनना, धीरे धीरे बोलना, अक्षर, पदाथ, हीन या अधिक बोलना इत्यादि दोष लगा करते है । अत उन दोषोंकी शुद्धिके निमित्त उन सिद्धान्त शास्त्रोंका, व्याख्यान और स्वाध्याय पूरा होने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है । तथा उनका समय चूकने पर भी यही प्रायश्चित्त होता है ॥ २०६ ॥

दिवसे निशि पक्षेऽब्दे चतुर्मासोत्तमार्थके ।

मासे च द्रागनाभोगे कायोत्सर्गो विशोधन ॥

अर्थ—दैनसिक, रात्रिक, पादिक, मासिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थक (अत्य) प्रतिक्रमणक्रियाओंकी जल्दी जल्दी करने पर, तथा अपरिज्ञात दोष विशेषके लगने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होता है ॥ २०७ ॥

एवमादितनूत्सर्गविधिमुल्लघते यदा ।

अप्राप्तच्छेदभूमि च तपोभूमि तदा श्रेयत् ॥

अर्थ—जिस समय जो मुनि ऊपर बताई हुई कायोत्सर्ग-विधिका छेद घन करता है वह उस समय छेद प्रायश्चित्तको प्राप्त न होता हुआ उपवासादि तप प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥

नीरम पुरुमडश्राप्याचाम्ल वैकसस्थिति ।

क्षमण च तपो देयमेकैक द्वयादिमिश्रक ॥२०९॥

अर्थ—निर्विकृति, पुष्पमडल, आचाम्ल, एकस्थान, आर
षपवाम यह पाच प्रकारका तप एक एक, दो दो, तीन तीन,
चार चार और पाच पांच भगोम विभक्त कर आलोचना कायो-
त्सग आदि और ओग प्रायश्चित्तोंके साथ साथ देना चाहिए ।

भावार्थ—निर्विकृति, पुष्पमडल, आचाम्ल, एकासन और षप-
वाम इनके प्रत्येक भग, द्विसयोगी भग, त्रिसयोगी भग, चतु-
सयोगी भग और पंचमयोगी भग पहले परिच्छेदमें कह आये
हे ये सब भग तप प्रायश्चित्तके भेद हे अत कहीं एक एक, कहीं
दो दो, कहीं तीन तीन, कहा चार चार और कहीं पाच पाच
भगयुक्त तप प्रायश्चित्त आलोचना आदि प्रायश्चित्तोंके साथ साथ
देना चाहिए ॥ २०९ ॥

आपणमासमिद सर्वं सान्तरं च निरन्तरम् ।

अन्तर्तीर्थं न विद्येत तत ऊर्ध्वं तपोऽधिकम् ॥

अर्थ—यह ऊपर कहा हुआ सर्व प्रकारका तप प्रायश्चित्त
सान्तर और निरन्तर छठ महीने तक करना चाहिये, अधिक
नहीं । क्योंकि वर्धमान स्वामीके तीर्थमें छठ मास ऊपर अधिक
तप नहीं है । भावार्थ—अ तिम तीर्थकर श्रीवर्धमान स्वामीके
तीर्थमें मनुष्योंकी आयु, कान और शक्ति बहुत न्यूनताको लिए
हुए है अत उनकी शक्तिक अनुसार ही तप प्रायश्चित्त होना

चाहिए । यद्यपि प्रायश्चित्त पापोंकी शुद्धि करनेमाना है पर तो भी शक्तिके अनुसार किया हुआ हो पापोंका नाश करता है । शक्तिके माहुर करनेसे आतंभ्यान आदि अशुभ परिणाम उत्पन्न हो आते हैं जिनका फल अशुभ हो जाताया गया है । उपर्युक्त सान्तर तथा निरन्तर तप करनेका विधान इस प्रकार है । प्रथम प्रत्येक भगकी अपेक्षासे जाता है । एक दिन छोड़ कर निर्विकृति आदिके करनेको सान्तर कहते हैं तथा एक दिन न छोड़कर दो दो तिन तीन तीन दिन आदि । दनो तक लगातार करनेको निरन्तर कहते हैं । सा ही कहते हैं । एक दिन निर्विकृति दूसरे दिन सामान्य आहार, फिर निर्विकृति फिर दूसरे दिन सामान्य आहार इस तरह एकान्तरसे पूर्ण छठ महीने तक निर्विकृति की जाती है । दो दो निर्विकृति एक सामान्य आहार फिर दो दो निर्विकृति एक सामान्य आहार इस तरह निरन्तर छठ महीने तक निर्विकृति सम्पन्नना चाहिए । इसी तरह तीन तीन निर्विकृति एक सामान्य आहार तथा चार चार निर्विकृति एक सामान्य आहार, तथा पाच पाच निर्विकृति एक सामान्य आहार इत्यादि विधिके अनुसार निरन्तर ऋषि महीने तक निर्विकृतिका क्रम सम्पन्नना चाहिए । जिस तरह सान्तर और निरन्तर निर्विकृतिके करनेका क्रम है उसी तरह पुरु डल, आचाम्बल, एकस्थान और उपवासका सम्पन्नना चाहिए यह हुआ एक एक भगकी अपेक्षा । द्विसयोगी भगोंकी अपेक्षा निर्विकृति और पुरु भडल से दो, करके सामान्य आहार करना इस तरह छठ महीने

तक करना । इसी तरह निर्विकृति आर आचाम्ल, निर्विकृति
 और एकम्पान, निर्विकृति आर उपवास आदि द्विमयोगी
 शलाकाओंका मान्तर और तिसर तर व्रत सम्पन्ना चाहिए । द्वा
 दा, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह आदि द्विसयागी
 शलाकाओंको करने सामान्य आहार करना निरन्तर द्विसयागी
 शलाकाओंको करनेका व्रत है । इसी तरह त्रिमयोगी, चतुःम-
 योगी, पञ्चयोगी शलाकाओंका मान्तर और निरन्तर छह
 महीन तक करना चाहिए । एवं षष्ठापवास, (बेना) अष्टमो-
 पवास (तेना) दशमोपवास (चाना) द्वादशोपवास (पचाना)
 पत्रोपवास, मासोपवास आदि तथा एकत्रय्याण पचकल्या-
 णक आदि विनाप तपोका मग्न हो यहा पर सम्पन्ना चाहिए ।
 इस तरह यह कल्पव्यवहार प्रायश्चित्तका अभिप्राय है ॥ २१० ॥

अपमृष्टे परामर्गे रुद्धत्याकुचनादिषु ।

जलसेलादिकोत्सर्गे पचक परिकीर्तितम् ॥

अर्थ—बिना प्रतिज्ञेयन की हुई वस्तुओंको स्पर्श करनेका
 खान खुजानका दाय पेर आदिके सकोचने, पसारने, आदि
 शब्दसे उद्धर्तन परावर्तन आदि विधियाँ विशेषके करनेका, तथा
 अप्रतिज्ञेयत स्थानमें मल-मूत्र करने कफ टानने आदिका
 कल्याणक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ २११ ॥

दडस्य च करोद्धर्ते जघासपुटवेजने ।

कटकाद्यननुज्ञातभगादाने च पचक ॥ २१२ ॥

अर्थ—निगूना हाथसे परिमर्दन करने पर, उसे दोनों जघामोंके मध्यमें रखने पर तथा काटे, ईंट, काष्ठ, रपड़े, भस्म गोमय आदि पिना दी हुई चीजोंको तोड़ने-फोड़ने और ब्रह्मण करने पर, कल्याणक प्रायश्चित्त होता है ॥ २१० ॥

ततुच्छेदादिके स्तोके दन्ताङ्गुल्यादिभिस्तथा ।
इत्यादिक दिवाऽणीयो गुरुः स्याद्रात्रिसेवने ॥

अर्थ—सूक्ष्म ततु, तृण, काष्ठ आदि वस्तुओंको टान्न, उगना आदिस तोड़ने-फोड़नेका पचक प्रायश्चित्त है । इन ततु-च्छेदन आदि कृत्योंको दिनमें करे तो लघुतर प्रायश्चित्त और रात्रिमें करे तो गुह्यतर प्रायश्चित्त होता है ॥ २१३ ॥

प्रायश्चित्त चरन् ग्लानो रोगादातकतो भवेत् ।
नीरोगस्य पुनस्तस्य दातव्य पचक भवेत् ॥

अर्थ—दिये हुए प्रायश्चित्तका आचरण करता हुआ मुनि यदि किसी रोगसे या जठरशूल शिर शूल आदिके निमित्तसे पीडित हो जाय तो उसको नीरोग होने पर कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २१४ ॥

प्रायश्चित्त वहन् सूरेः कार्यं ससाधयेत् सुधीः ।
परदेशे स्वदेशे वा दातव्य तस्य पचक ॥२१५॥

अर्थ—उपवास आदि प्रायश्चित्त करता हुआ बुद्धिमान मुनि देशान्तरोंको जाकर या स्वदेशमें ही जाकर आचार्य (गुरु)

का कोई कार्य साधन करे तो उसका कार्यसाधन कर वापिस आने पर कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २१५ ॥

मालवो यत्नतोऽध्वान योऽभिव्रजति मयतः ।
निस्तीर्णस्य सतस्तस्य ढातव्य पत्रक भवेत् ॥

अर्थ—जो कोई मयत, किमो दूर अतिके कार्यके निमित्त यत्नपूर्वक मार्ग गमन कर कही जाय तो उसको नौटकर वापिस आने पर कल्याणक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २१६ ॥

नखच्छेदादिगस्त्रादि वास्याद्यैः डकादिके ।
लघुगुणकचत्वारः परश्चाद्यैश्च कर्तने ॥ २१७ ॥

अर्थ—नखच्छेदादि नङ्गी, छुरा, कंजी आदिसे लकड़ी बगैरह को छीनने पर लघुमास, शस्त्रादि छुरी छुरपा आदि से छीनने पर गुरुमास, राम्यादि बमूना आदिसे छीनने पर लघुचतुमास और परश्चादि कुल्हाडी आदिसे टुकड़े करने पर गुरुचतुर्मास प्रायश्चित्त होता है ॥ २१७ ॥

एकहस्तोपलाभ्या च दोभ्यां मौद्गरमौसलात् ।
लघुगुणकचत्वारः प्रभेदादिष्टकादितः ॥ २१८ ॥

अर्थ—सिर्ष हाथसे दूट लकड़ी आदि चीजोंको तोड़ने फोड़ने पर एक लघुमास, एक हाथ और पत्थर दोनोंसे अर्थात् एक हाथमें पत्थर लेकर तोड़ने फोड़ने पर एक गुरुमास, दोनों

हाथोंमें मुहर पकड़ कर तोड़ने फाड़ने पर लघुचतुर्मास और दोनों हाथोंमें मूगल पकड़कर ताड़ने-फाड़ने पर गुरुचतुर्मास प्रायश्चित्त होता है ॥ २१८ ॥

लघु गुरु तनुत्सर्गास्त्रीनूर्ध्वमामतोऽश्नुते ।

आवश्यकमकुर्वाणश्चतुर्मासांस्तथाविधान् ॥

अर्थ—रोग आदिसे पीड़ित हाकर एक माह तक वदना, प्रतिक्रमण और कायात्सने इन तीन आवश्यकताओंको न करे तो इस अपराधका प्रायश्चित्त एक लघुमास है । और यदि दर्प (अहकार) स न करे तो उस अपराधका प्रायश्चित्त एक गुरुमास है । तथा यदि व्यायवग सभी आवश्यकताओंको न करे तो लघुचतुर्मास प्रायश्चित्त है और नारोग हाकर भी परवशताके कारण यदि इन सभी आवश्यक क्रियाओंको न करे तो गुरुचतुर्मास प्रायश्चित्त है ॥ २१९ ॥

आधाकर्मणि राजान्धस्यार्याभ्युत्थानतस्तथा ।

असयात्तभिवादे च मासस्याधश्चतुर्गुरुः ॥२२०॥

अर्थ—छहों जीवनिर्कार्योंको वाधा पड़ जानेवाला निकृष्ट क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हुआ आहार लेने पर, राजपिंड ग्रहण करने पर, आयिकाको आती देखकर उसका विनय करनेके निमित्त सन्मुख जाने पर और असयतजनोंको वदना कर लेने पर एक माह पूर्ण न होने तक चार गुरुमास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २२० ॥

नपुसकस्य कुत्स्यस्य क्लीवाद्यस्य च दीक्षण ।

वर्णापरस्य दीक्षाया पण्मासा गुरवः स्मृताः ॥

अर्थ—नपुंसकको, कुष्ठ (कोट) ब्रह्महत्या आदि दोषों-से दूषित पुरुषको, यनीन—दीनको आदि शब्दसे अत्यन्त धानक और अत्यन्त वृद्धको तथा वर्णापर—दासीपुत्रको दीक्षा देने पर दीक्षादाताको छह गुरुमास मायश्चित्त देने चाहिए सो ही छेदपिंडम कहा है—

अइवालबुड्ढदासेरगभिणीसढकारुगादीण ।

पव्वज्जा दिंतस्स हु छगुरुमासा हवदि छेदो ॥ १ ॥

अतिवालवृद्धदासेरगभिणीपंडकारुकादीना ।

प्रवज्या ददत हि षड्गुरुमासा भवति च्छेद. ॥

अर्थात् अत्यन्त धानक, अत्यंतवृद्ध, दासीपुत्र, गभिणी स्त्री, नपुंसक, शूद्र आदिको दीक्षा देनेवालेके लिए छह गुरुमास मायश्चित्त है ॥ २२१ ॥

तपोभूमिमतिक्रान्तो न प्राप्तो मूलभूमिकां ।

छेदारहां तपसो भूमिं सप्रपद्येत भावत. ॥२२२॥

अर्थ—जा तपकी योग्यताको उल्लंघन कर चुका हो और मूलभूमिको प्राप्त न हुआ हो वह परमार्थसे छेद योग्य तपोभूमिको प्राप्त होना है । भावार्थ—जो तप मायश्चित्तकी योग्यता

से तो राहर निरूल गया हो और मूत्रमाषश्चित्तके योग्य न हो
तो उसे छेद प्रायश्चित्त देना चाहिए । तदुक्त —

तत्रभूमिमादिच्छंतो मूलद्वाराण जो न सपत्ता ।

से परियायच्छेदो प्रायश्चित्तं समुद्दिष्ट ॥ १ ।

योऽतिचारो न शोभ्येत तपमा भूरिणापि च ।

पर्यायश्च्छिद्यते तेन क्लिन्नतां वूलपत्रवत् ॥२२३॥

अर्थ—जो कोई मुनि प्रचुर उपवास आदिके द्वारा भी
अपने दोषोंको दूर न कर सकना हा तो सड़े हुए ताम्बूलपत्रके
अशच्छेदकी तरह उसको दीक्षाका अश छेद देना चाहिए
भावार्थ—जैसे ताम्बूलपत्रका जितना भाग पानीसे सड़ ग
जाता है उतना केचो वगेरइसे कतर कर फेंक दिया जाता है
और शेष भाग रख लिया जाता है उसी तरह बहुतसे उपवास
आदि करने पर भी जिसके अपरायोंकी युद्धि न हो सकती है
उसको दीक्षामेंस दिवस, पत्र, मास आदिको अवधि तकक
दीक्षा छेद देना चाहिए ॥ २२३ ॥

प्रव्रज्याकालतः कालच्छेदेन न्यूनतावहः ।

मानापहारकश्छेद एकरात्रादिकः स तु ॥२२४॥

अर्थ—जिस समयसे वह साधु दीक्षा लेता है उस समयसे

१ तपामूमिमतिक्रान्ता मूत्रस्थान च य न स प्राप्तः ।

तस्य पर्यायच्छेद प्रायश्चित्त समुद्दिष्ट ॥

लेकर जितना समय दीक्षाका हो चुक्ता है उसमसे कालक विभागस जितनी दाक्षा छेद दी जाती है उतनी कम हो जाती है अतः उस छेदसे उसका उतना दीक्षाभिमान नष्ट हो जायगा है वह छेद एक दिन दो दिन, तीन दिन, पक्ष, मास आदिकी अवधि पर्यन्त होता है ॥ २२४ ॥

साधुसध समुत्सृज्य यो भ्रमत्येक एव हि ।

तावत्कालोऽस्य पर्यायश्छिद्यते समुपेयुषः ॥

अर्थ—जा कोई साधु मुनिसधका छाडकर अकेला परि भ्रमण करता रह तो लाटकर वापिस आने पर उसकी उतनी दीक्षा—जितने काल तक कि वह अबला घूमता रहा है छेद देना चाहिए ॥ २२५ ॥

सन् यथोक्तविधिः पूर्वमवसन्नः कुशीलवान् ।

पार्श्वस्थो वाय ससक्तो भूत्वा यो विरहत्यभीः ॥

यावत्काल भ्रमत्येप मुक्तमार्गो निरुत्सुकः ।

तावत्कालोऽस्य पर्यायश्छिद्यते समुपेयुषः ॥

अर्थ—जा पहले शास्त्रोक्त आचरणको पालता हुआ बाद भ्रमसन्न, कुशील, पार्श्वस्थ और ससक्त होकर यथेष्ट निर्भीकता से पर्यटन करता रहे । पर्यटन करते करते जब वह लाटकर वापिस आवे तब जितने काल तक वह रत्नत्रयसे रहित और धर्मसे निरुत्सुक होता हुआ भ्रमण करता रहा है उतने कालतक का उसकी दीक्षा छेद दी जाती है ॥ २२६-२२७ ॥

पार्श्वस्थे विहरन् सार्धं सकृद्दोषनिपेवकः।
आपण्मास तपस्तस्य भवेच्छेदस्ततः परं ॥

अर्थ—एक बार दोष सवन करोगाना जो कोई साधु छह महीने तक पार्श्वस्थ साधुआस साधु पर्यटन करता हुआ जग लौट कर सधमें वापिस आवे तब उसे तप प्रायश्चित्त और छह महीने वाद आनेसे छेद प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २२८ ॥

कृताधिकरणो गच्छऽनुपशान्तः प्रयाति यः।
तस्य च्छेदो भवेदेव स्वगणेऽन्यगणेऽपि च ॥

अर्थ—जो कोई मुनि सधमें कन्नह करके क्षमा मागे बिना चला जाय या सत्रमें निवाम करता रहे तो उसके लिए स्वगणमें और परसत्रमें नीचे लिखा छेद प्रायश्चित्त है ॥ २२९ ॥

प्रत्यह छेदन भिक्षोः पंचहानि स्वके गणे।

वृषभस्य दशोक्तानि गणिनो दशपच च ॥२३०॥

अर्थ—सामान्य साधुके लिए स्व गणमें प्रतिदिन पाचदिनका, प्रधानमुनिके लिए प्रतिदिन दश दिनका और आचार्यके लिए प्रतिदिन पंद्रह दिनका दीक्षान्छेद है । भावार्थ—सामान्य मुनि या प्रधान मुनि या आचार्य कन्नह करके सत्रमें बने रहें और एक दिन क्षमा न मागे तो सामान्य मुनिको पाचदिनकी, प्रधानमुनिकी दश दिनकी और आचार्यकी पंद्रह दिनकी दीक्षा छेद देनी चाहिए । इस हिसाबसे जितने दिनों तक वे क्षमा न

मांगि उतने दिनों तक प्रतिदिन पांच पांच, दश दश और पद्रह पद्रह गुणी दीक्षा छेद देनी चाहिए ॥ २३० ॥

प्रत्यह छेदेन भिक्षोर्दशाहानि परे गणे ।

दशपच वृषस्थापि विंशतिर्गणिनः पुनः ॥

अर्थ—परगणमें सामान्य साधुके लिए प्रतिदिन दशदिनका, प्रधानमुनिके लिए पद्रह दिनका और आचार्यके लिए बीस दिन का दीक्षा छेद प्रायश्चित्त है । भावार्थ—कोई सामान्य साधु कलह करके बिना क्षमा कराये परगणमें चला जाय वह यदि एक दिन क्षमा न मागे तो दश दिन, दो दिन न मांगे तो बीस दिन एवं प्रतिदिन दश दश दिनके हिसाबसे उसकी दीक्षाका छेद कर देना चाहिए । तथा प्रधान मुनि कलह करके बिना क्षमा कराये परगणमें चला जाय वह यदि एक दिन क्षमा न मागे तो पद्रह दिन, दो दिन न मागे तो तीस दिन, एवं प्रतिदिन पद्रह पद्रह दिनके हिसाबसे उसकी दीक्षाका छेद कर देना चाहिए और आचार्य कलह करके बिना क्षमा मांगे परगणमें चला जाय वह यदि एक दिन क्षमा न मांगे तो बीस दिन, दो दिन क्षमा न मांगे तो चालीस दिन एवं प्रतिदिन तीस तीस दिनके हिसाबसे उसकी दीक्षा छेद देनी चाहिए ॥ २३१ ॥

इत्यादिप्रतिसेवासु च्छेदः स्यादेवमादिकः ।

छेदेनापि च सच्छिद्याद्यावन्मूल निरन्तरम् ॥

अर्थ—इत्यादि दोषोंके सेवन करने पर इस तरहका छेद

प्रायश्चित्त होत है छेद करके भी फिर छेद करे, फिर छेद करे, फिर छेद करे, सो निरन्तर छेदते छेदते तब तक छेद करे जब तक कि मूल प्रायश्चित्त प्राप्त न हो । भावार्थ—कौन कौनसे दोषोंके लगने पर कितने कितने दिनकी दीक्षा छेद देना चाहिए यह ऊपर वर्णन कर आये हैं । यह दीक्षा दोषोंके अनुसार एक दिनको आदि लेकर एक दिन, द्वा दिन, तीन दिन, चारदिन, पाच दिन, दश दिन, पक्ष, मास चतुर्मास, छहमास, वर्ष, दीक्षाका आधा भाग, पाना भागको इस तरह छेदते छेदते तब तक छेदी जाय जब तक कि मूल प्रायश्चित्त प्राप्त नहीं होता ॥ २३२ ॥

छेदभूमिमतिक्रान्तः परिहारमनापिवान् ।

प्रायश्चित्त तदा मूल संप्रपद्येत भावतः ॥ २३३ ॥

अर्थ—जो छेद प्रायश्चित्तकी योग्यताको तो उल्लंघन कर चुका हो और परिहार प्रायश्चित्त दिये जाने की योग्यताको न पहुँचा हो उस समय वह परमार्थसे मूल-पुन दीक्षा देना रूप प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । भावार्थ—ऐसा अपराध जो छेद प्रायश्चित्तसे शुद्ध नहीं सकता हो और परिहार प्रायश्चित्तके योग्य न हो ऐसी दशामें मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २३३ ॥

श्रामण्यैकगुणा यस्माद्दोषान्गयन्ति कात्स्न्यतः ।

अष्टव्रतस्य तत्तस्य मूल स्याद् व्रतरोपणं ॥ २३४ ॥

अर्थ—जिस दोषके मंत्रसे अष्टव्रत बिलकुल नष्ट हो गये हों

ऐसी अवस्थामें महाप्रतोंम भ्रष्ट उस मुनिको पुन महाप्रतोंको दीक्षा देना यह मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २३४ ॥

द्वक्चारित्रव्रतभ्रष्टे त्यक्तावश्यरुक्कर्मणि ।

अन्तर्वल्नीभुकुसोपदीक्षणे मूलमुच्यते ॥ २३५ ॥

अर्थ—दशन, चारित्र और महाप्रतोंस भ्रष्ट हो जाने पर, छह आवश्यक क्रियाएँ छोड़ देने पर तथा गर्भिणी और नपु-सकको दीक्षा देनेपर मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २३५ ॥

उत्सूत्रं वर्णयेत् काम जिनेन्दोक्तमिति ब्रुवन् ।

यथाच्छदो भवत्येप तस्य मूल वितीर्यते ॥ २३६ ॥

अर्थ—जो आगम विरुद्ध बालता हो उसे मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा जो सबज्ञ प्रणीत वचनोंको अपनी इच्छानुसार लोगोंको कहता फिरता हो वह स्वच्छाचारी है अतः उस स्वेच्छाचारीको भी मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए । भावार्थ—आगम, विरुद्ध बोलनेवाले और सर्वज्ञ प्रणीत वचनोंका मन माना अर्थ करनेवाले पुरुषोंक इन अपराधोंकी शुद्धि मूल प्रायश्चित्तसे होती है ॥ २३६ ॥

पार्श्वस्थादिचतुर्णां च तेषु प्रव्रजिताश्च ये ।

तेषां मूल प्रदातव्यं यद्व्रतादि न तिष्ठति ॥

अर्थ—पार्श्वस्थ, कुशील, अवसन्न और मृगचारो इन पार्श्वस्थादि चारोंको और जो इनके पास दीक्षित हुए हैं उनको मूल प्रायश्चित्त देना क्योंकि ये सब महाव्रत आदिसे भ्रष्ट हैं ॥

अन्यतीर्थगृहस्थानां कांदर्पास्त्रिगकारिणः ।

मूलमेव प्रदातव्यमप्रमाणापराधिनः ॥ २३८ ॥

अथ—अन्यनिगियोको, गृहस्थोंको, उपहास पूर्वक लिंग-
धारण करनेवालोंको और अपरिमित अपराधियोंको मूल
प्रायश्चित्त ही देना चाहिए। भावार्थ—जो अन्य निगी हो गये
हैं और गृहस्थ हो गये हैं वे लोटकर पुनः सत्रम आवे तो
उन्हें मूल प्रायश्चित्त ही देना चाहिए। तथा जिन्होंने परमाथसे
मुनिवेष धारण न कर उपहाससे गारण किया हो और जिनका
अपराध अपरिमित हो उनको भी मूल प्रायश्चित्त ही देना
चाहिए ॥ २३८ ॥

इत्यादिप्रतिसेवासु मूलनिर्घातिनीष्वपि ।

हरिवज्यादिदीक्षायां मूल मूलाधिरोहणात् ॥

अर्थ—मूलगुणोंको घात करनेवाले उपर्युक्त दोषोंके
सेवन करने पर तथा चांडाल आदिको दीक्षा देने पर मूल प्राय-
श्चित्तकी योग्यता आ उपस्थित होनी है अतः मूल प्रायश्चित्त
देना चाहिए। भावार्थ—महाव्रत आदि अष्टादश मूलगुणोंके
घातक दोषोंके सेवन करने पर मूल प्रायश्चित्त देना चाहिए
और चांडालोंको मुनिदीक्षा देनेवाले आचार्यका भी मूलप्राय-
श्चित्त देना चाहिए और जिसको दीक्षा दी जाय उसको सत्रसे
निराल देना चाहिए ॥ २३९ ॥

मूलभूमिमतिक्रान्तः सप्राप्तः परिहारकः ।

परिहारविधिः प्राज्ञः सप्रपद्येत भावतः ॥ २४० ॥

अर्थ—मूलभूमिश्चित्तकी योग्यताको उल्लंघन कर चुका हो अर्थात् ऐसा अपराध जो मूल प्रायश्चित्तसे शुद्ध न हो सकता हो तो यह परिहार प्रायश्चित्तके योग्य होता है अतः यह बुद्धिमान् परमार्थमें परिहार प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ २४० ॥

परिहार्यः स सद्यस्य स वा सद्यः परित्यजन् ।

परिहारो द्विधा सोऽपि पारच्यप्यनुपस्थितिः ॥

अर्थ—वह प्रायश्चित्तभागी पुरुष सद्यका परिहार्य होता है अथवा वह सद्यका परिहार करना है । परिहार प्रायश्चित्तके दो भेद हैं एक अनुपस्थान और दूसरा पार चिक । भावार्थ—किसी निपन अधधिको निष्कृष्ट हुए वह प्रायश्चित्तभागी पुरुष सद्यसे बाहर कर दिया जाता है अथवा वह सद्यसे बाहर रहता है इसीका नाम परिहार प्रायश्चित्त है । अनुपस्थान और पार चिक ये दो उसके भेद हैं ॥ २४१ ॥

शिक्षकैरपि नो यस्य सुश्रूपावदनादिकम् ।

अभ्युत्थानं विधीयेत कुर्वतः सोऽनुपस्थितिः ।

अर्थ—वह साधु जो अनुपस्थान प्रायश्चित्तके योग्य होता है अपने पश्चात् दौलित हुए साधुओंकी सेवा-सुश्रूपा करता है अथवा वह प्रारब्धोंको देखकर विनयके अ

सन्मुख जाता है परन्तु वे पश्चात् दीक्षित साधु उसकी सेवा सुश्रूपा नहीं करते, उसे नमस्कार नहीं करते और न उसे आते देखकर विनयके निमित्त सन्मुख ही जाते हैं । भाषार्थ—जिस साधुको अनुपस्थान प्रायश्चित्त दिया जाता है वह मुनि परिपक्वसे पच्चीस धनुष-प्रमाण दूर बैठकर गुह्यद्वारा दिये हुए प्रायश्चित्तका अनुष्ठान करता है । पश्चात् दीक्षित साधुओंको भी स्वयं उन्दना आदि करता है परं वे पश्चात् दीक्षित साधु उसे वदना आदि नहीं करते । इस अनुपस्थान प्रायश्चित्तके दो भेद हैं । एक स्वगण-अनुपस्थान दूसरा परगण-अनुपस्थान । स्वगणानुपस्थान प्रायश्चित्तमें वह सापराध साधु अपने दोषोंकी आलाचना अपने सधके आचार्यके समीप ही करता है । और परगणानुपस्थान-प्रायश्चित्तमें परसधके आचार्यके समीप जा जा कर करता है । वह इस तरह कि—जिस गणमें जिस साधुको दर्प आदि हेतुओंसे दोष लगते हैं उस गणके आचार्य उस सापराध साधुको किसी दूसरे सधके आचार्यके समीप भेजते हैं । वहाँ जाकर वह उस सधके आचार्यके समक्ष अपने दोषोंकी आलोचना करता है । व आचार्य भी उसके दोष सुनकर और प्रायश्चित्त न देकर किसी अन्य सधके आचार्यके समीप भेज देते हैं । वहाँ भी वह अपने दोषोंकी आलोचना करता है । पश्चात् वहाँसे भी वह उन्नी तरह और और आचार्योंके पास भेज दिया जाता है । इस तरह तीन, चार, पाच, छह, सात सधके आचार्योंके पास तक अपराधके अनुसार भेजा जाता है । आखिर, अन्तिम

गणके आचार्य उसकी आलोचना सुनकर ओर प्रायश्चित्त न देकर जिस आचार्यने उस अपने पास भेजा है उन्हींके पास उस वापिस भेज दन है । व अपने पास भेजनेवालेके पास भेज देते ह एव जिम क्रमसे जाता है उमी क्रमसे लाटकर अपन सधके आचार्यके समाप आता है । वहाँ आकर वह गुरु द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका पानता है ॥ २४० ॥

अन्यतीर्थं गृहस्थ स्त्री सचित्त वा सकर्मणः ।

चोरयन् बालक भिक्षु ताडयन्ननुपस्थितिः ॥

अर्थ—अन्य निगीको, गृहस्थोको, स्त्रीको और बालकको चुरानेवाला तथा अपने माधर्षी ऋषिके छात्रोंको भी चुराने वाला और साधुको दण्ड आदिसे मारनेवाला अनुपस्थान प्रायश्चित्तका भागी होना है । भावार्थ—इस तरहके कर्तव्य करन गानेको अनुपस्थान प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २४३ ॥

द्वादशेन जघन्येन पणमास्या च प्रकुर्यतः ।

चरेद् द्वादश वर्षाणि गण एवानुपस्थितिः ॥

अर्थ—यह अनुपस्थान प्रायश्चित्तवाला मुनि अपने सधमें ही जत्रयम पाच पात्र उपवास और उत्कृष्टपनसे छह छह महीने के उपवास बारह वर्षपर्यंत करे । भावार्थ—रूपसे रूप निरंतर पात्र उपवास करके पारणा करे फिर पाच उपवास करके फिर पारणा कर एव बारह वर्ष तक करे तथा अधिकसे अधिक छह उपवास करके पारणा करे फिर छह महीनेक उपवास

श्रित्तरा आचरण करता है इसलिए उसे पारचिक कहते हैं ।
 'पारची' शब्दकी व्युत्पत्ति भी ऐसी है कि "धर्मस्य पार तीर
 अ चति गच्छतीति पारची" अर्थात् जो धर्मकी पार—तीरको
 पहुँच गया है वह पारची है । अथवा "पार अ चति परदेश एति
 गच्छतीति पार ची" अर्थात् जो गुरुद्वारा दिये गये प्रायश्चित्तका
 आचरण करनेके लिए परदेशको जाता है वह पारची है ॥२४८॥
 आसादन वितन्वानस्तीर्थकृत्प्रभृतेरिह ।

सेवमानोऽपि दुष्टादीन् पारचिकमुपांचति ॥

अर्थ—तीर्थकर आदिकी आसादना करनेवाला तथा राजाके
 प्रतिकूल दुष्ट पुरुषोंका आश्रय लेनेवाला साधु पार चिक प्राय
 श्रित्तका प्राप्त होता है । भावार्थ—जो साधु तीर्थङ्करोंकी अवज्ञा
 करे और राजासे विरुद्ध उसक शत्रुओंका आश्रय लेकर रहे
 उसे पार चिक प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २४७ ॥

आचार्यांश्च महर्द्धींश्च तीर्थकृद्गणनायकान् ।

श्रुत जैन मत भूय. पार व्यासादयन् भवेत् ॥

अर्थ—आचार्य, महर्द्धिक आचार्य, तीर्थङ्कर, गणपरदेव,
 जनागम और जन-मत इन सबको अवज्ञा करनेवाला साधु पार-
 चिक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ २४८ ॥

द्वादशेन जघन्येन पणमास्या च प्रकर्षतः ।

चरेद् द्वादशवर्षाणि पारची गणवर्जितः ॥२४९॥

पार चिक प्रायश्चित्तवाला मुनि सबसे बाहिर

रहकर कमसे कम पाच पाच उपवास और अधिकसे अधिक छह छह महीनेके उपवास बारह वर्ष तक करे । भागार्थ-जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद पार चिक प्रायश्चित्तके हैं । तीनों ही प्रकारका प्रायश्चित्त बारह वर्ष तक करना पडता है । कमसे कम पाच उपवास कर पारणा करे फिर पाच उपवास कर पारणा करे एव बारह वर्ष तक करे और अधिकसे अधिक छह महीने उपवास कर पारणा करे फिर छह महीने उपवास कर पारणा करे एव बारह वर्ष तक करे । तथा मध्यम भी छह छह सात सात आदि उपवास कर पारणा करते हुए बारह वष तक करे ॥ २६६ ॥

राजापकारको राज्ञामुपकारकदीक्षणः ।

राजाग्रमहिषी सेवी पारंची संप्रकीर्तितः ॥

अर्थ—राजाका अहित चितवन करनेवाला, राजाके उपकारक मंत्री पुरोहित आदिको दीक्षा देनेवाला और पट्टरानोका सेवन करनेवाला साधु भी पार चिक प्रायश्चित्तके योग्य कहा गया है ॥ २५० ॥

अनाभोगेन मिथ्यात्व सक्रान्तः पुनरागतः ।

तदेवच्छेदन तस्य यत्सम्यग्भिरोचते ॥ २५१ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वरूप परिणामोंको प्राप्त होकर पुन अपनी निन्दा और गर्हा करता हुआ सम्यक्त्व-परिणामोंको प्राप्त हो तथा उसके इन परिणामोंको कोई जान न सके तो उसके लिए

जो उस रूचे वही प्रायश्चित्त है । भावार्थ—कारणरूप सम्यक्त्व परिणामोस च्युत होकर मिथ्यात्व परिणामोंको प्राप्त हो जाय अनन्तर यह अपने इन परिणामोंकी निन्दा और गर्हा करता हुआ पुन सम्यक्त्वको प्राप्त हो और उसको इस परिणतिको कोई न जान सके तो उसको लिए वही प्रायश्चित्त है जो कि उसे रूचे, अन्य नहीं ॥ २५१ ॥

यः साभोगेन मिथ्यात्व सक्रान्तः पुनरागतः ।

जिनाचार्याज्ञया तस्य मूलमेव विधीयते ॥२५२॥

अर्थ—जा मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पुन सम्यक्त्वको प्राप्त हो तथा उसको इस परिणतिको कोई जान ले ता सर्वभूदेव और आचार्यों क उपदेशानुसार उसे मूल प्रायश्चित्त ही देना चाहिए ॥ २५२ ॥

प्रायश्चित्त जिनेन्द्रोक्त रत्नत्रयविशोधन ।

प्रोक्त सक्षेपतः किञ्चिच्छोधयन्तु विपश्चितः ॥

अर्थ—जिनेन्द्रदेव द्वारा कहा गया, रत्नत्रयभी शुद्धि करने वाला यह छोटासा प्रायश्चित्त-मग्नद नामका शास्त्र सक्षेपसे मे न (गुरुदास आचार्यनि) बनाया है उसमें प्रायश्चित्तादि नाना शास्त्रोंके ज्ञाता विद्वान् शुद्ध करे ॥ २५३ ॥



प्रायश्चित्त-चूलिका ।

ग्रन्थके आरम्भमें ग्रन्थकर्ता निम्न शस्त्र समाप्तिके लिए और शिष्टाचारके परिपाननके लिए प्रथम इष्ट देवताको नमस्कार करते हैं;—

योगिभिर्योगगम्याय केवलायाविनाशिने ।

ज्ञानदर्शनरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १ ॥

अर्थ—जो योगियो द्वारा ध्यानसे जाने जाते हैं, केवल—
शुद्ध हैं, अविनाशी हैं, कवलज्ञान और केवलदर्शन तथा इनके
अविनाशी अनन्तरीय और अनन्तसुख-स्वरूप हैं ऐसे पर-
मात्मा को नमस्कार हो ॥ १ ॥

इसतरह अतीत अनागत और वर्तमानके रिषय, मापान्यकी
अपेक्षासे एक सिद्ध परमेष्ठीको प्रथम नमस्कार कर उसके
अनन्तर प्रायश्चित्त चूलिकाका प्रारम्भ किया जाता है;—

मूलोत्तरगुणेष्वीषद्विशेषव्यवहारतः ।

साधूपासकसशुद्धि वक्ष्ये सक्षिप्य तद्यथा ॥ २ ॥

अर्थ—मूलगुण और उत्तरगुणोंके विषयमें विशेष प्राय-
श्चित्त शास्त्रके अनुसार यति और श्रावकोंको शुद्धि सत्त्वसे
कही जाती है, वह इस प्रकार है । भावार्थ—मूलगुण और उत्तर

गुण दो दो तरहके हैं—यतियोंके और श्रावकोंके। यतियोंके मूलगुण अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग इत्यादि अठारह हैं। श्रावकोंके मूलगुण मद्यत्याग, मांसत्याग, मद्युत्याग पच उदु वरफलोंका त्याग ऐसे अनेक प्रकारके आठ हैं। तथा यतियोंके उत्तरगुण आतापन, तोरण, स्थान, मौन आदि अनेक हैं और श्रावकोंके उत्तर गुण सामायिक, प्रोपधोपवास आदि हैं। इनमें लगे हुए दोषोंकी शुद्धि सत्सेपसे कही जाती है ॥

एकेन्द्रियादिजन्तुना हृषीकगणनाद्वये ।

चतुरिन्द्रियकुद्धाना प्रत्येक तनुसर्जन ॥ ३ ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय जीव पाचप्रकारके हैं, पृथिवीकायिक, अष्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिकके दो भेद हैं—प्रत्येक वनस्पति और अनन्तकाय वनस्पति। एक जीवके एक शरीर हो वह प्रत्येककायिक जीव हैं जैसे सुपारी नारियल आदि। अनन्त जीवोंके एक शरीर हो वे अनन्तकायिक जीव हैं जैसे गड़ुची, सूरण आदि। आदि शब्दसे द्वीन्द्रियादि जीवोंका ग्रहण है। शख, सोप आदि दो इन्द्रिय जीव, कुशु, चींटी आदि तेइ द्विय जीव, भौरा यक्ली आदि चाइ द्विय जीव, और मनुष्य, मत्स्य, मकर आदि पचे द्वियजीव होते हैं। इनमेंसे एकेन्द्रिय जीवोंको आदि लेकर चौइन्द्रिय पर्यंतके जीवोंका बंध हो जाने पर उन प्रत्येककी इन्द्रियमरत्याके अनुसार कायोत्सग प्रायश्चित्त होता है।

भावार्थ—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कापण इन पांच शरीरोंमें ममत्व-भावके त्यागको कायोत्सर्ग कहते हैं। एकेन्द्रियके घातका एक कायोत्सर्ग, दो इन्द्रियके घातका दो कायोत्सर्ग, तेइन्द्रियके घातका तीन कायोत्सर्ग और चौइन्द्रियके घातका चार कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है। पचेन्द्रियजीवके घातका प्रायश्चित्त आगे कहेंगे ॥ ३ ॥

उत्तरमूलसस्थेष्वप्रमादाहर्षतश्छिदा ।

कायोत्सर्गोपवासाः स्युरिन्द्रियप्राणसख्यया ॥४॥

अथ—उत्तरगुणधारी आर मूलगुणधारी साधुरु अपमाद-वश आर ममादवश जाववध हो जाने पर इन्द्रियसख्या आर प्राण सख्याके अनुसार कायोत्सर्ग आर उपवास प्रायश्चित्त होते हैं। भावार्थ—पूर्वाक्त पाचो प्रकारके प्रत्येक एकेन्द्रिय-जीवोंके एक एक स्पर्शन इन्द्रिय होता है। दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना ये दो, तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन, चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार, और पचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच तो इन्द्रियां, मनोबल, बचनबल और कायबल ये तीनबल, उच्छ्वास निश्वास आर आयु ये दश प्राण हैं। तदुक्त —

पंचेन्द्रियाणि त्रिविधं बल च

सोच्छ्वासनिश्वासयुतास्तथायु ।

प्राणा दशैते भगवद्विरुक्ता-

स्तेषा वियोगकिरण तु हिंसा ॥ १ ॥

इन दश प्राणोंमेंसे एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शन इन्द्रिय, काय बल, उच्छ्वास निश्वास और आयु ये चार प्राण होते हैं। दो इन्द्रिय जीवके स्पर्शन और रसना य दो तो इन्द्रिया कायबल और वचनबल ये दो बल, उच्छ्वासनिश्वास और आयु ये छह प्राण होते हैं। तेइन्द्रियजीवके स्पर्शन, रसना और प्राण ये तीन तो इन्द्रिया, कायबल और वचनबल ये दो बल, उच्छ्वास निश्वास और आयु ये सात प्राण होते हैं। चौइन्द्रियजीवके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, कायबल, वचनबल, उच्छ्वासनिश्वास और आयु ये आठ प्राण होते हैं। असक्षिपचेन्द्रियके पांचो इन्द्रिया, कायबल, वचनबल, उच्छ्वास निश्वास और आयु ये नौ प्राण होते हैं। तथा सक्षिपचेन्द्रियके पूर्वोक्त दशों प्राण होते हैं। इन इन्द्रिय और प्राणोंकी गणनाके अनुसार उत्तर गुणधारी मयत्नवान् स्थिर अस्थिर, उत्तर गुणधारी अमयत्नवान् स्थिर अस्थिर, मूलगुणधारी मयत्नवान् स्थिर अस्थिर और मूलगुणधारी अमयत्नवान् स्थिर अस्थिर साधुके कायोत्सर्ग और उपवास प्रार्याश्चर्योंकी योजना कर लेना चाहिए। ही कहते हैं। उत्तरगुणधारी मयत्नवान् स्थिरके इन्द्रिय

गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त होते हे—एक इन्द्रियका वध होने पर एक कायोत्सर्ग, दो इन्द्रियका वध होने पर दो कायोत्सर्ग, तीन इन्द्रियका वध होने पर तीन कायोत्सर्ग, चौ इन्द्रियका वध होने पर चार कायोत्सर्ग और पचेन्द्रियका वध होने पर पाच कायोत्सर्ग होते हे । उत्तरगुणधारी अमयत्नवान् अस्थिरके प्राण गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं । एकेन्द्रियका वध होने पर चार कायोत्सर्ग, दोइन्द्रियका वध होने पर उह कायोत्सर्ग, तेइन्द्रियका वध होने पर सात कायोत्सर्ग, चौइन्द्रियका वध होने पर आठ कायोत्सर्ग, असङ्गि पचेन्द्रियका वध होने पर नौ कायोत्सर्ग और सङ्गि पचेन्द्रियका वध होने पर दश कायोत्सर्ग होते हैं । उत्तरगुणधारी अमयत्नवान् अस्थिरके इन्द्रियगणनाके अनुसार कायात्मर्ग और उपवास होते हैं और उत्तरगुणधारी अमयत्नवान् अस्थिरके प्राण गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग और उपवास होते हे । ये द्रुण मयत्नवान् स्थिर, अस्थिर और अमयत्नवान् स्थिर अस्थिर एव चार प्रकारके उत्तरगुणधारीके । अत्र चार प्रकारके मूलगुणधारीके उताते हैं—मूलगुणधारी मयत्नधारी स्थिरके इन्द्रिय गणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं । मूलगुणधारी मयत्नधारी अस्थिरके प्राणगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हे । मूलगुणधारी अमयत्नधारी स्थिरके इन्द्रियगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग और उपवास होते हैं । तथा मूलगुणधारी अमयत्नधारी अस्थिरके प्राणगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग और उपवास होते हैं ॥४॥

अथवा यत्न्ययत्नेषु हृषीकप्राणसस्यया ।

कायोत्सर्गा भवन्तीह क्षमणद्वादशादिभिः ॥५॥

अर्थ—अथवा इस शास्त्रम यत्नचारी और अयत्नचारी इन दोनों पुरुषोंके इन्द्रियसंख्या और प्राणसंख्याके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं और बारह आदि एकेन्द्रियादि जीवोंके घातमें उपवास प्रायश्चित्त होता है । भावार्थ—अयत्नचारीके इन्द्रिय गणनाके अनुसार और अयत्नचारीके प्राणगणनाके अनुसार कायोत्सर्ग होते हैं । और बारह एकेन्द्रिय, छह दो इन्द्रिय, चार तेइन्द्रिय और तीन चौइन्द्रियके घात करनेका प्रायश्चित्त एक एक उपवास होता है ॥ ५ ॥

पद्त्रिंशन्मिश्रभावार्कग्रहैकेषु प्रतिक्रमः ।

एकद्वित्रिचतुःपचहृषीकेषु सपठभुक् ॥ ६ ॥

अर्थ—छत्तीस एकेन्द्रियजीव, अठारह दोइन्द्रिय जीव, बारह तेइन्द्रियजीव, नौ चौइन्द्रिय जीव, और एक पंचेन्द्रियजीवके मारनेका प्रायश्चित्त दो निरन्तर उपवास और मातक्रमण है । भावार्थ—छत्तीस एकेन्द्रिय जीवोंके मारनेका प्रायश्चित्त दो उपवास और एक प्रतिक्रमण है । इसी तरह अठारह दोइन्द्रिय, बारह तेइन्द्रिय, नौ चौइन्द्रिय और एक पंचेन्द्रियके मारनेका प्रायश्चित्त सप्तमना चाहिए । यहाँ मिश्रभाव शब्दसे अठारह ॥ ग्रहण है क्योंकि मिश्रभाव ज्ञान दर्शन आदि अठारह

हैं । तथा अर्कशब्दसे वारह और ग्रह शब्दसे नौ सख्याका ग्रहण है क्योंकि सूर्य वारह और ग्रह नौ होते हैं ॥ ६ ॥

निष्प्रमादः प्रमादी च प्रत्येकं सस्थिरोऽस्थिरः ।

मूलधार्युत्तराधारस्तस्यासंज्ञिविधातिनः ॥ ७ ॥

अर्थ—सज्वलनरूपायके तीरोदयको प्रमाद कहते हैं इस प्रमादसे रहितका नाम निष्प्रमाद है । और जिसक प्रमाद विद्यमान है वह प्रमादी है । निष्प्रमाद और प्रमादी दोनोंके स्थिर और अस्थिर ऐसे दो दो भेद हैं । इसप्रकार मूलगुणधारीके निष्प्रमाद प्रमादी, स्थिर, और अस्थिर ऐसे चार भेद हैं । उच्चारगुणधारीके भी इसी तरह चार भेद हैं । इन चार चार भेदोंसे युक्त मूलगुणधारी और उच्चारगुणधारीके असहो जीवके वधका प्रायश्चित्त नीचेके श्लोक द्वारा बताते हैं ॥ ७ ॥

उपवासास्त्रयः पष्टं पष्टमासो लघुः सकृत् ।

कल्याण त्रिचतुर्थानि कल्याण पष्टकं क्रमात् ॥

अर्थ—उपर्युक्त आठ पुरुषोंके एकवार असहि घातका प्रायश्चित्त क्रमसे तीन उपवास, दो उपवास, पुन दो उपवास, लघुमास, कल्याण, तीन उपवास, कल्याण और पष्ट है ।

भावार्थ—मूलगुणधारी स्थिर प्रयत्नचारीको एकवार असहोके घातका तीन उपवास, स्थिर अप्रयत्नचारीको दो उपवास, अस्थिर प्रयत्नचारीको दो उपवास, अस्थिर अप्रयत्नचारीको लघुमास—कल्याण प्रायश्चित्त और उच्चारगुणधारी स्थिर

प्रयत्नचारीको कल्याण, स्थिर अप्रयत्नचारीको तीन उपवास,
प्रस्थिर प्रयत्नचारीको कल्याण और अस्थिर अप्रयत्नचारीको
दो उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८ ॥

षष्ठ मासो लघुर्मूल मूलच्छेदोऽसकृत्पुनः ।

उपवासास्त्रयः षष्ठ लघुमासोऽथ मासिक ॥ ९ ॥

अर्थ—इन्हीं उपर्युक्त आठ पुरुषोंके बारबार असह्य जीवके
घानका प्रायश्चित्त दो उपवास, लघुमास, मासिक, मूलच्छेद,
तीन उपवास, दो उपवास, लघुमास और मासिक है । भाषार्थ—
मूलगुणवारी प्रयत्नचारी स्थिर का बारबार असह्यजीवके घानने
का प्रायश्चित्त दो उपवास, अप्रयत्नचारी स्थिरको कल्याण,
प्रयत्नचारी अस्थिरको पंचकल्याण, अप्रयत्नचारी अस्थिरको
मूलच्छेद देना चाहिए । तथा उत्तरगुणवारी प्रयत्नचारी स्थिर
को तीन उपवास, अप्रयत्नचारी स्थिरका षष्ठ—दो उपवास,
प्रयत्नचारी अस्थिरको कल्याण, और अप्रयत्नचारी अस्थिरको
मासिक—पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ९ ॥

एतत्सान्तरमाप्नात् सङ्गिनि स्यान्निरतर ।

तीव्रमदादिकात् भावानवगम्य प्रयोजयेत् ॥१०॥

अर्थ—यह ऊपर कहा हुआ प्रायश्चित्त एकबार और बारबार
असह्यजीवको घाननेवाले साधुके लिए सांतर माना गया है ।
व्याधि आदि कारणोंका समागम मिल जाने पर जो आचार्यको

अनुज्ञाके अनुसार विश्राम लेकर भी किया जाय उसे सान्तर प्रायश्चित्त कहने हे । जो यह प्रायश्चित्त असज्ञी जीवको मारने-बानेके लिए सान्तर कहा गया हे वही प्रायश्चित्त रुह्नीजीवको मारनेबानेके लिए निरतर कहा गया है । भावार्थ—असज्ञी जीवको मारनेवाला उपर्युक्त प्रायश्चित्तको व्याप्ति आदि हो जाने पर विश्राम लेकर भी जब रुभी पूरा करता है परन्तु सज्ञी जीवका वध करनेवाला विश्राम ले ले कर पूर्ण नहीं करता निर-तर—व्ययधानरहित करता हे । सो यह प्रायश्चित्त जीवोंके तीत्र मद् आदि भावोंको जान कर देना चाहिए । भावार्थ—भाव नाम परिणामका है, वह तीन प्रकारका है शुभ, अशुभ और विशुद्ध । इनमें शुभ भाव पुण्यवधका कारण है और अशुभभाव पापवधका कारण है । द्वे पररूप परिणाम अशुभ गेना जाता है । रागरूप परिणाम शुभ भी गेना जाता है और अशुभ भी । विशुद्धभाव अनुभवात्मक है जो न द्वे पररूप है और न रागरूप है । इनमें अशुभभाव तीन तरहका है । तीत्र, मद् और मध्यम । अशुभ तीत्रभाव कृष्ण लेश्या स्वरूप है । मध्यम अशुभभाव नीललेश्या स्वरूप है और मद् अशुभ भाव कापातलेश्या स्वरूप है । शुभ भाव भी तीन तरहका है । मद्, मध्यम और तीत्र । मद् शुभ भाव तेजो लेश्यास्वरूप, मध्यम शुभभाव पद्मलेश्या स्वरूप, और तीत्र शुभ भाव शुक्ल लेश्यास्वरूप है । फिर ये तीत्रादिक भाव तीत्रतर तीत्रतम भेद विशेषो कर विशिष्ट ह । व भी प्रत्येक तीन तीत्र प्रकारके है । इस तरह ये शुभ अशुभ भाव उत्तम ह जितने

असक्यात प्रवेशी असक्यात लोक है इन सब भागोंको जानकर प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १० ॥

साधूपासकृत्वा लस्रीधेनूनां घातने क्रमात् ।

यावदुद्वा दशमासाः स्यात् पष्ठमर्धार्धहानियुक् ॥

अर्थ—साधु उपासक, बालक, स्त्री और गौ इनके बधका प्रायश्चित्त क्रमसे आधी आधी हानिकर सहित चारह मास तकके पष्ठोपवास (वेना) है । भाग्यार्थ—रत्नगंधारी साधुकी हत्या करने पर एक घना कर पारणा करे फिर वेना कर पारणा करे एवं चारह मास तक पष्ठोपवास करे । श्रावककी हत्या करने पर छह मास पर्यंत, बालककी हत्या करने पर तीन मास पर्यंत, स्त्रीकी हत्या करने पर षेड मास पर्यंत और गायकी हत्या करने पर तेइस दिन पर्यंत पष्ठोपवास कर ॥ ११ ॥

पापडिनां च तद्भक्ततद्योनीना विघातने ।

आपण्मास भवेत् पष्ठ तदर्धार्धं ततः पर ॥ १२ ॥

अर्थ—पाखंडी, उनक भक्त और भक्तोंक कुटुम्बीरगंकी हत्या करन पर क्रमसे छह महीने पर्यंत, उससे आधे, उससे आधे पष्ठोपवास प्रायश्चित्त है । भाग्यार्थ—भोक्तिक, भिक्षु, पारिव्राजक कापालिक आदि अथल्लिगियोंको पाखंडी कहने हैं उनके मारने वा प्रायश्चित्त छह मास पर्यंत पूर्वोक्त तरह पष्ठोपवास करना है । आदि उन पाखंडियोंके भक्त हैं उनके विघातका प्राय

श्वित्त पहलेमे आधा अर्थात् तीनमास पर्यंत पष्ठोपवास करके पारणा करना है । तथा उन माहेश्वरादिकके आधा बधुओंके विघातका प्रायश्चित्त उससे आधा अर्थात् डेढ़ तकके पष्ठोपवास है ॥ १२ ॥

ब्राह्मणक्षत्रविदच्छूद्रचतुष्पदविघातिनः ।

एकान्तरष्टमासाः स्युः पष्ठाद्यन्ताश्च पूर्ववत् ।

अर्थ—लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चण्डाल इनका घात करनेवाले माधुक लिए पहलेकी तरह आधे हीन आदि और अन्तमें पष्ठोपवासपूर्वक आठमास पारणाके एकान्तरापवास हैं । भाषा—लौकिक ब्राह्मणके घातका प्रायश्चित्त आठ मास पर्यन्त एकान्तरापवास करना है । वेला कर पारणा करे उसके बाद उपवास कर फिर पारणा उपवास करे एवं आठ महाने तक करे और अन्तमें भी करे । साराश आदि और अन्तमें वेला करे और मध्यम एक दिन छोटकर उपवास करे । इसी तरह क्षत्रियके घातका प्रायश्चित्त चार महीने तक एकान्तरापवास वैश्यक घातका प्रायश्चित्त आठ मास पर्यन्त एकान्तरापवास, सुतार (खाती) अर्थात् (गोपाल) कुम्हार आदि शूद्रोंके विघातका एक माह एकान्तरापवास, और चौपायोंके घातका प्रायश्चित्त पंद्रह तकके एकान्तरापवास हैं । तथा आदि और अन्तमें सर्वत्र करना भी है ॥ १३ ॥

तृणमासात्पतत्सर्पपरिसर्पजलौकसां ।

चतुर्दशनवाद्यन्तक्षमणानि वधे छिदा ॥ १४ ॥

अर्थ—मृग, ग्वरगोश, राक्त आदि तृणचर जीवोंक विनाशका प्रायश्चित्त चौदह उपवास है । सिंह, व्याघ्र, चीता आदि मास मत्ता जीवोंक मारनेका तेरह उपवास, तीतर, मयूर, मुर्गा, कबूतर आदि पक्षियोंके वधका बारह उपवास, सर्प गोमस आदि सर्प जातिरु मारनेका ग्यारह उपवास, गोगा, सरस आदि परिसर्पोंक विनाशका दश उपवास और मकर, शिशुमार, यत्स्य, कच्छुप आदि जलचर जीवोंक मारनेका प्रायश्चित्त नौ उपवास है ॥ १४ ॥

इस तरह प्रथम अहिंसाव्रतसम्बन्धी प्रायश्चित्त कथन किया आगे सत्यव्रतसम्बन्धी प्रायश्चित्त उताते ह,—

प्रत्यक्षे च परोक्षे च द्वयेऽपि च त्रिधानृते ।

कायोत्सर्गोपवासा. स्यु सकृदेकैकवर्धनात् ॥

अर्थ—प्रत्यक्ष, परोक्ष और उभय (प्रत्यक्ष-परोक्ष दोनों अवस्थाओंमें) एक बार मूठ बोलने तथा मनमें, वचनसे और वायस मूठ बोलने पर एक एक उन्ते हुए कायोत्सर्ग उपवास और चकारस प्रतिक्षण प्रायश्चित्त है । भावार्थ—प्रत्यक्ष मूठ बोलनेका एक कायोत्सर्ग, एक उपवास और एक प्रतिक्षण प्रायश्चित्त है । परोक्ष मूठ बोलनेका दो कायोत्सर्ग, दो उप

अर्थ—शून्य स्थानम और मृत्युक्षमं विना दिये हुए पदार्थके प्रकार ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त पूर्ववत् एक घटते हुए कायोत्सर्ग और उपवास है। चकारस प्रतिक्रमण भी है। बार बार विना दिये हुए पदार्थके ग्रहण करना प्रायश्चित्त पचकल्याणक है। भावाथ—निजन स्थानम विना दिये हुए पदार्थके एकबार ग्रहण करनेका प्रतिक्रमण सहित एक कायोत्सर्ग और एक उपवास है। मिथ्यादृष्टियोंके न दग्धते हुए अपन साथियोंके सामने एकबार अदत्त ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त प्रतिक्रमण पूर्वक दो कायोत्सर्ग और दो उपवास है। अगर मिथ्यादृष्टियोंके त्वरत हुए एकबार अदत्त ग्रहण करे तो प्रतिक्रमण सहित तीन कायोत्सर्ग और तीन उपवास प्रायश्चित्त है तथा राना चादी आदि अदत्तपदार्थों के ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त पचकल्याणक है इतना विशेष समझना चाहिए। बारबार अदत्त ग्रहण करनेका पचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ १८ ॥

आचार्यस्योपधेरर्हा विनेयास्तान् विना पुनः ।

सधर्माणोऽथ गच्छश्च शेषसधोऽपि च क्रमात् ॥

अर्थ—आचार्यके पुस्तक आदि उपकरणोंको ग्रहण करनेके योग्य उनक शिष्य है। शिष्य न हों तो उनके गुरुभाई हैं। गुरुभाई भी न हों तो गच्छ है। तीन पुत्रोंके अवयवको गच्छ कहते हैं। गच्छ भी न हो तो शेष सध योग्य है। सप्त पुरुषोंके अवयवका सध कहते हैं ॥ १९ ॥

सर्वे स्वामिवितीर्णस्य योग्यो ज्ञानोपधेरपि ।
स्वामिना वा वितीर्यते यस्मै सोऽपि तमर्हति ॥

अर्थ—जिस उपकरणका जो स्वामी है उसके द्वारा वितीर्ण किये गये उस उपकरणको ग्रहण करनेको सभी साधु योग्य हैं चाहे वे अन्य आचार्यके भी शिष्य क्यों न हों । परन्तु ज्ञानोपधि—पुस्तकके योग्य तो वही है जो ज्ञानो है । अथवा पुस्तकका स्वामी साधु जिस साधुका वह अपनी पुस्तक दे वही उसका योग्य है ॥ २० ॥

एव विधिं समुल्लुब्ध यः प्रवर्तते मूढधीः ।
वलवन्त समासृत्य यो वादत्ते प्रदोषतः ॥ २१ ॥
सर्वस्वहरण तस्य पण्मासः क्षमण भवेत् ।
योऽन्यथापि तमादत्ते तस्य तन्मौनसंयुतं ॥२२॥

अर्थ—उस उपर्युक्त व्यवस्थाका उल्लंघनकर जो मूर्ख-बुद्धि साधु धनपानी प्रवृत्ति करता है अथवा जो मनवान् राजा आदिके पास जाकर द्वेष रग उपकरणको ग्रहण करता है उसके लिए उसका सर्वस्वहरण—सम्पूर्ण पुस्तक आदि छीन लेना और छह मास पर्गन्त एकान्तरोपवास करना मायश्चित्त है । तथा जो कोई साधु और भी किन्हीं उपायोंसे उस उपकरणको ग्रहण करता है उसके लिए भी वही—यान्पुक्त छह मास तक एकान्तरोपवास दंड है ॥ २१-२२ ॥

अत्र चतुर्थं ब्रह्मचर्यं व्रतके विषयमें कहते हैं—

क्रियात्रये कृते दृष्टे दुःस्वप्ने रजनीमुखे ।

सोपस्थान चतुर्थं नियमाभुक्तिः प्रतिक्रमः ॥

अर्थ—स्वाध्याय, नियम और वदना इन तीन क्रिया को करनेके अनन्तर रात्रिके प्रथम पहरमें दुःस्वप्न देखने पर क्रमसे सप्रतिक्रमण उपवास, नियमोपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। भावार्थ—जो कोई साधु रात्रिके प्रथम पहरमें स्वाध्याय, नियम प्रतिक्रमण, देववदना इन तीनोंमें कोई सी एक क्रिया कर सो जाय पश्चात् दुःस्वप्न देखे अर्थात् वीर्ण पात हो जाय तो उसके लिए सप्रतिक्रमण उपवास प्रायश्चित्त है। उक्त तीनों क्रियाओंमें कोई सी दो क्रियाएँ करके सोने पर दुःस्वप्न देखे तो बहु प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त है। यदि तीनों क्रियाएँ करके सोनेपर दुःस्वप्न देखे तो केवल प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है ॥ २३ ॥

नियमक्षमणे स्यातामुपवासप्रतिक्रमौ ।

रजन्या विरहे तु स्त' क्रमात् पष्टप्रतिक्रमौ ॥

अर्थ—रात्रिक पश्चिम पहरमें एक क्रिया करके सोनेवाले साधुको दुःस्वप्न देखने पर नियम और उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए। दो क्रियाएँ करके सोये हुएको दुःस्वप्न देखने पर उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त देना चाहिए। तथा तीनों क्रियाएँ करके सोये हुएको दुःस्वप्न देखने पर प्रतिक्रमण पष्टोपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २४ ॥

मद्यमांसमधु स्वप्ने मैथुनं वा निपेवते ।

उपवासोऽस्य दातव्यः सोपस्थानश्च चेद्धु ॥

अर्थ—यदि स्वप्नेमें मद्य, मांस, मधु आर मैथुन सेवन करे तो उसको उच्चास प्रायश्चित्त देना चाहिए । यदि गार गार सेवन करे तो प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥

तरुण्या तरुणः कुर्यात् कथालाप सकृद्यदि ।

उपवासोऽस्य दातव्योऽसकृत् पण्मासपश्चिमः ॥

अर्थ—तरुण मुनि तरुण स्त्रियोंके साथ यदि एकवार वार्तालाप करे तो उसको उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा बारबार वार्तालाप करे तो छह महीने तरुणा एकान्तरोपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ २६ ॥

स्त्रीजनेन कथालाप गुरुनुल्लघ्य कुर्वतः ।

स्यादेकादि प्रदातव्य पष्ठ पण्मासपश्चिम ॥२७॥

अर्थ—आचार्य, उपा याय आदि गुरुओंके पना करनेपर भी यदि स्त्री-समूहके साथ गुप्त वार्ता करे तो उसको एक पष्ठोपवासको आदि लेकर छह मास तकके पष्ठोपवास देने चाहिए ॥ २७ ॥

स्त्रीजनेन कथालाप गुरुनुल्लघ्य कुर्वतः ।

त्याग एवास्य कर्तव्यो जिनशासनदूपिणः ॥

अर्थ—(अथवा) गुरुओंकी आज्ञा न मान कर स्त्रीसमूहके

साय गुप्त वार्ते करनेवाने साधुको [सधमं निकान होटना चाहिए क्योंकि वह सबज्ञ देवकी आज्ञाको कलकित करने वाला है ॥ २८ ॥

स्थातुकाम सः चेद्भयस्तिष्ठेत् क्षमणमौनतः ।
आपण्मासमयं कालो गुरुद्विष्टावधिर्भवेत् ॥

अर्थ—यदि वह साधु सधम रहनेका इच्छुक हो तो छठ महीने तक अथवा गुरु जितना काल चाहे उतने काल तक प्रतिक्रमण करता हुआ मानपूर्वक रहे ॥ २९ ॥

दृष्ट्वा योषामुखाद्यगं यस्यः कामं प्रकुप्यति ।
आलोचना तनूत्सर्गस्तस्य च्छेदो भेदेदयम् ॥

अर्थ—स्त्रियोंके मुख आदि अंगोंको देखकर जिस मर्द-भाग्य साधकी कामाग्नि प्रच द हो जाय उसके निष्ठ आलोचना और कायोत्सर्ग यह प्रायश्चित्त है ॥ ३० ॥

स्त्रीगुह्यालोकिनो वृष्यरसससेविनो भवेत् ।
रसाना हि परित्यागं स्वाध्यायोऽचित्तरोधिनः ।

अर्थ—जिसका स्वभाव स्त्रियाके योनि आदि गुप्त अंगोंके देखनेका और कामवर्धक पौष्टिक रसोंके सेवन करनेका है उसको दही, दूध, शाल्योदन, अपूप आदि उन्नवधरु रसोंका प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा जिसका मन काममें

नही रहता उसको स्थाभ्याय अर्थात् अपराजित परम मन्त्रका जाप और परमात्माका अध्ययनरूप प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥

अब पंचम परिग्रह साग व्रतके विषयमें कहने ह्ये—

उपधेः स्थापनाल्लोभाद्दैन्याद्दानप्ररूढितः ।

सग्रहात् क्षमण पष्ठमष्टमं मासमूलके ॥ ३२ ॥

अर्थ—जो मुनि गृहस्थोके उपकरण अपने पास रखे तो उपवास प्रायश्चित्त है । सोना, चाँदी आदि परिग्रहमें लोभ करे तो पष्ठोपवास प्रायश्चित्त है । माग कर सोना, चाँदी आदि परिग्रह ग्रहण करे तो अष्टम तीन उपवास प्रायश्चित्त है । प्रसिद्ध ग्रहण सक्रान्ति आदिमें सोना, चाँदी आदिका सग्रह करे तो मासिक प्रायश्चित्त है और अपनी इच्छानुकूल सोना चाँदी, मणि, मुक्ताफल आदि परिग्रहका मचय करे तो मूल—पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्त है ॥ ३२ ॥

अब रात्रिभुक्तिविरति नामके अणुव्रतके विषयमें कहा जाता है—

रात्रौ ग्लानेन भुक्ते स्यादेकस्मिश्च चतुर्विधे ।

उपवासः प्रदातव्यः पष्ठमेव यथाक्रम ॥ ३३ ॥

अर्थ—व्याधि विशेष, परिश्रम, नानाप्रकारके महोपवास आदिसे पीड़ित हुआ साधु कर्मादय-वश प्राण वचना कठिन मालूम पडने पर रात्रिमें कोईसा एक आहार और चारों प्रकार-

के आहार ग्रहण करे तो क्रमसे उपवास और पष्ठ प्रायश्चित्त है ।
 भावार्थ—रात्रिमें उक्त कारण वश एक प्रकारका आहार ग्रहण
 करे तो उपवास और चारों प्रकारका आहार ग्रहण करे तो पष्ठ
 प्रायश्चित्त है ॥ ३३ ॥

व्यायामगमनेऽमार्गे प्रासुकेऽप्रासुके मतेः ।

कायोत्सर्गोपवासौ स्तोऽपूर्णक्रोशे यथाक्रमम् ॥

अर्थ—व्यायामनिमित्त जन्तुरहित प्रासुक उन्मार्ग (पगढडी)
 होकर और जन्तुमहित अप्रासुक उन्मार्ग हो कर जो यति अघोर
 काशतक गमन करे तो उसके लिए क्रमसे कायोत्सर्ग और उपवास
 प्रायश्चित्त है । भावार्थ—प्रासुक उन्मार्ग हो कर गमन करनेका
 कायोत्सर्ग और अप्रासुक उन्मार्ग होकर गमन करनेका उपवास
 प्रायश्चित्त है ॥ ३४ ॥

घननीहारतापेषु क्रोशैर्वन्दि स्वरग्रहैः ।

क्षमण प्रासुके मार्गे द्विचतु पङ्भिरन्यथा ॥३५॥

अर्थ—वर्षाकाल, शीतकाल, और उष्णकालमें प्रासुक मार्ग
 होकर क्रमसे तीन कोश, छह कोश और नौ कोश गमन करे
 और अप्रासुक मार्ग होकर क्रमसे दो, चार, छह कोश गमन
 करे तो एक उपवास प्रायश्चित्त है । भावार्थ—बरसातमें प्रासुक
 मार्ग होकर तीन कोश, और अप्रासुक मार्ग होकर दो कोश,
 शर्दामें प्रासुक मार्ग होकर छह कोश और और अप्रासुक मार्ग

हो कर चारकोश, गर्मीमें प्रासुक मार्ग हो कर नो कोश आ
अप्रासुक मार्ग होकर छह कोश गमन करे तो सबका प्रायश्चित्त
एक एक उपवास है । यह प्रायश्चित्त दिनमें गमन करनेका
है रातमें गमन करनेका आगेके श्लोकोसे बताते हैं । यदा बन्धि
से तीन, स्वरसे छह और ग्रहसे नो सख्याका ग्रहण है ॥ ३५ ॥

दशमादष्टमाच्छुद्धो रात्रिगामी सजन्तुके ।

विजतौ च त्रिभिः क्रोशैर्मार्गं प्रावृषि सयतः ॥

अर्थ—बरसातमें अप्रासुक और प्रासुक भाग टाकर तीन
कोश रात्रिमें गमन करनेवाला सयत क्रमसे दशम—नगातार
चार उपवास और अष्टम-नगातार तीन उपवास करनेसे शुद्ध
होता है । भावाथ—बरसातके दिनोंमें अप्रासुक मार्ग होकर
तीन कोश रातमें गमन करनेका चार निरन्तर उपवास और
प्रासुक भाग होकर गमन करनेका तीन निरन्तर उपवास प्राय-
श्चित्त है ॥ ३६ ॥

हिमे क्रोशचतुष्केणाप्यष्टम पष्ठमर्यते ।

श्रीष्मे क्रोशेषु पदसु स्यात् पष्ठमन्यत्र च क्षमा ॥

अर्थ—शीतकालमें अप्रासुक मार्ग होकर और प्रासुक मार्ग
हो कर रातमें चार कोश गमन करनेका प्रायश्चित्त क्रमसे निर-
न्तर तीन उपवास और निरन्तर दो उपवास है । तथा गर्मीकी
मौसिममें अप्रासुक मार्ग होकर और प्रासुक मार्ग होकर छह

कोश रातम गमन करनेका प्रायश्चित्त क्रमसे पष्ठ और उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ३७ ॥

सप्रतिक्रमण मूल तावति क्षमणानि च ।

स्याल्लघुः प्रथमे पक्षे मध्येऽन्त्ये योगभजने ॥३८॥

अर्थ—देशभग, महामारी आदि कारणों वश पत्रक शुरूमें योगभग हो तो प्रतिक्रमणसहित पचकल्याण प्रायश्चित्त है । पत्रके मध्य भागमें योगभग हो तो पत्रके जितने दिन बाकी रहें उनमें उपवास प्रायश्चित्त है और पत्रके अन्तमें योगभग हो तो लघुमास प्रायश्चित्त है ॥ ३८ ॥

जानुदघ्न तनृत्सर्गः क्षमण चतुरगुले ।

द्विगुणा द्विगुणास्तस्मादुपवासाः स्युरभसि ॥

अर्थ—घुटनेपर्यंत पानीमें हाकर जावे तो एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है । घुटनेसे चार अंगुल ऊपर पानीमें होकर जानेका का एक उपवास प्रायश्चित्त है । उससे चार चार अंगुल ऊपर पानीमें होकर जानेका दू टन उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ३९ ॥

दडैः षोडशभिर्मेये भ्रन्त्येते जलेऽजसा ।

कायोत्सर्गोपवामास्तु जन्तुकीर्णे ततोऽधिका ॥

अर्थ—ये जो कायोत्सर्ग और उपवास बड़े गये हैं व सोचइ धनुष (चासठ हाथ) पर्यंत लंबे फले हुए जल-जन्तुओंसे रहित जलमें होकर जानेका है । न्यूनके नहीं । तथा जलजन्तुसँ भरे

हुए पानीमें ढोकर जानेका प्रायश्चित्त पहलं कहे हुए कायोत्सर्ग और उपवाससं अधिक कायात्सर्ग और उपवास हैं ॥ ४० ॥

स्वपरार्थप्रयुक्तेश्च नावाद्येस्तरणे सति ।

स्वल्प वा बहु वा दद्याज्ज्ञातकालादिको गणी ॥

अर्थ—अपने निमित्त या परके निमित्त प्रयुक्त नाव आदि के द्वारा नदी आदि पार करने पर काल आदिको जाननेवाला आचार्य थोडा या बहुत (कालको जानकर) प्रायश्चित्त द ।

इस विषयमें छेदपिंडमें यह लिखा है;—

काउस्सग्गो आलोयणा य णावादिणा णदीतरणे ।

णावाए जलहितरणे माही खवणादिपणयता ॥ १ ॥

सपरणिमित्तपउंजिद दोणीणावादिणा णदीतरणे ।

अण्णे भणंति एगो उपवासो तह विउस्सग्गो ॥२॥

अर्थात्—नाव आदिके द्वारा नदी पार करनेका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग और आलोचना है । और समुद्र पार करनेका उपवासको आदि लेकर कल्याणपर्यंत है । तथा कोई कोई आचार्य कहते हैं कि अपने निमित्त या परके निमित्त प्रयुक्त द्रोणी (डोंगी) नाव आदिके द्वारा नदी पार करे तो एक उपवास और कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ ११ ॥

दक्षेण गणिना देय जलयाने विगोधन ।

साधूनामपि चार्याणां जलकेलिमहासृणिः ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त देनेमें कुशल आचार्य, साधुओंको और आर्यिकाओंको जनमें हो कर गमन करनेका जनकेनि मदाच्छणि नामका प्रायश्चित्त दे ॥ ४२ ॥

युग्यादिगमने शुद्धि द्विगुणां पथि शुद्धितः ।
ज्ञात्वा नृजात वाचार्यो दद्यात्तद्दोषघातिनीं ॥

अर्थ—आचार्य डोली आदिमें बैठकर गमन करने पर भद्र, रोगी आदि पुष्पको जानकर उसका दोषका दूर करनेवाली, मागशुद्धिसे दूना शुद्धि दे । भावार्थ—पहले जो मार्ग गमनका प्रायश्चित्त कह आये हैं उससे दूना प्रायश्चित्त डोली आदिमें बैठकर गमन करनेवाले साधुको देव ॥ ४३ ॥

सप्तपादेषु निष्पिच्छः कायोत्सर्गाद्विशुद्ध्यति ।
गव्यूतिगमने शुद्धिमुपवास समश्नुते ॥ ४४ ॥

अर्थ—कोई साधु बिना पिच्छीके सात पद गमन करे तो वह एक कायोत्सर्गस शुद्ध होता है । और एक कोश बिना पिच्छीके गमन करे तो एक उपवासको प्राप्त होता है । भावार्थ—पिच्छो हाथम लिये बिना सात पैद गमन करनेका एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है और एक कोश गमन करे तो एक उपवास प्रायश्चित्त है । ऊपरके मंत्रमें द्विगुण पद है उसका अधिकार इस श्लोकमें भी है अतः ऐसा समझना कि कोशसे ऊपर प्रति कोश दूना दूना उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ४४ ॥

भापासमितिमुन्मुच्य मौन कलहकारिणः ।

क्षमणं च गुरुद्विष्टमपि पदकर्मदेशिनः ॥ ४५ ॥

अर्थ—जो मुनि भाषा समितिको छोड़कर कलह-सडार्ई करे उसको मौन प्रायश्चित्त देना चाहिए और गृहस्थोंक जिससे छह निरायके जीवोंको बाधा पहुँचे ऐंम वाणिज्य आदि छह कर्मोंका उपदेश करनेवानेके लिए उपवास प्रायश्चित्त है वा जो कुछ गुरु उताव्र वह प्रायश्चित्त भी उमक लिए है ॥ ४५ ॥

असयमजनज्ञातं कलह विदधाति यः ।

वहृपवाससयुक्त मौनं तस्य वितीर्यते ॥ ४६ ॥

अर्थ—जो साधु, जिसे मिःयादृष्टि लोग जान जाय-ऐसी कलह कर तो उसको बहुतसे उपवास और मोन प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ४६ ॥

कलहेन परीतापकारिण. मौनमयुताः ।

उपवासा मुनेः पच भवति नृविशेषतः ॥ ४७ ॥

अर्थ—जा लडार्ई-भगडा करक सताप उत्पन्न करता हो इस मुनिको पदग्नान (रागी) आदि जानकर मौन सयुक्त पांच उपवास देने चाहिए ॥ ४७ ॥

जनज्ञातस्य लोचश्च बहुभिः क्षमणैः सह ।

आपण्मास जघन्येन गुरुद्विष्ट प्रकर्षतः ॥ ४८ ॥

अर्थ—जिस कलहको सब लोग जाने उसका प्रायश्चित्त

सोच है और कई उपवासोंक साथ साथ कमसे कम एकोपवास-
का आदि लेकर छह मास पर्यंतके उपवास और अधिकसे
अधिक आचार्योपदिष्ट प्रायश्चित्त है ॥ ४८ ॥

हस्तेन हति पादेन दडेनाथ प्रताडयेत् ।

एकाद्यनेरुधा देय क्षमण नृविशेषतः ॥ ४९ ॥

अर्थ—जो साधु हाथस, परसे अथवा दडेस मारता पीटता
है उसको मनुष्य विशेषरु अनुसार एकको आदि लेकर अनेक
प्रकारके उपवास देने चाहिए ॥ ४९ ॥

यश्च प्रोत्साह्यहस्तेन कलहयेत् परस्पर ।

असभाष्योऽस्य पण्ड स्यादापण्मास सुपायिनः ॥

अर्थ—जो मुनि हाथोंके इसारेसे उत्माह दिलाकर परस्पर
में कलह कराता है वह मापण करन योग्य नहीं है और उस
पापीको छह महीने तकका पण्ड प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ५० ॥

छिन्नापराधभाषायाप्यसयतबोधने ।

नृत्यगायेति चालापेऽप्यष्टम दडन मत ॥ ५१ ॥

अर्थ—जिस दोषका पहने प्रायश्चित्त किया गया है उसीको
फिर कर्त्तव्य पर, सोय हुए अविरतको जगाने पर और नाचो
गाओ इत्यादि रुहन पर तीन निरंतर उपवास प्रायश्चित्त माने
जाए ॥ ५१ ॥

चतुर्वर्णापराधाभिभाषिणः स्यादवन्दनः ।

असभाष्यश्च कर्तव्यः स गाण गणिकोऽपि च ॥

अथ—ऋषि, मुनि, यति, श्रमण अथवा साधु, आर्या, श्रायक, श्राविका इनको चतुर्वर्ण कहते हैं । इस चतुर्वर्णके अपराधको कहनेवाला साधु अपठनीय और असभाष्य है अर्थात् उसको न तो वन्दना करना चाहिए और न उसके साथ भाषण करना चाहिए । नया गणसे निकाल देना चाहिए । फिर यदि वह खेदखिन्न होकर इस तरह कह कि हे भगवन् ! मुझे उचित प्रायश्चित्त दीजिये तब चतुर्वर्ण श्रमण धके बीच उसकी शुद्धि करना चाहिए ॥ ५० ॥

अथ एषणासमितिके दोषोंका शुद्धि यताने हः—

अज्ञानाद्व्याधितो दर्पात् सकृत्कदागनेऽसकृत् ।

कायोत्सर्गः क्षमा क्षान्तिः पचक मासमूलके ॥

अर्थ—अज्ञानवश, व्याधिवश और अहकारवश एक बार और अनेक बार कदादिके खानका कण्डस, कायोत्सर्ग, उपवास, उपवास, कल्याणक, पचकल्याण और मूल प्रायश्चित्त है । भाषा—यहां पर कद शब्द उपलक्षणार्थ अथवा आदि शब्द लुप्त है इस लिए रुन्द, फल, बीज, मूल आदि अप्राप्तुक्त चीजोंका संग्रह है । सूरण, पिंडालु, रतालु आदि चीज कद कद-लाती हैं । आम, बिजौरा आदि चीजोंको फल कहते हैं । गेहू,

मूत्र, उदर, राजपाप आदि चीजें बीज कही जाती हैं सोभाजन (), वग्द (), मूत्रा आदिको मूत्र कहते हैं। अज्ञानवश अर्थात् आगमको न जानता हुआ अथवा ये चीजें अप्रासुक ह ऐसा न जानता हुआ यदि इन कन्द मूत्र, फल बीज, आदिको एक बार स्वाय तो कायोत्तमर्ग और बार बार स्वाय तो उपवास प्रायश्चित्त है। आगम अथवा अप्रासुक जानता हुआ भी व्याधिविशेष पीडित होकर एक बार स्वाय तो उपवास और बार बार स्वाय तो कल्याण प्रायश्चित्त है। और अट्काग-वश—निशक होकर छीलकर रसायन आदिके निमित्त एक बार स्वाय तो पचकल्याण और बार बार स्वाय तो मूत्र-पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्त है ॥ ५३ ॥

कुड्यात्रालव्य निष्ठृत्य चतुरगुलसस्थितिम् ।

त्यस्त्वोक्त्वा क्षमण ग्लाने भुक्ते पष्ठ तथा परे ॥

अर्थ—दो गान, स्तम आदिका सहारा लेकर, खकार शुरू कर, चार अगुल प्रमाण पराके अतःको त्यागकर और कुछ कह कर यदि उपवास आदिसे पीडित हुआ कोई मुनि भोजन करे तो उपवास प्रायश्चित्त है। और यदि उपवासादिसे पीडित न होकर साधारण अवस्थामें उक्त प्रकारसे भोजन करे तो पष्ठ प्रायश्चित्त है ॥ ५४ ॥

काकादिकान्तरायेऽपि भग्ने क्षमणमुच्यते ।

गद्दीतावग्रहे त्याग. सर्वं भुक्तवतः क्षमा ॥५५॥

अर्थ—काकू, अमेध्य, वमन, रोध, रुधिर देखना, अश्रुपात आदि जो जो मुनि भोजनके अतराय हैं उनको न टालकर अथवा इन अतरायोंके आजाने पर भी भोजन करे तो उपवास प्रायश्चित्त है । खाग की हुई वस्तुको भक्षण करते हुए फिर उसका स्मरण हो जाय तो स्मरण आतेही उसको खाग देना फिर न खाना ही प्रायश्चित्त है और यदि बह खागकी हुई वस्तु सबकी सय खानी गई हो तो उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ५५ ॥

महान्तरायसभूतौ क्षमणेन प्रतिक्रमः ।

भुज्यमाने क्षते गल्ये पष्टेनाष्टमतो मुखे ॥ ५६ ॥

अर्थ—भारी अतरायका सभव होने पर उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । भोजन करते हुए हड्डी वगैरह दीख पडे तो पष्ट और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है और मुखमें हड्डी वगैरह मालूम पडे तो तीन उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । भावार्थ—भोजन करते समय हड्डी आदिसे पिना हुआ भोजन रूप भारी अतराय आगया हो और भोजन करलेनेके अनन्तर सुननेमें आया हो तो उस अपराधका उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । भोजन करते हुए खुद अपने हाथमें हड्डी वगैरह देख ले तो पष्ट और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है तथा भोजन करते करते अपने मुखमें हड्डी वगैरह समुपनव्य हो तो निरतर तीन उपवास और प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है । यहा पर शल्य ग्रहण उपलक्ष्यार्थ है इमनिए गांजा चर्म, रुधिर आदि-ग्रहणका भी यही प्रायश्चित्त है ॥ ५६ ॥

आधाकर्मणि सव्याधेर्निर्व्याधेः मकृदन्वितः ।

उपवासोऽथ षष्ठं च मामिकं मूलमेव च ॥ ५७ ॥

अर्थ—कोई रोगी मुनि, आधाकर्मद्वारा उत्पन्न हुआ भोजन एक बार खाए तो उपवास आठ बार खाए तो षष्ठं प्रायश्चित्त है। तथा नीरोग मुनि आधाकर्म द्वारा उत्पन्न भोजनको एकबार खाए तो पंचरूल्याण और बारबार खाए तो मूल प्रायश्चित्त है। जो भोजन छह निःकार्यक जीमोंकी राधा दिसासे उत्पन्न हुआ हो वह आधाकर्म द्वारा उत्पन्न हुआ भोजन कहलाता है ॥ ५७ ॥

स्वाध्यायसिद्धये साधुर्यदुद्देशादि सेवते ।

प्रायश्चित्त तदा तस्य सर्वदेव प्रतिक्रमः ॥ ५८ ॥

अर्थ—स्वाध्यायसिद्धिके निमित्त यदि साधु उद्देशक आदि दोषोंसे उत्पन्न हुआ भोजन सेवन करे तो उसके लिए सब काल प्रतिक्रम प्रायश्चित्त है। यहां पर भी प्रतिक्रम शब्दका अर्थ नियम है ॥ ५८ ॥

एकं ग्रामं चरेद्धिक्षुर्गन्तुमन्यो न कल्पते ।

द्वितीयं चरतो ग्रामं सोपस्थानं भवेत्क्षमा ॥ ५९ ॥

अर्थ—एक ग्राममें चयाके लिए पर्यटन कर उसी दिन मिलाके लिए दूसरे ग्रामको जाना उचित नहीं है। यदि कोई एक गावमें भोजनके लिए पर्यटन कर उसी दिन दूसरे

ग्राममें जाकर भिक्षाक लिये पर्यटन करे तो उसके लिए प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त है ॥ ५६ ॥

स्वा'यायरहिते काले ग्रामगोचरगामिनः ।
कायोत्सर्गोपवासो हि यथाक्रममनूदितौ ॥ ६० ॥

अर्थ—जो साधु स्वाध्यायके समयमें स्वा'याय क्रिया अथवा आगवाभ्ययन न कर ग्रामान्तरको चला जाय या भिक्षाके लिए चला जाय तो उसको क्रमसे अर्थात् ग्रामान्तर गये हुएको कायोत्सर्ग और भिक्षाके लिए गये हुएको उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६० ॥

आगे आदाननिक्षेपण सपित्तिके विषयमें कहा जाना है—
काष्ठादि चलेत् स्थानात् क्षिपेद्वापि ततोऽन्यतः ।
कायोत्सर्गमवाप्नोति विचक्षुविषये क्षमा ॥ ६१ ॥

अर्थ—जो मुनि काष्ठ, पत्थर, तृण, खपरे आदि वस्तुओंको उनके स्थानसे हटावे—हिलाव अथवा एक स्थानसे उठाकर दूसरे स्थानमें ले जाय तो वह एक कायोत्सर्गको प्राप्त होता है । और यदि अ धैर्यमें ऐसा करे तो उपवास प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥

अत्र पचम प्रतिष्ठापना सपित्तिसमधी प्रार्थाश्चित्त कहते हैं—
ऊर्ध्वं हरिततृणादीनामुच्चारादिविसर्जने ।
कायोत्सर्गो भवेत्स्तोके क्षमणं बहुशोऽपि च ॥

अर्थ—सचित्त घास आदि शब्दसे बीज, अ कुर, शिला-

विशेष, पृथ्वीविशेषके ऊपर एकबार मन-मूत्र विसर्जन करे तो कायोत्सर्ग और चार बार करे तो उपवास प्रायश्चित्त है ॥६२॥

आगे पंचेन्द्रियनिरोधके दोषोंका प्रायश्चित्त बताते हैं—

स्पर्शादीनामतीचारे निःप्रमादप्रमादिनाम् ।

कायोत्सर्गोपवासाः स्युरेकैकपरिवर्धिताः ॥६३॥

अर्थ—स्पर्शन आदि पाचों इन्द्रियोंको अपने अपने विषयों से न रोकनेका अप्रमत्त और प्रमत्त पुरुषके लिए एक एक बढ़ते हुए कायोत्सर्ग और उपवास प्रायश्चित्त है। भावार्थ—कठोर, नर्म, भारी, हलका, ठंडा, गर्म, चिकना और रूखाके भेदसे आठ प्रकारका स्पर्श है जो स्पर्शन इन्द्रियका विषय है। चिर्परा, कडुआ, कपायना, रसटा, मीठा और खारा ये छह रस हैं जो रसना इन्द्रियके विषय हैं। गन्ध दो प्रकारका है सुगन्ध और दुर्गन्ध, जो घ्राणइन्द्रियका विषय है। काना, नीला, पीला, सफेद और लाल इस तरह छह प्रकारका रूप है जो नेत्र इन्द्रियका विषय है। तथा पड़ज, ऋषभ, गाधार, मध्यम, पचम, धैवत और निपाद यह छह प्रकारका शब्द है जो श्रोत्रेन्द्रियका विषय है। इन विषयोंसे पाचों इन्द्रियोंको न रोकनेका इस प्रकार प्रायश्चित्त है। अप्रमत्तके लिए तो एक एक बढ़ते हुए कायोत्सर्ग है जैसे—स्पर्शन इन्द्रियका एक कायोत्सर्ग, रसनाके दो, घ्राणके तीन, चक्षुके चार और श्रोत्रके पाच कायोत्सर्ग। प्रमत्तके एक एक बढ़ते हुए उपवास हैं जैसे—स्पर्शन इन्द्रियको

अग्ने विषयसे न रोकनेका एक उपवास, रसनाक दो उपवास, ब्राह्मणके तीन उपवास, चन्द्रके चार उपवास और श्रोत्रके पांच उपवास हैं ॥ ६३ ॥

आगे पढावश्यकके सवधमें कहा जाता है—

वन्दनानियमध्यसे कालच्छेदे विशोषणं ।

स्वाध्यायस्य चतुष्केऽपि कायोत्सर्गो विकालतः ।

अथ—वन्दना, आवश्यक और नियम आवश्यकको न करने और उनके कालको अतिक्रमण करनेका उपवास प्रायश्चित्त है तथा चार प्रकारके स्वाध्यायको न करने और उनके कालको अतिक्रमण करनेका कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है । भावाथ—अहृत प्रतिभा, सिद्धप्रतिभा, तपागुरु, श्रुतगुरु और दीक्षागुरुकी स्तुति प्रणाम करना वन्दना क्रिया है और दैवसिक रात्रिक आदिमें व्रतामें भगे हुए दोषोंका निराकरण करना नियम क्रिया है । तथा शतनाका काल सध्याकाल है और सूर्यास्तके आधे छिप जानेसे पूर्व दैवसिक नियमका प्रारम्भ है तथा ममास्फोट-भाग-फाटनसे पहले रात्रि नियमकी समाप्ति है । उक्त वन्दना क्रिया और नियमक्रियाके न करनेका तथा उनके उक्त कालके उल्लंघन करनेका उपवास प्रायश्चित्त है । तथा स्वाध्यायका काल भी दिनके समय पूर्वाह्नमें तीन घड़ी दिन चढ़ जाने पर है । अपराह्नमें तीन घड़ी दिन अत्रिष्ट रह जानेसे पूर्व है । रात्रिके समय मध्यभागमें है जो तीन घड़ी रात बीत जाने पर है और

दूसरी रात्रिके चरमभागमें है जो तीन घड़ी रात धाकी रह जाने से पहले पहले है । इस प्रकार स्वाध्यायका काल है इस कालके भेदसे स्वाध्याय भी चार प्रकारका है । इस चार प्रकारके स्वाध्यायको न करने और उसके कालका अतिक्रमण करनेका प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है ॥ ६४ ॥

प्रतिमासमुपोष. स्याच्चतुर्मास्यां पयोधय' ।

अष्टमासेष्वथाष्टौ च द्वादशाब्दे प्रकीर्तिताः ॥६५॥

अर्थ—प्रतिमास—महीने महीनेमें एक उपवास, चार महीने बीतने पर चार उपवास, आठ महीने बीतने पर आठ उपवास बारह महीने बीतने पर बारह उपवास अवश्य करन चाहिए ॥

पक्षे मासे कृतेः षष्ठ लघने सप्रतिक्रमः ।

अन्यस्या द्विगुण देय प्रागुक्त निर्जरार्थिनः ॥६६॥

अर्थ—पाक्षिक क्रिया और मासिक क्रियाके उल्लंघन करने पर कर्मोंको निर्जरारके अभिलाषी साधुको अतिक्रमण सहित दो उपवास देने चाहिए । और चातुर्मासिक क्रिया तथा सावत्सरिक क्रियाके अतिक्रमणका प्रायश्चित्त पूर्वोक्तसे दूना देना चाहिए अर्थात् चातुर्मासिक क्रियाक उल्लंघनका आठ उपवास और सावत्सरिक क्रियाक उल्लंघनका चौबीस उपवास प्रति-
। सहित प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ६६ ॥

आगे केशलोचके विषयमें कहते हैं—

चतुर्मासानथो वर्षं युगं लोचं विलंघयेत् ।

क्षमा पष्ठ च मासोऽपि ग्लानेऽन्यत्र निरन्तरः ॥

अर्थ—लोच किये चार माहमें ऊपर विता दे तो उपवास प्रायश्चित्त, वर्ष विता दे तो पष्ठोपवास प्रायश्चित्त और युग—गाव वर्ष विता दे तो पचकल्याण प्रायश्चित्त है । यह विधान रोग-ग्रसित मुनिके लिए है और जा नोराग है उसके लिए निरन्तर पचकल्याण प्रायश्चित्त है ॥ ६७ ॥

आगे अचेनव्रतमें लगे हुए अपराधोंका प्रायश्चित्त बताते हैं,—

उपसर्गाद्भुजो हेतोर्दोषेणाचेलभंजने ।

क्षमण पष्ठमासौ स्तो मूलमेव ततः परं ॥ ६८ ॥

अर्थ—उपसर्गवश, व्याधिवश और अहंकारवश यदि अचेनव्रतका भग करे तो क्रमसे उपवास, पष्ठोपवास, और पचकल्याण प्रायश्चित्त है । इससे ऊपर मूल प्रायश्चित्त है ।
भावार्थ—स्वजन, राजा आदि द्वारा सताये जाने पर अत्यंत सकटावस्थाको प्राप्त होकर यदि कोई मुनि अचेनव्रतका भग करे—बस पहन ने तो एक उपवास, व्याधिविशेषके कारण पहन ने तो दो उपवास, अहंकारवश पहन ने तो प्रायश्चित्त है । इसके चित्त है और

अथ, अस्नान, त्रितिसपन और अदनपान मूमगुणोंमें
सगे अपरागोला प्रायश्चित्त बढो है,

दत्तकाष्ठे गृहस्थाद्विग्यासस्नानसेवने ।

कल्याण सकृदान्यात पचकल्याणमन्यथा ॥६९॥

अर्थ—एकवार, दत्तपान करने, गृहस्थाक प्रायश्चित्त
पर सोने प्रायश्चित्त करनेका कल्याण प्रायश्चित्त है और बार
बार इही कामोंके करनेका पच अन्याण प्रायश्चित्त है ॥ ६९ ॥

अथ स्थिति भोजन और एक भक्तके शिष्यक करा जाता है—
अस्थित्यनेक सभुक्तेऽदपे दपे सकृन्मुहुः ।

कल्याण मासिक श्रेढः क्रमान्मूल प्रकाशतः ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त, एक बार श्रेढर भोजन करने और
अनेक बार भोजन करनेका कल्याण प्रायश्चित्त और बार बार
श्रेढर भोजन करने, अनेक बार भोजन करनेका पचकल्याण
प्रायश्चित्त है तथा सागोंके देखते हुए अदकारमें दूर होकर
एक बार श्रेढर भोजन करने और अनेक बार भोजन करनेका
प्रश्याप्तेद प्रायश्चित्त और बार बार पेसा करनेका मूम-पुन
दीति प्रायश्चित्त है । भाष्य—रोगवश और अदकारवश एक
बार और अनेक बार, स्थिति भोजन मत और एक भक्त मतका
माग करनेपर उक्त प्रायश्चित्त है ॥ ७० ॥

समितीन्द्रियलोचेषु भूगयेऽदतघर्षणे ।

सकृद्भूय क्षमण मूलमन्यतः ॥

अर्थ—पाच समिति, इन्द्रियनिरोध, केशभोज, भुक्षण, अदतपावन इन मूत्रगुणोंके एक बार भग होनेपर कायोत्सर्ग और बार बार भग होनेपर उपवास प्रायश्चित्त है तथा पच पहाप्रत, दृढ आवश्यक, अचेतकत्व, शस्तान, स्थिति भोजन और एक भक्त इन मूत्रगुणोंके एक बार भग होनेपर प्रति क्रमण सहित उपवास आर बार बार भग होनेपर पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्त है । भावार्थ—व्रतोंका भग जघन्य दज्जसे लेकर उत्कृष्ट दर्जतक अनेक प्रकारका है—जैसे जैसे अत्रिक दोष सभव हो वैसे वैसे बढ़ता हुआ प्रायश्चित्त है । जैसे समिति आदि प्रत्येक व्रतोंका अति-स्तोक भग होनेपर मिथ्याकार, उससे अधिक भग होनेपर आत्मनिन्दा, उसमें भी अत्रिक भग होनेपर गर्हा उसमें भी अधिक भग होने पर आनाचना, उसमें भी अत्रिक भग होनेपर बहुकायोत्सर्ग, उससे भी अधिक भग होनेपर मध्यम कायोत्सर्ग उससे भी अधिक भग होने पर उदो बढ़ते एक सा आठ उवास प्रमाण महाकायोत्सर्ग पर्यंत प्रायश्चित्त है । यह एक बार भग होनेका प्रायश्चित्त है । बार बार भग-विशेष होनेका पुष्पडन, निर्भ्रुति, एकस्थान और आचाम्न प्रायश्चित्त उहा तक है जहां सर्वोत्कृष्ट भग होने पर प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त है । तथा अहिंसादि व्रतोंके एक बार भग होनेपर प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त है और बार बार भग होनेपर बड़ो प्रायश्चित्त अहकार युक्त, अप्रयत्नचारी, अस्थिर आदि पुरुषविशेषके अप्रत्यासे बढ़ता हुआ पट्टोपवास

अष्टम (तीन उपवास) दशम (चार उपवास) द्वादश (पांच उपवास) अर्धमासोपवास, मागोपवास, पक्षमागोपवास, सरस्वरापवास आदि हैं उससे अनन्तर दिग्गादिक ६ क्रमसे दीक्षाच्छेद है उससे अनन्तर सर्वोच्छिष्ट मूत्रमाषाश्चित्त है ॥७१॥

इस प्रकार मूत्रगुणोंमें ममत्र दोषोंका प्रायश्चित्त करा गया अथ उत्तर गुणोंमें ममत्र दोषोंका प्रायश्चित्त उक्तों है—

दुमूलतोरणौ स्यात्सू आतापस्तद्वृद्धयात्मकः ।
चलयोगा भ्रमत्यन्ये योगाः सर्वेऽथवा स्थिराः ॥

अर्थ—दुमूल और अनारण ये दो योग स्थिर योग हैं । आतापन योग चम आदि स्थिर दोनों तरहका है । और शेष भ्रम्रावकाश, स्थान, घौन और धीगसन ये चार योग चल योग हैं । अथवा सभी योग स्थिर योग हैं ॥ ७२ ॥

भजने स्थिरयोगानामपस्कारादिऋणात् (?) ।
दिनमानोपवासा स्युरन्येषामुपवामना ॥७३॥

अर्थ—नेत्र दर्द, पेट दर्द, शिरः शून, विशुचिका सर्वोपसग दास, पच्छर आदि ऋणोंसे स्थिर योगोंका भग हा जाय तो योग पूर्तिके जितने दिन अवशिष्ट रह गये हों उतने उपवास प्रायश्चित्त है । तथा अन्य स्थान, घौन, अवग्रह आदि योगोंका भग होनेपर आभोचत्ताको आदि नेकर भतिक्रमण मदिन उपवास पवन प्रायश्चित्त है ॥ ७३ ॥

तत्प्रतिष्ठा च कर्तव्याभ्रावकाशे पुनर्भवेत् ।
चतुर्विधं तपश्चापि पञ्चकल्याणमन्तिमं ॥ ७४ ॥

अर्थ—उन स्थान, मान अवग्रह आदि योगांकी पुनर्व्यवस्थापना भी करनी चाहिए अर्थात् प्रायश्चित्त देकर फिर भी उन्ही योगोंमें स्थापित करना चाहिए । तथा अभ्रावकाश योग के भंग होनेपर आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय और स्थान-विवेक और गणविवेक एव दोनों तरहका विवेक प्रायश्चित्त है । और पुरुषद्वय, निविकृति, एकस्थान, आचाम्त्र, उपवास, कल्याण, बेला, तेला, चौला, पचोलाको आदि लेकर अतिप्र पञ्च कल्याण पर्यंतका तप प्रायश्चित्त भी है ॥ ७४ ॥

सकृदप्रासुकासेवेऽसकृन्मोहादहकृतेः ।
क्षमण पञ्चक मासः सोपस्थान च मूलक ॥

अर्थ—अज्ञानवश तस स्थानर आदि जीवोंसे व्याप्त वसतिका आदि प्रदेशोंमें एक बार निवास करने पर उपवास और बार बार निवास करने पर कल्याण प्रायश्चित्त है । तथा अहकार वक्ष एक बार निवास करनेपर प्रतिक्रमण और पञ्चकल्याण प्रायश्चित्त और बार बार निवास करने पर मूलप्रायश्चित्त है ॥

ग्रामादीनामजानानो यः कुर्यादुपदेशन ।
जानन् धर्माय कल्याण मासिकं मूलगः स्मिये ॥

अर्थ—जो मुनि, ग्राम, पुर, घर, वसति आदिके बनवानेमें

दोषोंको न जानता हुआ उनका वनानेका उपदेश करता है वह कल्याण प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है । दोषोंको जानता हुआ उनका आरम्भका उपदेश करता है वह पचकल्याण प्रायश्चित्तका भागी है तथा गर्व-अहंकारमें दूर होकर जो ग्राम आदिका उपदेश करता है वह मूल प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥

आलोचना तनूत्सर्ग, पूजोद्देशेऽप्रबोधने ।

सोपस्थाना सकृद्देया क्षमा कल्याणक मुहुः ॥

अ — पूजा सप्रधी आरम्भके दोषोंको न जाननेवाले मुनिको एकवार पूजाका उपदेश देने पर आरम्भका परिमाण जान कर आलोचना अथवा कायात्मगे प्रायश्चित्त प्रतिक्रमण सहित उपवास पर्यन्त दे तथा बार बार पूजोपदेश दे तो कल्याणक प्रायश्चित्त दे । भावार्थ—जो मुनि पूजाके आरम्भ उत्पन्न होनेवाले दोषोंको नहीं जानता है वह यदि एकवार गृहस्थोंस पूजाका आरम्भ करावे तो उसे आरम्भके अनुसार आलोचना अथवा कायोत्सर्ग प्रायश्चित्तको आदि लेकर उपवास पर्यन्त प्रायश्चित्त दे और बारबार आरम्भ कराए तो कल्याणक प्रायश्चित्त दे ॥

जाननस्यापि सशुद्धिः सकृच्चासकृद्देव च ।

सोपस्थान हि कल्याण मासिक मूलमावधे ॥

अर्थ—जो मुनि पूजासम्भसे जन्य दोषोंको जानता हो वह यदि पूजाके आरम्भका एक बार उपदेश दे तो उसके उस अप-

रायकी शुद्धि प्रतिक्रमण सहित कल्याण है और बारबार उप-
देश दे तो उसकी मासिक-पंचरूल्याण शुद्धि है तथा जिस पूजो-
पदेशके देनसे उह निरुपके जीराका ग्रथ होता हो तो उमका
प्रायश्चित्त पुनर्दीक्षा है ॥ ७८ ॥

सल्लेखनेतरे ग्लाने सोपस्थाना विज्ञोपणा ।

अनाभोगेऽथ माभोगे प्रभुक्ते मासिक स्मृत ॥

अथ—जुग और तृपा परीपदसे पीडित हुआ सल्लेखना
करनेवाला मुनि तथा अष्टोपवास, पक्षोपवास, मासोपवास
आदि उपवासों द्वारा पीडित हुआ सल्लेखना न करनेवाला मुनि
यदि लोगोंके नहीं दरते हुए भोजन कर ले तो उन दोनोंके
लिए उस दोषका प्रायश्चित्त प्रतिक्रमणसहित उपवास कहा
गया है और जो उक्त दोनों प्रकारके ग्लान मुनि लोगोंके
दरते हुए भोजन कर ले तो उनके लिए पंचरूल्याण प्रायश्चित्त
कहा गया है ॥ ७९ ॥

स्यात्सम्यक्त्वव्रतभ्रष्टैर्विहारे मासिक क्षमा ।

जिनादीनामवर्णादौ सोपस्थानागसस्कृतिः^(१) ॥

अथ—सम्यक्त्वसे भ्रष्ट अर्थात् मिथ्यादृष्टि पुरुषोंके साथ
और व्रतोंसे भ्रष्ट अर्थात् दुःशीलता, काव, मान, माया, लोभ
अपिनय, सबकी निंदा करना आदि दोषोंसे दूषित अत्रती
पुरुषोंके साथ विहार करने पर अर्थात् मिथ्यादृष्टि और अत्रती

पुरुषोकी सगति करने पर पचकल्याणक प्रायश्चित्त दे और अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वमाधुम अवणवाद लगाने पर प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग सहित उपवास प्रायश्चित्त दे ॥ ८० ॥

निमित्तादिकसेवाया सोपस्थानोपवासन ।

सूत्रार्थाविनयाद्येष्वगोत्सर्गालोचने स्मृते ॥ ८१ ॥

अर्थ—व्यजन, अङ्ग, स्वर, छिन्न, भोम, अ तरिक्त, लक्षण, स्वप्न इन आठ निमित्तों द्वारा आदि शब्दसे, वधकविद्या और मंत्रों द्वारा आज्ञाविका करने पर प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त है । तथा सूत्र (शास्त्र) और अर्थका अविनय, निहव आदि करने पर कायोत्सर्ग और आलोचना ये दो प्रायश्चित्त माने गये हैं ॥ ८१ ॥

सूत्रार्थदर्शने शैक्ष्येऽसमाधान वितन्वतः ।

चतुर्थं निह्वेऽप्येवमाचार्यस्यागमस्य च ॥ ८२ ॥

अर्थ—सूत्र और अर्थका उपदेश करते समय श्रोताओंका समाधान न कर सके तो उसका उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए तथा आचार्य और आगमका निहव करने पर भी उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८२ ॥

सस्तराशोधने देये कायोत्सर्गविशोपणे ।

शुद्धेऽशुद्धे क्षमा पचाहोऽप्रमादप्रमादिनो ॥

अर्थ—जीव-जन्तु रहित प्रदेशमें सधारेको न शोधकर सोये हुए अप्रमत्त मुनिको कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त और प्रमत्त मुनिको उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए तथा जीव जन्तुओंसे युक्त प्रदेशमें सधारेको न शोधकर सोये हुए अप्रमत्त मुनिको उपवास और प्रमत्तको कल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८३ ॥

लोहोपकरणे नष्टे स्यात् क्षमांगुलमानतः ।

केचिद्दनांगुलैरुचुः कायोत्सर्गः परोपधौ ॥८४॥

अर्थ—सूई, नहनी, छुरा आदि लोहकी चीजें नष्ट कर देने पर जितनी अंगुलकी व चीजें हों उतने उपवास प्रायश्चित्तमें देने चाहिए । कोई कोई आचार्य घनांगुलके हिसाबसे उक्त चीजोंके नाशका प्रायश्चित्त बताते हैं अर्थात् वे कहते हैं कि उस नाश किये गये लोहोपकरणके जितने घनांगुल हों उतने उपवास प्रायश्चित्तमें देने चाहिए । तथा सधारा, पिन्डी, कमडल्लु आदि दूसरेकी चीजें नाश कर देने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८४ ॥

रूपाभिधातने चित्तदूषणे तनुसर्जन ।

स्वाध्यायस्य क्रियाहानावेवमेव निरुच्यते ॥८५॥

अर्थ—मिथ्या कागज आदि पर लिखित मनुष्य आदिके प्रतिचित्रोंका नाश करने पर, विषयाभिन्नाप आदि दुष्ट परिष्कारोंके करने पर, और स्वाध्याय क्रियाकी हानि करने पर कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ८५ ॥

योऽप्रियकरण कुर्यादनुमोदेत चाथवा ।

दूरस्थोऽसौ जिनाज्ञायाः पष्ठ मोपस्थितिं व्रजेत् ॥

अर्थ—जो साधु अप्रियकरण—स्वाध्याय, नियम, उदना आदि क्रियाओं में कमी करता है अथवा उसकी अनुमोदना करता है वह जिन भगवान् की आज्ञासे बहिभूत है और प्रति व्रमण सहित पष्ठ प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥

तृणकाष्ठकवाटानामुद्धाटनविघट्टने ।

चातुर्मास्याश्चतुर्थं स्यात् सोपस्थानमवस्थित ॥

अर्थ—तृण और काष्ठक वने हुए कपाट आदि चीजोंके खोलन और बंद करनेका चार मासके अनन्तर प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त निश्चित है ॥ ८७ ॥

शश्वद्विगोधयेत् साधु. पक्षे पक्षे कमडलु ।

तदशोधयतो देय सोपस्थानोपवासन ॥ ८८ ॥

अर्थ—साधु पंद्रह पंद्रह दिनके बाद समूर्त्तन जोवोक निराकरणके अर्थ कमडलुको भीतरसे धोये—साफ करे । जो साधु उस कमडलुको पंद्रह पंद्रह दिन बाद न धोव ता उसको प्रतिक्रमण और उपवास प्रायश्चित्त दना चाहिए ॥ ८८ ॥

मुस क्षालयतो भिक्षोरुदविदुर्विशेन्मुखे ।

आलोचना तनूत्सर्ग. सोपस्थानोपवासन ॥ ८९ ॥

अर्थ—मुख धोते हुए साधुके मुखमें यदि जलकी ३ द चनी जाय तो उसको आलोचना, कायोन्सर्ग, और प्रतिक्रमण सहित उपवास प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ ८६ ॥

आगतुकाश्च वास्तव्या भिक्षाशय्यौषधादिभिः ।
अन्योन्यागमनाद्यैश्च प्रवर्तते स्वशक्तितः ॥९०॥

अर्थ—आगतुरु परगणसे आये हुए मुनि, और वास्तव्य—अपने गणमें रहनेवाले मुनि, दोनों परस्परमें चर्या, शयन, औषध, आपृच्छा, आलोचना, व्याख्यान, वात्मल्य, सभाषण इत्यादि द्वारा तथा परस्पर एक दूसरेको देखकर जाना आना, विनय करना, खटे होना इत्यादि द्वारा अपनी अपनी शक्तिके अनुसार प्रवृत्ति करे ॥ ८० ॥

विधिमेवमतिक्रम्य प्रमादाद्यः प्रवर्तते ।
तस्मात् क्षेत्रादसौ वर्षमपनेयः प्रदुष्टधीः ॥ ९१ ॥

अर्थ—जा मुनि प्रमादके वशीभूत होकर उक्त विधानका उल्लङ्घन कर अपनी प्रवृत्ति करे उस दुष्टबुद्धि मुनिको उस क्षेत्रसे वर्ष भरक लिए निकाल देना चाहिए ॥ ८१ ॥

शिलोदरादिके सूत्रमधीते प्रविलिख्य यः ।
चतुर्थालोचने तस्य प्रत्येक दंडन मतं ॥ ९२ ॥

अर्थ—पत्थरको शिला, उदर, आदि शब्दसे भूमि, भुजा, जघा आदिके ऊपर शास्त्र लिखकर जो कोई मुनि अभ्यास करे तो

उसके लिए क्रममे उपवास और आलोचना ये दो प्रायश्चित्त मान गये है। भावाथ—शिवा पृथिवी आदि पर लिखकर शास्त्र पढ़े तो उपवास प्रायश्चित्त और उदर, जात्र, घुटना, भुजा आदि पर लिखकर आगमका अभ्ययन करे तो आलोचना प्रायश्चित्त माना गया है ॥ ६२ ॥

जातिवर्णकुलोनेषु भुक्तेऽजानन् प्रमादतः ।
सोपस्थान चतुर्थं स्यान्मासोऽनाभोगतो मुहु' ॥

अर्थ—माताकी वंश परम्पराको जाति और पिताकी वंश परम्पराको कुल कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। वैश्या आदि जाति और कुलसे रहित है क्योंकि उनके माता पिताकी वंश परम्पराका कोई निश्चय नहीं है। ब्राह्मणोंमें क्षत्रियसे पैदा हुआ शूद्र, ब्राह्मणोंमें वैश्यसे उत्पन्न हुआ वैदेहिक आदि वर्णरहित हैं। यदि कोई मुनि स्वयं न जानता हुआ इन जाति, वंश और कुलसे रहित पुरुषोंके घरपर औरोंके न देखते हुए एववार भोजन करे तो उसके लिए प्रतिक्रमण पूर्वक उपवास और बारबार भोजन करे तो पंचकल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ ६३ ॥

जातिवर्णकुलोनेषु भुजानोऽपि मुहुर्मुहुः ।
साभोगेन मुनिर्नून मूलभूमिं समश्नुते ॥ ९४ ॥

अर्थ—जिनकी जाति, वर्ण और कुल उक्त प्रकारसे निम्न हैं

उनके घर पर ओरोंके देवते हुए बारबार भोजन करनेवाला मुनि निश्चयसे पुनर्दीक्षा प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

चतुर्विधमथाहार देय यः प्रतिपेधयेत् ।

प्रमादाद्दृष्टभावाच्च क्षमोपस्थानमासिके ॥ १५ ॥

अर्थ—जो मुनि, देनेयोग्य, अशन, पान, खाद्य, स्वाद्यके भेदसे चार प्रकारके आहारका भूलसे निषेध करे तो उसके लिए उपवास प्रायश्चित्त और द्रुपवश निषेध करे तो प्रतिक्रमणपूर्वक पचकल्याण प्रायश्चित्त है ॥ ६५ ॥

ज्ञानोपभ्यौपध वाथ देय यः प्रतिपेधयेत् ।

प्रमादेनापि मासः स्यात् साध्वावासमथो मुहुः ॥

अर्थ—जो कोई मुनि, ज्ञानोपकरण पुस्तक अथवा औपध जो कि देनेयोग्य है उनका एक बार भी निषेध करे तो उसके लिए पचकल्याण प्रायश्चित्त है और यदि साधुओंको देने योग्य वसति आदिका भी निषेध करे तो यही प्रायश्चित्त है ॥

चतुर्विध कदाहार तैलाम्लादि न वल्भते ।

आलोचना तनूत्सर्ग उपवासोऽस्य दंडन ॥ १७ ॥

अर्थ—जो व्याधि आदि कारणोंके बिना भी देनेयोग्य चार प्रकारके कुत्सित आहारको अथवा तैल काजिक आदिको नहीं खाता है उसके लिए आलोचना कायोत्सर्ग और उपवास ये प्रायश्चित्त है ॥ ६७ ॥

उसके लिए प्रतिक्रमणसहित उपवास प्रायश्चित्त है और वपन
रिरेचन आदि चिकित्सा करने पर भी यही प्रायश्चित्त है ॥१००॥

चंडालसकरे स्पृष्टे पृष्टे देहेऽपि मासिक ।

तदेव द्विगुण भुक्ते सोपस्थानं निगद्यते ॥१०१॥

अर्थ—चांडाल आदिसे मिलने पर तथा उनसे पास्पर देह
मिडने पर भी पचकल्याण प्रायश्चित्त है । तथा बिना जाने
चांडाल आदिके हाथसे दिया हुआ भोजन लेने पर अथवा
चांडालोंको देख बने पर भी भाजन करने पर वही पूर्वाक्त
प्रायश्चित्त प्रतिक्रमणसहित दूना कहा गया है अर्थात् प्रति-
क्रमण सहित दो पच कल्याणक प्रायश्चित्त है ॥ १०१ ॥

असत वाथ संत वा छायाघातमवाप्नुयात् ।

यत्र देशे स मोक्तव्यः प्रायश्चित्त भवेदपि ॥

अर्थ—जिस देशमें अनास्तबिक अथवा वास्तविक अपमान-
को प्राप्त हो वह देश छोड़ देना चाहिए, यही प्रायश्चित्त है ।
भावार्थ—जिस देशमें अपमान हो वह अपमान चाहे तो गं-
ठीक हो या ठीक हो अत उस देशको छोड़ देना ही उसका
प्रायश्चित्त है ॥ १०२ ॥

दोषानालोचितान् पापो यः साधुः संप्रकाशयेत् ।

मासिक तस्य दातव्य निश्चयोद्ददडन ॥१०३॥

अर्थ—जो पापात्मा साधु गुणसे निवेदन किये दोषोंको

अन्यके प्रति प्रकट करता है उसे मासिक-पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १०३ ॥

स्वक गच्छ विनिर्मुच्य परं गच्छमुपाददत् ।

अर्धेनासौ ममाद्येयः प्रव्रज्याया विडासयं ॥१०४॥

अर्थ—जो साधु जिस गच्छमें कि उसने दीक्षा ली है वह यदि अपने उस गच्छको छोड़ कर दूसरे गच्छमें चला जाय तो उसकी नि सदिह आधी दीक्षा छेद देनी चाहिए ॥ १०४ ॥

यः परेषा समादत्ते शिष्य सम्यक्प्रतिष्ठित ।

मासिक तस्य दातव्य मार्गमूढस्य दहन ॥१०५॥

अर्थ—जो आचार्य, अर्थात् तरदसे रत्नत्रयमें व्यवस्थित निवे गणे अन्य आचार्यके शिष्यको स्वीकार करता है उस मार्गमूढ (व्यवस्था न जानने वाले) पर शिष्यप्राप्तीको मासिक पंचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १०५ ॥

ब्राह्मण क्षत्रियाः वैश्या योग्याः सर्वज्ञदीक्षणे ।

कुलहीने न दीक्षाऽस्ति जिनेन्द्रोद्दिष्टशासने ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन ही सर्वज्ञ दीक्षा अर्थात् निर्ग्रन्थ सिंगको धारण करनेके योग्य हैं। इन तीनोंसे भिन्न शूद्र आदि कुलहीन हैं अतः उनके लिए जिनशासनमें निर्ग्रन्थ (नम्र) सिंग नहीं है—वे निर्ग्रन्थ सिंगको धारण करनेके योग्य नहीं हैं। तदुक्त—

त्रिषु वर्णेष्वेकतम कल्याणाग, तपःसहो वयमा ।

सुमुखः कुत्सारहितः दीक्षाग्रहणे पुमान् योग्यः ॥

अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंमेंसे कोईसा भी एक मोक्षका अधिकारी है, वही वयकं अनुमार तपश्चरण करने वाला सुन्दर और ग्लानिरहित दीक्षा ग्रहणके योग्य है ॥ १०६ ॥

न्यक्कुलानामचैकदीक्षादायी दिग्म्बरः ।

जिनाज्ञाकोपनोऽनन्तसंसारः समुदाहृतः ॥ १०७ ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य इन तीनों वर्णोंसे बहिर्भूत नीच कुली—शूद्र आदिको सम्पूर्ण जगतमें प्रयत्नभूत निग्रन्थ दीक्षा देनेवाला दिग्म्बर साधु सर्वज्ञके वचनोंके प्रतिकूल है और अनन्तमकारी है ॥ १०७ ॥

दीक्षां नीचकुलं जानन् गौरवाच्छिष्यमोहतः ।

यो ददात्यथ गृह्णाति धर्मोद्दाहो द्वयोरपि ॥

अर्थ—जो आचार्य, नीचकुल वाला जानकर भी उस नीच कुलीको श्रद्धिके गर्वसे अथवा शिष्य बनानेकी अभिलाषासे दीक्षा देता है और जो नीचकुली निग्रन्थ दीक्षा लेता है उन दोनोंकीका धम दूषित है ॥ १०८ ॥

अजानाने न दोषोऽस्ति ज्ञाते सति विवर्जयेत् ।

आचार्योऽपि स मोक्तव्यः साधुवर्गेरतोऽन्यथा ॥

अर्थ—जो कोई आचार्य नीच कुलीको नीच कुली न जान-

कर दीक्षा देते तो दोष नहीं परंतु जान लेने पर उसे छोड़ देना चाहिए यदि वह आचार्य उस नीच कुलीको न छोड़े तो अन्य साधुओंको चाहिए कि वे उस नीच कुलीको दीक्षा देनेवाले आचार्यको भी छोड़ दें ॥ १०६ ॥

शिष्ये तस्मिन् परित्यक्ते देयो मासोऽस्य दंडन ।
चाडालाभोज्यकारूणां दीक्षणे द्विगुण च तत् ॥

अर्थ—उस अकुलीन शिष्यके छोड़ देने पर इस आचार्यको पचकल्याण प्रायश्चित्त देना चाहिए तथा भगी चमार आदिको और अभोज्य कारूणों—धोबी, बढवा, कनान आदि को दीक्षा देने पर वह पूर्वोक्त पचकल्याण प्रायश्चित्त दूना देना चाहिए ॥ ११० ॥

अनाभोगेन चेत्सूरिदोषमाप्नोति कुत्रचित् ।
अनाभोगेन तच्छेदो वैपरीत्याद्विपर्ययः ॥ १११ ॥

अर्थ—यदि आचार्य कहीं भी अमकाश रूपसे दोषको प्राप्त हो ता उसको अमकाशरूपसे ही प्रायश्चित्त देना चाहिए और यदि प्रकाशरूपसे दोषको प्राप्त हो तो उसको प्रकाशरूपसे ही प्रायश्चित्त देना चाहिए ॥ १११ ॥

क्षुल्लकाना च शेषाणा लिंगप्रभ्रशने सति ।
तत्सकाशे पुनर्दीक्षा मूलात्पापडिचेलिनाम् ॥

अर्थ—क्षुल्लक-सर्वोत्कृष्ट श्रावकोंको भी किसी कारणवश उनकी दीक्षाका भंग हो जाने पर जिसके पास

हो उसीके पास फिर भी दीक्षा लेना चाहिए, अन्य आचार्यके पास नहीं। निर्ग्रन्थ निगसे रहित अन्यनिगी, मिथ्यादृष्टि गृहस्थ और श्रावक इनको मूल (प्रारम्भ) से ही दीक्षा है अतः ये चाम्दे जहां दीक्षा ले सकते हैं ॥ ११३ ॥

कुलीनक्षुल्लकेष्वेव सदा देय महाव्रतं ।

सल्लेखनोपरूटेषु गणद्रेण गणेच्छुना ॥ ११३ ॥

अर्थ—सज्जाति विवाहिता ब्राह्मणीमें ब्राह्मणसे, क्षत्रियाणीमें क्षत्रियसे और वैश्य स्त्रीमें वैश्यसे उत्पन्न हुए पुरुषके ही मातृपक्ष और पितृपक्ष ये दोनोंकुल विशुद्ध हैं अतः इन विशुद्ध उभय कुलोंमें उत्पन्न हुआ क्षुल्लक जिसने किष्किंग आदि कारणोंके वश क्षुल्लक व्रत धारण कर रक्त्वा ही वह समाधिपरण करनेमें तत्पर हो तब उसे निर्ग्रन्थ दीक्षा देना चाहिए। परंतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके विशुद्ध उभयकुलमें उत्पन्न नहीं हुआ है उस क्षुल्लकको कभी भी निर्ग्रन्थ दीक्षा नहीं देना चाहिए ॥ ११३ ॥

इस तरह ऋषि प्रायश्चित्त पूर्ण हुआ अथ भार्यिकाओंका प्रायश्चित्त बताते हैं;—

साधूनां यद्बुद्धिदृष्टमेवमार्यागणस्य च ।

दिनस्थानत्रिकालोन प्रायश्चित्त समुच्यते ॥

अर्थ—जैसा भार्यश्चित्त साधुओंके लिए कहा गया है वैसा ही भार्यिकामोंके लिए कहा गया है, विशेष इतना है कि दिन-

प्रतिमा, त्रिकानयोग चकारसे अथवा अन्यान्तरोके अनुसार पर्यायच्छेद, मूलस्थान, तथा परिहार ये प्रायश्चित्त भी आर्यिक कार्योंके लिए नहीं हैं ॥ ११४ ॥

समाचारसमुद्दिष्टविशेषभ्रशने पुनः ।

स्थैर्यास्थैर्यप्रमादेपु दर्पतः सकृन्मुहुः ॥ ११५ ॥

अर्थ—विना प्रयोजन पर घर जाना, अपने स्थानमें या पर स्थानमें रोना, बालकोंको स्नान कराना, उन्हें भोजन-पान कराना, भोजन बनाना, छद्मकारका आगम करना आदि जो विशेष कथन समाचार क्रियामें आर्यिकार्योंके लिए किया गया है उसका स्थिर, अस्थिर, प्रमाद और अहकारवश एक बार और बहु बार भंग करने पर नीचे लिखा प्रायश्चित्त है ।
भाषा—स्थिर और अस्थिर आर्यिकार्योंके प्रमादवश और अहकारवश एक बार और बार बार समाचार क्रियामें दोष लगने पर क्रमसे नीचे लिखा प्रायश्चित्त है ॥ ११५ ॥

कायोत्सर्ग क्षमा क्षाति' पचक पचक क्रमात् ।

पष्ठ पष्ठ ततो मूल देय दक्षगणेशिना ॥ ११६ ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त देनमें चतुर आचाग, स्थिर आर्यिकार्योंको प्रमादवश एक बार समाचार क्रियामें दोष लगाने पर कायोत्सर्ग और बार बार दोष लगाने पर उपवास प्रायश्चित्त दे, दर्पवश एक बार दोष लगाने पर उपवास और बार बार दोष लगाने पर बल्याण प्रायश्चित्त दे, और अस्थिर आर्यिकार्योंको

प्रमादवश समाचार क्रियामे एक बार दोष लगाने पर षष्ठ और बार बार दोष लगाने पर कल्याण दे, तथा दर्पवश एक बार दोष लगाने पर षष्ठ आठ बार बार दोष लगाने पर पच-कल्याण प्रायश्चित्त दे ॥ ११६ ॥

मृज्जलादिप्रमां ज्ञात्वा कुब्ज्यादीनां प्रलेपने ।
कायोत्सर्गादिमूलान्तमार्याणां प्रवितीर्यते ॥

अर्थ—आर्यिकाओंको दीवान लीपना, भूमि लीपना, आप-धिपानोंको धोना, अग्निजलाना आदि कार्यो क करने पर मिट्टी, जल, आदि शब्दसे अग्नि, वायु, वनस्पति आदिका प्रमाण जानकर उसके अनुसार कायोत्सर्गको आदि लेकर पचकल्याण पयत प्रायश्चित्त देना चाहिए। भावार्थ—मिट्टी जन, आदिके परिमाणके अनुसार जयन्य प्रायश्चित्त कायोत्सर्ग है, उत्कृष्ट पच कल्याण है और मध्यम प्रायश्चित्तके अनेक विकल्प है। सो इस परिमाणके अनुसार समझना चाहिए कि मिट्टीके पर जितनी मिट्टी खोदनेका, अजलि प्रमाण जल खर्च करनेका दीपककी लौ प्रमाण अग्निक बुझानेका हाथसे एक बार, दो बार अथवा तीन बार दया करनेका एक एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है। इस प्रमाणसे ज्यों बढ़ता बढ़ता मिट्टी जन आदि का प्रमाण हो त्यों त्यों बढ़ता बढ़ता प्रायश्चित्त समझना चाहिए ॥ ११७ ॥

वस्त्रस्य क्षालने घाते विशोषस्तनुसर्जन ।
प्रासुकतोयेन पात्रस्य धावने प्रणिगद्यते ॥११८॥

अर्थ—बस्त्रके धोनेमें जनकायके जीवोंकी विराधना होने पर एक उपवास और प्रासुक जलसे भित्ताक पात्रोंको धोनेका एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त है ॥ ११८ ॥

वस्त्रयुग्म सुवीभत्सलिंगप्रच्छादनाय च ।
आर्याणां सकल्पेन तृतीये मूलमिष्यते ॥११९॥

अर्थ—आयिकाओंको युग्म अगको ढकनेके लिए दो वस्त्र रखना चाहिए । इन दो वस्त्रोंके अलावा तीसरा वस्त्र धारण करने पर उसके लिए पंचकल्याण प्रायश्चित्त कहा गया है ॥

याचितायाचितं वस्त्रं भक्ष्यं च न निषिद्ध्यते ।
दोषाकीर्णतयार्याणामप्रासुकविवर्जित ॥१२०॥

अर्थ—आयिकाए टपेशह अनेक दोषोंसं निम्न रहती ही है इस कारण मागनेसे प्राप्त हुआ किंवा विना ही मांगे स्वयमेव प्राप्त हुए निर्दाप वस्त्रोंको और भित्ता-पात्रोंको पाम रखनेका अथवा स्वस्थान पर भित्ता लानेका उनका लिए निषेध नहीं है ॥

तरुणी तरुणेनामा शयन गमन स्थिति ।
विदधाति ध्रुव तस्याः क्षमाणां त्रिंशदुदाहृता ॥

अर्थ—जो तरुण आयिका तरुण मुनिके साथ शयन करती हो, गमन करती और साथही रहती हो या कायात्सर्ग करती हो उसके लिए तीस उपवास प्रायश्चित्त कहे गए हैं ॥ १२१ ॥

तारुण्य च पुनः स्त्रीणां षष्टिवर्षाण्यनूदित ।

तावंतमपि ताः काल रक्षणीयाः प्रयत्नतः ॥

अर्थ—स्त्रियोंकी योवनावस्था साठ वर्ष तक की कही गई है इसलिये साठ वर्ष तक प्रयत्नपूर्वक आर्यिकाओंकी रक्षा करना चाहिए ॥ १२२ ॥

दपेण सयुक्ताथार्या विधत्ते दत्तधावन ।

रसानां स्यात् परित्यागश्चतुर्मासानसंगय ॥

अर्थ—यदि जो कोई भी आर्यिका अहकारके वशीभूत होकर दत्तधावन करे तो उसके लिये चार महीने तक रसोंका परित्याग प्रायश्चित्त है ॥ १२३ ॥

अब्रह्मसंयुता क्षिप्रमपनेयापि देशतः ।

सा विशुद्धिर्वहिर्भूता कुलधर्मविनाशिका ॥

अर्थ—भ्रुनाचरण कर संयुक्त आर्यिकाको शीघ्र ही देशके बाहर निकाल देना चाहिए । ऐसी आर्यिका प्रायश्चित्तसे रहित है अर्थात् उसके लिये कोई भी शुद्धिका उपाय नहीं है और वह गुरुकुल तथा जिनशासनका विनाश करनेवाली है ॥ १२४ ॥

तद्दोषभेदवादोऽपि पडितानां न कल्पते ।

अन्योक्त लक्षणीय न तत्प्रहेय प्रयत्नतः ॥१२५॥

अर्थ—सभ्यगणानी पुरुषोंको चाहिए कि वे पूर्वोक्त समय-सबधी दोषोंको जिसीके सामने न कहे और दूसरे लोग कह रहे

हों तो उसपर लक्ष्य न दे । तथा जेमे दोषोंके कहनेका प्रयत्न पूर्वक जाग कर ॥ १२५ ॥

यतिरूपेण वाच्याप्ता चेदार्यानामधारिका ।

हा ! हा ! कष्ट महापाप न श्रोतुमपि युज्यते ॥

अर्थ—आर्या नामधरानेवाली स्त्री यदि यति नाम धरानवाले पुरुषके साथ बदनामको प्राप्त हो जाय तो उन दोनोंको धिक्कार है, उनका यह कर्तव्य अत्यन्त निरुद्ध है और महापाप है इसलिए इस पापको औरोंसे कहना और पुजना तो दूर रहो कानोंसे सुनना भी नहीं चाहिए ॥ १२६ ॥

उभयोरपि नो नाम ग्राह्य धिमीचकर्मणोः ।

अन्यश्चेत्कोऽपि तद् ब्रूयात् पिधातव्ये ततः श्रुती ॥

अर्थ—निरुद्ध नीचकर्म करनेवाले उन दोनों निगधारियोंका नाम भी नहीं लेना चाहिए । यदि कोई दूसरा उन दोनोंके उक्त दूषणको कह रहा हो तो अपने कान मूढ़ लेना चाहिए ॥

स नीचोऽप्यश्नुते शुद्धि शुद्धचुद्धि प्रयत्नतः ।

देशकालान्तरात्तत्र लोकभावमवेत्य च ॥१२८॥

अर्थ—वह नीचकर्म करनेवाला साधु भी विरक्त परिणाम धारण कर लेने पर देशांतरमें आर कालान्तरमें सम्यग्निधानपूर्वक शुद्धिको प्राप्त हो सकता है । शुद्धिका विधान यह है कि श्रायश्चित्त प्रदान करनेवाला गणधर, प्रथम, जिस देशमें उसे श्रायश्चित्त दे वहाँके लोगोंके परिणामोंको कि इस देशमें कोई

भी इसके दोष नहीं ग्रहण करता है इस प्रकार अच्छी तरह जान ले ॥ १२८ ॥

शपथ कारयित्वाथ क्रियामपि विशेषतः ।

बहूनि क्षमणान्यस्य देयानि गणधारिणा ॥१२९॥

अर्थ—अनन्तर उससे शपथ कराकर और विशेष विशेष प्रतिक्रमण कराकर उसको बहुतसे उपवास प्रायश्चित्त दे ॥

द्रव्य चेद्धस्तग किचिद्धधुभ्यो विनिवेदयेत् ।

तदास्याः पष्ठमुद्दिष्ट सोपस्थानं विशोधन ॥

अर्थ—यदि आर्थिकाके पास सोना, चादी आदि कुछ भी द्रव्य हो और वह उस द्रव्यको अपने बधुओंको देव तो उस वक्त उसके लिए प्रतिक्रमण सहित पष्ठोपवास प्रायश्चित्त है ॥

येन केनापि तल्लब्ध पुनर्द्रव्य च किचन ।

वैयावृत्य प्रकर्तव्य भवेत्तेन प्रयत्नतः ॥ १३१ ॥

अर्थ—जिस किसी भी उपायसे कुछ भी द्रव्य आर्थिकाको मिले तो उस द्रव्यसे धर्मप्राणियोंका प्रयत्नपूर्वक उपकार करना चाहिए । यही उसके लिए प्रायश्चित्त है ॥ १३१ ॥

भ्रातर पितर मुक्त्वा चान्येनापि सधमेणा ।

स्थानगत्यादिक कुर्यात् सधर्मा छेदभागपि ॥

अर्थ—पिता और भाईको छोड़कर, यदि आर्थिका अन्य पुरुषको जाने दीजिये साधर्मी गुरुभाईके साथ भी कायोत्सर्ग,

मार्गगमनागमन, सहवास आदि करे तो वह सार्वर्ष भी प्रायश्चित्तका भागी होना है। यह आर्यिका प्रायश्चित्तमागिनी वा इमका तो रुहना ही क्या है। आचार्य—पिता और माईके साथ यदि आपिका कापोत्सर्गादि क्रिया करे तो उनसे कोई भी प्रायश्चित्तके भागी नहीं है। इसके अलावा किसीके साथ भी आर्यिका कापोत्सर्गादि क्रिया करे तो जिसके साथ करे वह भी और जो करे वह भी सभी प्रायश्चित्तके भागी होते हैं ॥ १३० ॥

बहुन् पक्षांश्च मासांश्च तस्या देया क्षमा भवेत् ।
बल भाव वयो ज्ञात्वा तथा सापि समाचरेत् ॥

अर्थ—उस आर्यिकाकी शक्ति, उसका भाव और अवस्था जानकर उसे बहुतम पक्षोपवास और मासोपवास प्रायश्चित्त देने चाहिए। उभा तरह यह आर्या भी उस दिये हुए प्रायश्चित्त को आदर बुद्धिके साथ करे ॥ १३१ ॥

क्ष्वात्या पुष्प प्रवश्यत्या तद्दिनात् स्याच्चतुर्दिन ।
आचाम्ल नीरसाहारः कर्तव्या चाथवा क्षमा ॥

अर्थ—आर्यिका जन रजःस्वप्ना हो जाय तब उस दिनसे लेकर चार दिन तक या तो नाजिक भोजन करे या नोरस भोजन करे या उपवास करे ॥ १३४ ॥

तदा तस्याः समुद्दिष्टा मोनेनावज्य क्रिया ।
व्रतारोपः प्रकर्तव्यः पश्चाच्च गुरुसन्निधौ ॥१३५॥

अर्थ—रजस्वलाके समय आर्थिका समता, स्तन, मूत्र, रज्जु, मूत्रिक्रमण, प्रसाख्यान और कायोत्सग इन छह आवश्यक क्रियाओंको मौनपूर्वक करे और शुद्ध हो जानेक पश्चात् गुरुके समीप जाकर व्रत ग्रहण करे ॥ १३५ ॥

स्नान हि त्रिविध प्रोक्त तोयतो व्रतमंत्रतः ।
तोयेन स्याद् गृहस्थाना साधूनां व्रतमंत्रतः ॥

अर्थ—स्नान तीन प्रकारका कहा गया है जलस्नान, व्रत-स्नान और मन्त्रस्नान । जलस्नान गृहस्थ करते हे तथा व्रतस्नान और मन्त्रस्नान साधु करते हे । व्रतस्नान और मन्त्रस्नान यह साधुओंकी परमाथ शुद्धि है । परन्तु चाडाल आदिका स्पर्श हो जाने पर व्रतपानते हुए उनको जलसे भी व्यवहार शुद्धि करना चाहिए ॥ १३६ ॥

इस प्रकार आर्याओंका प्रायश्चित्त कहकर श्रावकोका प्राय-श्चित्त कहने हे,—

श्रमणच्छेदनं यच्च श्रावकाणा तदेव हि ।

द्वयोरपि त्रयाणा च षण्णामर्धार्धहानितः ॥१३७॥

अर्थ—जो प्रायश्चित्त साधुओंक लिए कह आये हे वही क्रमसे दो, तीन और छह श्रावकोंके लिए आधा आधा हे । भावार्थ—श्रावक ग्यारह तरहके हाते हे । उनमेंसे उद्दिष्ट सागी और अनुमार्तसागी इन दो उत्कृष्ट श्रावकोंक लिये मुनिप्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त है । परिग्रहसागी, आरमसागी और ब्रह्मचारी इन तीन मध्यम श्रावकोंके लिए उत्कृष्ट श्रावकोंके

प्रायश्चित्तमेवापि प्रायश्चित्त है और दिशाम्येयुनत्यागो, सचित्त
सागो, मोषधोपवास करनेवाला, सामायिक करनेवाला, प्रतिक
आर दार्शनिक इन छह जघन्य श्रावकोंके लिए उन मध्यम तीन
श्रावकोंके प्रायश्चित्तमे आया प्रायश्चित्त है ॥ १२७ ॥

केचिदाहुर्विशेषेण त्रिष्यप्येतेषु शोधनम् ।

द्विभागोऽपि त्रिभागश्च चतुर्भागो यथाक्रमम् ॥

अर्थ—कोई आचार्य इन तीनों तरहके श्रावकोंका प्रायश्चित्त
दूसरीही तरहसे कहते हैं । वे कहते हैं कि साधु प्रायश्चित्तमे आया
प्रायश्चित्त तो उत्कृष्ट श्रावकोंके लिए है । साधुके प्रायश्चित्तका
ही तीसरा हिस्सा प्रायश्चित्त मध्यम श्रावकोंके लिए है और
साधुके प्रायश्चित्तका ही चौथा हिस्सा प्रायश्चित्त जघन्य
श्रावकोंके लिए है ॥ १२८ ॥

पण्णां स्यान्ऋषकाणां तु पचपातकमन्निधो ।

महामहो जिनेन्द्राणां विशेषेण विशोधनम् ॥

अर्थ—यद्यपि सभी श्रावकोंका प्रायश्चित्त ऊपर कह चुके हैं
तो भी छह जघन्य श्रावकोंका प्रायश्चित्त और भी विशेष है सोही
कहते हैं । गोवध, स्त्रीत्याग, वानघात, श्रावकविनाश और ऋषि-
विघात ऐसे पांच पापोंके उन जाने पर जघन्य श्रावकोंके लिए
जिन भगवान्का महामह करना यह विशेष प्रायश्चित्त है ॥ १२९ ॥

आदावते च पष्ट स्यात् क्षमणान्येकविंशतिः ।

प्रमादाद्गोवधे शुद्धिः कर्तव्या शल्यवर्जितैः ॥

अर्थ—माया, मिथ्या और निदान इन तीनों शक्तियोंसे रहित उक्त छह श्रावकोंको किसी भी तरह गौका वध होजाने पर आदिमें और अतमें एक एक पट्टोपवास और गध्यमें इक्कीस उपवास करना चाहिए ॥ १४० ॥

सौवीरं पानमाम्नात पाणिपात्रे च पारणे ।
प्रत्याख्यानं समादाय कर्तव्यो नियमः पुनः ॥

अर्थ—और पारणेके दिन पाणिपात्रमें काजिक पान करना चाहिए तथा चार प्रकारके आहागका सागकर फिर श्रावक प्रतिक्रमण करना चाहिए ॥ १४१ ॥

त्रिसध्य नियमस्यांते कुर्यात् प्राणशतत्रय ।
रात्रौ च प्रतिमां तिष्ठेन्निर्जितेन्द्रियसंहतिः ॥१४२

अर्थ—पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न इन तीनों सध्या समयोंमें नियम (प्रतिक्रमण) करे । नियमके अतमें तीन सौ उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे और इन्द्रियसमूहको वशमें करता हुआ रात्रिमें भी कायोत्सर्ग करे ॥ १४२ ॥

द्विगुण द्विगुण तस्मात् स्त्रीवालपुरुषे हतौ ।
सद्दृष्टिश्रावकर्षीणां द्विगुणं द्विगुण ततः ॥१४३

अर्थ—स्त्री, बालक और मनुष्यके मारने पर गोवध प्रायश्चित्तसे दूना दूना प्रायश्चित्त है और सम्यग्दृष्टि, श्रावक और ऋषिघातका प्रायश्चित्त उससे भी दूना दूना है । भावाय—जो प्रायश्चित्त गोवधका कह आये है उससे दूना प्रायश्चित्त स्त्रीवध

का है। स्त्रीमथस दूना बालकके वधका है। बालकके वधसे दूना सामान्य मनुष्यके वधका है। एवं उससे दूना पाखण्डके वधका, उससे दूना लौकिक ब्राह्मणके वधका, उससे दूना सयतासयतके वधका और उससे दूना निर्गन्ध साधुके वधका है ॥ १४३ ॥

कृत्वा पूजां जिनेन्द्राणा स्नपन तेन च स्वय ।
स्नात्वोपध्यवराद्य च दान देयं चतुर्भिः ॥१४४॥

अर्थ—उक्त प्रायश्चित्त कर लेनेके अनन्तर अष्टतोकी पूजा और अभिषेक करे और उस अभिषेक जन्मसे स्वय-प्राप स्नान करे तथा पुस्तक, कपडलु, पिच्छी, वस्त्र, पात्र आदिका यथा योग्य दान दे और अमयदान, आहारदान, शास्त्रदान औपय-दान यह चार प्रकारका दान भी दे ॥ १४४ ॥

सुवर्णाद्यपि दातव्य तदिच्छूना यथोचित ।
शिरः क्षौर च कर्तव्य लोकचित्तजिघृक्षया ॥

अर्थ—तथा सोना, चांदी, वस्त्र आदि चाहनेवालोंको यथोचित सोना, चांदी, वस्त्र आदि दे और सम्पूर्ण मनुष्योंका मन उसकी ओर अनुरक्त हो इस इच्छासे शिरके बाल भी सु ढारे । इतना प्रायश्चित्त कर अनन्तर घरमें प्रवेश करे ॥१४५॥

क्षुद्रजतुवधे क्षातिः पष्ठमन्यव्रतच्युतौ ।

गुणशिक्षाक्षतौ क्षान्तिर्दृग्ज्ञाने जिनपूजन ॥१४६

अर्थ—दो इंद्रिय, तेईन्द्रिय, और चौइन्द्रिय इन क्षुद्र जतुओं-

का विघात करने पर उपवास, सत्य अचोर्य, स्वदारमतोप और परिग्रह परिमाणप्रतका भग होने पर पष्ठ प्रायश्चित्त, गुणप्रत और गित्ताप्रतमें क्षति पहुचने पर उपवास प्रायश्चित्त तथा सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें दोष लगन पर जिनपूजन प्रायश्चित्त होता है । भावार्थ—सर प्रताके सब दोष पसं० इ सा हो कहते हैं । अतिक्रम, व्यतिक्रम अनीचार, अनाचार और अभोग ये पाच मूलदोष हैं इनका अर्थ जरद्वयन्यायसे कहने हैं । जरद्वय नाम बूढ़े बोलका है । जैसे कोई एक बूढ़ा बाल अञ्ज ठराभरा धान्यका खेत देख कर उस खेतकी दृति (वाड) के पास खड़ा हुआ उस धान्यक खानेकी इच्छा करता है सो अतिक्रम है । फिर वाडके छेदमें मुख डालकर एक ग्रास लू यह जो उसकी इच्छा है सो व्यतिक्रम है फिर खेतकी वाडको उद्धर जाना अनीचार है फिर खेतमें जाकर एक ग्रास लेकर पुन वापिस निकल आना अनाचार है तथा फिर भी खेतमें घुस कर नि शक ययेष्ट मत्तण करना, खेतके मानिक द्वारा दहसे पिटना आदि अभोग है । इसी प्रकार प्रतादिकोंमें समझना चाहिए । प्रत्येक प्रतमें ये पाच पांच दोष पाये जा सकते हैं । ऊपर बारहव्रत और नीचे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनीचार, अनाचार और अभोग इन पाच दोषोंको रखना चाहिए । इनकी सट्टि यह है—

१ १ १ १ १ १ १ १ १ १

५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५

। स्थूल कृत प्राणातिपातके अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनीचार, अनाचार और अभोग इस तरह प्रथम अणुव्रतकी पच उच्चारणा

हैं। इसी तरह बाकीके ग्यारह व्रतोंकी पांच पांच उच्चारणा होती हैं। सब व्रतों सबन्धी सम्पूर्ण उच्चारणा मिलकर साठ होती है। पांच मूल उच्चारणाओंको मिला देने पर सब उच्चारणा पैसेठ हो जाती है सो ये पैसेठ इन बारह व्रतोंके दोष हैं। इन दोषोंके सगने पर उक्त प्रायश्चित्त यथायोग्य सपत्नना चाहिए ॥१४६॥

रेतोमूत्रपुरीषाणि मद्यमांसमधूनि च ।

अभक्ष्य भक्षयेत् पष्ठ दर्पतश्चेद् द्विषदक्षमा ॥१४७॥

अर्थ—वीर्य, मूत्र, पुरीष (ट्टी) मद्य, मांस, मधु और अभक्ष्य—रधिर, चर्म, हड्डी आदि यदि जघन्य श्रावक प्रमाद वश खाय तो पष्ठप्रायश्चित्त है। यदि अहकारमें तमन्न होकर उक्त चीजोंको खाय तो बारह उपवास प्रायश्चित्त है ॥१४७॥

पचोदुचरसेवायां प्रमादेन विशोषण ।

चाडालकारुकाणां पडन्नपाननिषेवणे ॥१४८॥

अर्थ—अहकार वश पाच उदुम्बर फलोंके खानेका प्रायश्चित्त बारह उपवास है और प्रमादवश खाय तो उपवास प्रायश्चित्त है तथा चाडाल आदिके यहां और घोबी आदि कारुशूद्रोंके यहां अन्न पान सेवन करे तो छह उपवास प्रायश्चित्त है। सद्योल्लघि (वि)तगोघात वन्दीगृहसमाहतान् ।

कृमिदष्ट च सस्पृश्य क्षमणानि पडश्नुते ॥१४९॥

अर्थ—रस्सी आदिसे बघकर मरे हुए, गायके सींगोंके घातसे मरे हुए और काराग्रह (जेनखाने) में बन्द कर देनेसे

भरे हुएको तथा जिसमें कृमि-जतु पढ गये हों, पीप बढ रही हों
 हमे शरीरके घावको यदि छूवे तो बढ जग्न्य श्रावक छढ उप
 वासोंको प्राप्त होता है । भावार्थ—उक्त प्रकारसे भरे हुएको
 और कृमिजतको छूनेका छढ उपवास प्रायश्चित्त है ॥ १४६ ॥

सुतामातृभगिन्यादिचांडालीरभिगम्य च ।

अश्नुवीतोपवासानां द्वात्रिंशत्तमसशयं ॥१८०॥

अर्थ—अपनी पुत्री, माता, बहन, आदि शब्दसे यासी,
 सास, पुत्रभार्या आदिको ओर चाडान भद्दी आदिकी स्थियों
 को सेवन करनेवाला सट्टेहरहित बत्तीस उपवासोंको प्राप्त होता
 है भावार्थ—पुत्री आदिके साथ व्यभिचार सेवनका बत्तीस उप-
 वास प्रायश्चित्त है ॥

कारुणां भाजने भुक्ते पीतेऽथ मलशोधन ।

विशोपा पच निर्दिष्टा छेददक्षेर्गणाधिपैः ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त शास्त्रोंके वेत्ता आचार्योंने अमोज्य
 कारुणोंके वर्तनोंमें खाने और पीनेका प्रायश्चित्त पाच उपवास
 कहा है । भावार्थ—अमोज कारुणोंका अर्थ आगे १५४ वे
 श्लोकमें कहा जायगा । उनके वर्तनोंमें खाने पीनेका पांच उप-
 वास प्रायश्चित्त है ॥ १५१ ॥

जलानलप्रवेशेन भृगुपाताच्छिशावपि ।

बालसन्यासतः प्रेतैः सद्यः शौचं गृहिव्रते ॥

अर्थ—जलमें डबकर, अग्निमें जसकर कहींसे भी गिरकर

मरने पर, बालकके मरने पर, और मिथ्यादृष्टि सन्याससे मरने पर गृहस्थ व्रतमें तत्काल शुद्धि है। भावार्थ—उक्त प्रकारसे यदि कोई स्वजन मर जाय तो गृहस्थोंको उसका सूतक नहीं है ॥ १५२ ॥

ब्राह्मण क्षत्रविदच्छूद्रा दिनेः शुद्ध्यति पचभिः ।
दशद्वादशभिः पक्षाद्यथासख्यप्रयोगतः ॥१५३॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये अपने किसी स्वजनके मर जाने पर क्रमसे पांच दिन, दश दिन, चारह दिन और पंद्रह दिन ग्रीत जानेसे शुद्ध होते हैं। भावार्थ—ब्राह्मण पांचदिनसे, क्षत्रिय दश दिनसे, वैश्य चारह दिनसे और शूद्र पंद्रह दिनसे शुद्ध सूतकरहित होते हैं। यहा आचार्य सम्प्रदायका भेद मालूम पड़ता है—अन्य शास्त्रोंमें ब्राह्मणके लिए दशदिन और क्षत्रियोंके लिए पांच दिनका सूतक बताया गया है। अथवा उक्त पाठके स्थानमें “क्षत्रब्राह्मणविदच्छूद्रा” ऐसा पाठ हो तो ठीक समानता बैठ जाती है। अस्तु, कई विषयोंमें आचार्योंका मतभेद पाया जाता है सभ्य है यहा भी वह हो ॥

कारिणो द्विविधा सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः ।
भोज्येष्वेव प्रदातव्य सर्वदा क्षुल्लकव्रत ॥१५४॥

अर्थ—शूद्र भोज्य और अभोज्यके भेदसे दो तरहके हैं। जिनके यहाहा आहार-पानी ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र खाते पीते हैं वे भोज्य कारु होते हैं इस विषयी। अर्थात् जिनका आहारपानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं खाते पीते हैं—

अभोज्य कार हैं । इनमेंसे भोज्य कारुओं (भोज्य शूद्रों) को ही क्षुल्लक दीक्षा देनी चाहिए, अभोज्य शूद्रोंको नहीं ॥१५४॥

क्षुल्लकेष्वेकक वस्त्रं नान्यत्र स्थितिभोजनं ।

आतापनादियोगोऽपि तेषां शश्वन्निषिध्यते ॥

अर्थ—क्षुल्लकोंके एक ही वस्त्र होता है, दूसरा नहीं । खड़े रहकर भोजन लेना भी उनके नहीं है । तथा आतापन, दन्तमूल और अभ्रावकाश इन योगोंका भी क्षुल्लकोंके लिए निषेध है ॥

क्षौर कुर्याच्च लोच वा पाणौ भुक्तेऽथ भाजने ।

कौपीनमात्रतंत्रोऽसौ क्षुल्लकः परिकीर्तितः ॥

अर्थ—क्षुल्लक छुरसे मु डन करे अथवा हाथोंसे बाल उपाडे, वह हाथमें भोजन करे, अथवा पात्रमें, ऐसा कौपीनमात्रके अर्धीन क्षुल्लक कहा गया है । भाग्यार्थ—क्षुल्लकके दो भेद हैं । उनमें पहला क्षुल्लक छुरसे या ऊँचासे शिरका मु डन करता है । बैठकर पात्रमें भोजन करता है, कमरमें कौपीन पहनता है । दूसरा क्षुल्लक हाथसे सिरके बाल उपाडता है, हाथमें ही बैठ कर भोजन करता है, शास्त्रान्तरोंके अनुसार वह खड़ा रहकर भी भोजन कर सकता है और कमरमें सिर्फ कौपीन पहनता है । इसका दूसरा नाम आय है जिसको बालचालमें ऐसक कहते हैं । दोनों ही तरहकी क्षुल्लक दीक्षा भाज्य शूद्रोंको दी जाती है ॥ १५६ ॥

सद्दृष्टिपुरुषाः शस्वद्धर्मोदाहाद्धि विभ्यति ।

लोभमोहादिभिर्धर्मदृपणं चितयति न ॥१५७॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि पुरुष ह्येशह धर्मके उदाह—विनाशसे
हरते रहते हैं इसनिष्ठ वे लोभ, मोह, द्वेष आदिके बश होकर
कभी भी धर्ममें कलक लगनेकी वांछा नहीं करते हैं ॥ १५७ ॥

प्रायश्चित्तं न यत्रोक्त भावकालक्रियादिक ।

गुरुद्विष्ट विजानीयात् तत्प्रनालिकपानया ॥

अर्थ—मात्र परिणाम, काल—शीतकाल, उष्णकाल और
साधारणकाल, क्रिया—सचित्त, अचित्त और मिश्रद्रव्यका
प्रतिसेवन इत्यादि प्रायश्चित्त जो यहाँ नहीं कहा गया है उसको
गुरु उपदेशके अनुसार इसी पद्धतिसे समझ लेना चाहिए ॥१५८

उपयोगाद्ब्रतारोपात् पश्चात्तापात् प्रकाशनात् ।

पादाशार्धतया सर्वं पाप नश्येद्विरागतः ॥१५९॥

अर्थ—किसी अपराधके वन जानेपर उपयोग (सावधानी)
रखनेसे, कोई न कोई व्रत लेनेसे, पश्चात्ताप करनेसे तथा
अपना दोष दूसरेको कहनेसे वह अपराध चौथे हिस्से प्रमाण
और आधा नष्ट हो जाता है । और विरक्त परिणामोंसे तो
सबका सब नष्ट हो जाता है । भावार्थ—किया हुआ अपराध
उक्त कारणोंसे चतुर्थ हिस्से प्रमाण, आधा अथवा सबका सब
नष्ट हो जाता है ॥ १५९ ॥

अवध्ययोगविरतिपरिणामो विनिश्चयात् ।

प्रायश्चित्तं समुद्दिष्टमेतच्च व्यवहारतः ॥ १६० ॥

अर्थ—निश्चयनयनी अपेक्षासे संपूर्ण

कर्मों के सबधसे विरक्त परिणाम ही प्रायश्चित्त है और यह जो प्रायश्चित्त कहा गया है वह सब व्यवहारनयकी अपेक्षासे है । भावार्थ—निश्चयनय और व्यवहारनय ये दोनों नय अनादिसबद्ध हैं और दोनों ही एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं तभी सुनय कहलाते हैं अन्यथा वे कुनय हैं । इसी तरह निश्चय प्रायश्चित्त और व्यवहार प्रायश्चित्त ये दोनों भी अनादिसबद्ध हैं और एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं तभी प्राणियोंके अपराधोंको शुद्ध कर सकते हैं अन्यथा नहीं । अतः व्यवहारप्रायश्चित्तके समय निश्चयप्रायश्चित्त और निश्चयप्रायश्चित्तके समय व्यवहारप्रायश्चित्त अवश्य होना चाहिए । पापकर्मों से विरक्त परिणामोका होना निश्चयप्रायश्चित्त है और निर्विकृति आचाम्ल आदि व्यवहारप्रायश्चित्त हैं एव प्रायश्चित्त दो प्रकारका है ॥ १६०

प्रायश्चित्त प्रमादेऽदः प्रदातव्य मुनीश्वरैः ।

अपि मूलं प्रकर्तव्य बहुशो बहुशो भवेत् ॥ १६१ ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त देनेवाले आचार्य, कथाचत—एकवार दोष लगने पर आगमोक्त प्रायश्चित्त देवे और बारबार दोषोंका आचरण करनेवाले साधुके लिए मूल पुनर्दत्ता प्रायश्चित्तका विधान भी करे ॥ १६१ ॥

गृहीतव्य त्रयाणां न हितं स्वस्मै समीप्सुभिः ।

नरेन्द्रस्यापि वैद्यस्य गुरोर्हितं विधायिनः ॥

अर्थ—अपना हित चाहनेवाले पुरुषोंको हितकारी राजा, वैद्य और गुरु इन तीनोंको कभी नहीं छिपाना चाहिए ॥ १६२ ॥

यावतः स्युः परीणामास्तावति च्छेदनान्यपि ।
प्रायश्चित्त समर्थः को दातु कर्तुमहो मते ॥१६३॥

अर्थ—जितने परिणाम दें उतने ही प्रायश्चित्त है । इस प्रकार उतना प्रायश्चित्त न तो कोई देनेको समर्थ है और न कोई करने का समर्थ है ॥ १६३ ॥

प्रायश्चित्तमिदं सम्यग्युजानाः पुरुषाः पर ।
लभते निर्मला कीर्तिं सौख्यं स्वर्गापवर्गज ॥

अर्थ—इस प्रायश्चित्तको अन्ती तरह करनेवाले पुरुष अग्र-गण्य होते हैं, निम्न कीर्तिका प्राप्त करते हैं और स्वर्ग और मोक्षसबकी सुख भागते हैं ॥ १६४ ॥

चूलिकासहितो लेशात् प्रायश्चित्तसमुच्चयः ।
नानाचार्यमृतानकैयाडोद्भुक्तकामेन वर्णितः ॥

अर्थ—यह चूलिका सहित प्रायश्चित्त समुच्चय नामका ग्रंथ अनेक आचार्यों के अनेक मतोंको एक रूपसे जाननेकी इच्छासे मैंने सत्सेपसे कहा है ॥ १६५ ॥

अज्ञानाद्यन्मया वद्धमागमस्य विरोधिकृत ।
तत्सर्वमागमाभिज्ञाः शोधयतु विमत्सराः ॥१६६॥

अर्थ—अज्ञानवश जो मैंने परमागम, शब्दागम और युक्तागमसे विरुद्ध कहा हो उस सबको आगमके वक्ता आचार्यों महोदय पत्सरभावोंसे रहित होने हुए शुद्ध करे ।

इस तरह गुरुवास आचार्यवृत्त प्रायश्चित्त-समुच्चय और उसकी चूलिकाका नवीन हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ।

